खण्ड-275, अंक-4
बुधवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1889
(20 दिसम्बर, 1967 ई0)

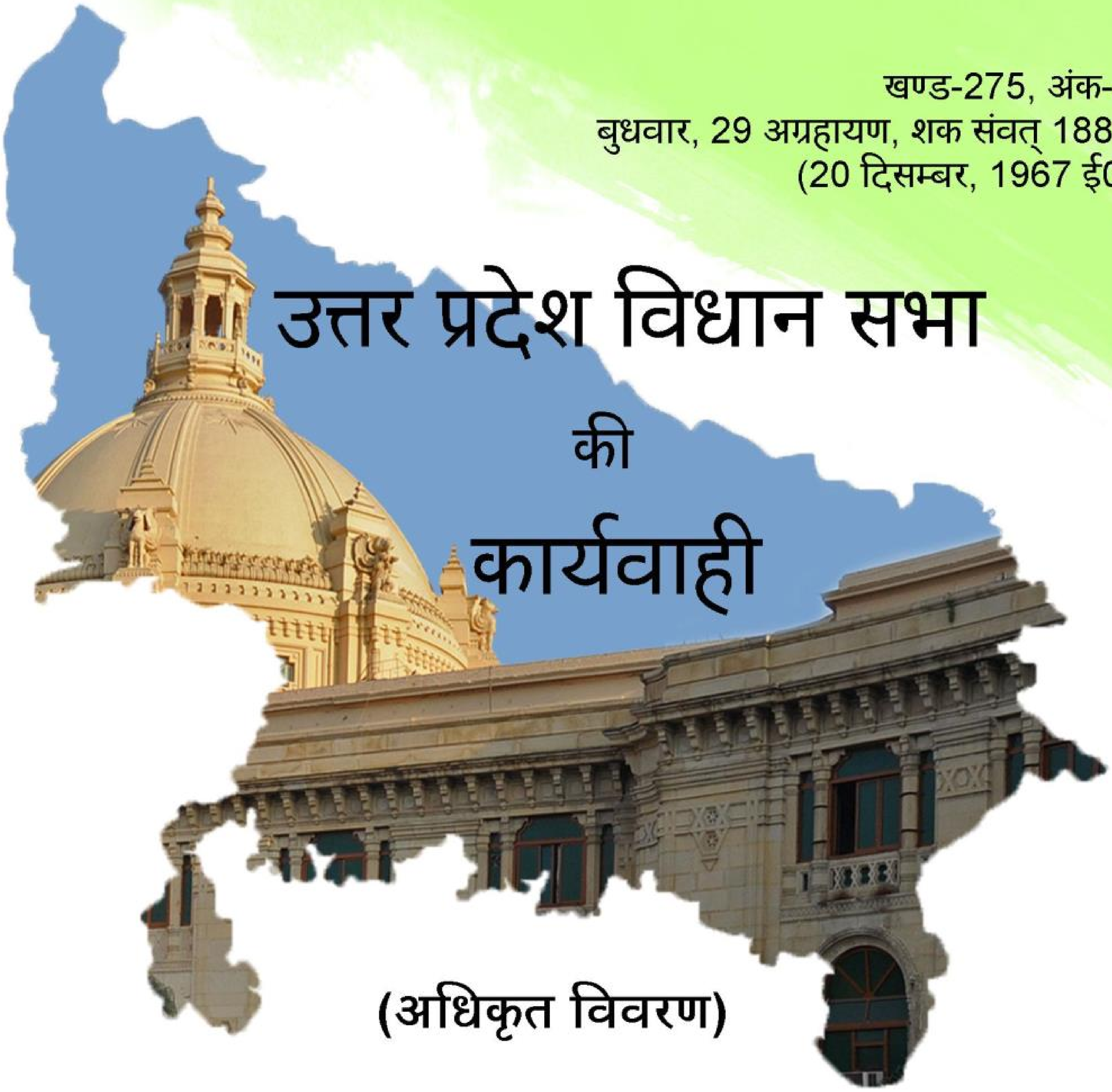

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० दिसम्बर, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडल, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१०

अंगन लाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुरहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
एस० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर मिश्र, श्री
कृष्ण सिंह, श्री

कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गंया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरी शंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महराम सिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री

मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचल सिंह सगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)

रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सटिन, श्री
रूपनाथ यादव, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्शसिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्म बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

नोट —उप मुख्य मन्त्री श्री राम प्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायणसिंह भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० दिसम्बर, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में दारुल शफा तथा सचिवालय डिस्पेन्सरी में औषधि वितरण व्यवस्था

**१—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा विधायक निवास की डिसपेन्सरियों में दवाइयां काफी समय से नहीं हैं जिसके कारण इनका प्रयोग करने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां दवाइयां मंगवाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रताप सिंह)—

इन डिसपेन्सरियों में दवा आवश्यक मात्रा में है, और अगर दवाओं की कमी पड़ी और आवश्यक समझा गया तो उसे यथा-सम्भव पूरा करने की चेष्टा की जायेगी।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्नों में स्पष्ट कर दिया था कि दवाइयां न होने के कारण कठिनाइयां होती हैं और इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आवश्यक समझा जाएगा तो प्रबन्ध कर दिया जाएगा तो इस प्रकार का जवाब तो ठीक नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह भी लिखा है जो मंत्री जी ने कहा है कि इन डिस्पेन्सरीज में दवाएं आवश्यक मात्रा में हैं, यानी आप की बात को मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा है।

श्री मधुकर दिघे—

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो दवाएं लेने के लिए लोग जाते हैं उनको पूरी दवाएं वहां से मिल जाती हैं ?

श्री प्रताप सिंह—

मैं श्रीमन्, थोड़ा स्पष्ट कर दूं अभी तक यह होता था कि कोई भी सदस्य विधान सभा या कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति चिट भेजकर डाक्टर के यहां से १०० गोली—५० टेबलेट इस तरह से मंगा लेता था, किन्तु मैंने अब यह व्यवस्था कर दी है कि जिस तरह से आम आदमी दवा पाता है डिस्पेन्सरी में वैसे सदस्यगण भी प्राप्त करें यानी डिस्पेन्सरी में जाएं और डाक्टर को अपना मर्ज दिखाएं और डाक्टर जो दवा तजवीज करें वह उस को दी जाएगी। मैंने स्वयं सरप्राइज विजिट डिस्पेन्सरियों का किया है और पाया है कि दवाएं लोगों को ठीक से मिल रही हैं, यदि आप के पास कोई स्पष्ट सूचना हो जिसमें दवाएं न मिली हों तो मैं उसकी छानबीन करने के लिए तैयार हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से सूचना चाहूंगा कि मैं स्वयं कई बार अपनी निजी दवाओं के सम्बन्ध में गया और दारुलशफा बी-ब्लाक के डाक्टर ने कहा कि ये दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है कि प्रचुर मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं जो मैंने चाहीं वे बी–१ और १२, डायमनीज हैं क्या मंत्री जी जांच करने की कृपा करेंगे कि ये दवाएं कितने दिनों से वहां नहीं हैं ?

श्री प्रताप सिंह—

मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि यदि किसी दवा की कमी हो ती तो पूरा करने की कोशिश की जाएगी। किन्तु देश की आर्थिक स्थिति और सदस्यों की स्थिति को देखत हुए यह उचित जानकर व्यवस्था की गयी है कि अब टानिक वाली दवाएं कम कर दी गयी हैं और जो दूसरी दवाएं हैं वे बढ़ा दी गयी हैं।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहां सदस्यों को दवाओं की कमी की काफी शिकायत है, दुबारा जांच करके दवाओं का इंतजाम करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह—

पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने नहीं बताया गया लेकिन चूंकि ठाकुर साहब कह रहे हैं कि कमी है तो वह कमी अवश्य दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। ९१,९०८ रुपये अभी तक हमने दवाओं के लिए दिया है जो निर्धारित कोटे से ९ गुना ज्याद है।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

आज सभी अस्पतालों में दवाओं की कमी है तो क्या उन अस्पतालों में उन्होंने बहैसियत मंत्री के विजिट किया या मरीज की हैसियत से भी कभी विजिट किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं ?

श्री प्रतापसिंह—

मैं, श्रीमन्, आप के जरिये से बताना चाहता हूं कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से अब तक किसी अस्पताल में विजिट नहीं किया है। क्योंकि जैसा अब तक रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से लोग जाते थे तो लाइन की लाइन डाक्टरों की उनके सामने खड़ी हो जाती थी। मैं मरीज की हैसियत से जाता हूं। एक बार तो मैं खुद बीमार हो गया था और मुझे ३ टैबलेट्स मिली थीं।

श्री अध्यक्ष—

सब के स्वास्थ्य को मंत्री जी अपने स्वास्थ्य की तरह समझते हैं। (हंसी)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

स्वाथ्य मंत्री जी ने कहा कि सदस्यों के लिये टानिक की दवायें बन्द कर दी हैं तो क्या वे कोई स्टेटमेंट देंगे कि मंत्रियों के टानिक में कितनी कमी की गयी है ?

श्री प्रतापसिंह—

आप के आशीर्वाद से मिनिस्टरों को टानिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आज कल तो उधर से काफी टानिक मंत्रियों को मिल रहे हैं इसलिये वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। (हंसी)

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, दवाओं की कमी तो है ही लेकिन क्या स्वाथ्य मन्त्री जी को विधायक निवास के डाक्टर के व्यवहार के बारे में भी कोई शिकायत मिली है कि वहां विधायक उनसे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

वैसे इस प्रश्न की परिधि में तो नहीं आता है किन्तु विधायकों से सम्बन्धित है इसलिये विशेष रूप से अनुमति दे रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह—

एक शिकायत, मान्यवर, मिली थी जिसमें कहा गया था कि डाक्टर हमारे कमरे में विजिट नहीं करते हैं। उससे पहले हमने डाक्टर को स्वयं लिख कर दिया था जब पहले मुझे शिकायत मिली थी कि डाक्टर साहब एक कमरे में जाकर चार चार पांच पांच घंटे बैठ जाते हैं, तब मैंने डाटकरों से कहा था कि वे मरीज के पास न जायं, वे स्वयं डिस्पेन्सरी में आयेंगे, वे लोग डिस्पेंसरी में ही रहा करें और उन्हें देखें। अब जब यह शिकायत मिली है तो मैंने वह अपना आदेश हटा लिया है। इसके अतिरिक्त और कोई शिकायत नहीं मिली है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

जब विधान सभा के सदस्यों को पूरी दवाओं को देने की सुविधा थी और यह उनका अधिकार था और है तो फिर टानिक या विटामिन के टैब्लेट्स वगैरह न देने का जो आदेश डाक्टर्स को दिया गया वह क्या उचित है और क्या स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं डाक्टर हो गये हैं जो यह समझते हैं कि किसको क्या दवा देना चाहिए? इस तरह से क्या हमारे अधिकार का हनन नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—

मिनिस्टरों को तो टानिक की जरूरत नहीं रहती है लेकिन अगर साधारण सदस्य को हो तो क्या होगा?

श्री प्रतापसिंह—

विधान सभा या परिषद् के सदस्यों को जो दवायें नियमानुसार मिलनी चाहिये उनमें कोई कटौती नहीं की गयी है लेकिन जो एक चिट लिखकर सौ, दो दो सौ गोलियां मंगा ली जाती थीं उस पर रोक है और उस को रोकने का हमरा अधिकार भी है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सारे सदस्यों को अपमानित कर रहे हैं [* * * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह झूठ बोल रहे हैं शब्द अनुचित है, आप वापस लें। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इसे फिर से कह रहा हूं कि [* * * *]

(अत्यधिक व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने अभी कहा कि "झूठ बोल रहें हैं" इसको आप वापस लीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मन्त्री जी ने यह वक्तव्य दिया कि सदस्य १००, १०० और २००, २०० गोलियां मंगा लेते थे। मैं इसको फिर दोहराता हूं कि [* * * *]।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको अनुचित मानता हूं कि और इसको मैं कार्यवाही का भाग नहीं मानता हूं। अगर कोई बात गलत हो तो उसको तर्क से सिद्ध करें कि यह गलत है लेकिन सीधे यह कहना कि वह "झूठ बोल रहे हैं" यह शोभनीय नहीं है।

[* * * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस किस्म की जब भी प्रक्रिया हुई है और किसी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वह झूठ बोल रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से कहा है तो उससे सदा सदन का अवमान हुआ है। इसको उनको सीधे वापस लेना चाहिये। जब हम वापस नहीं लेते तो हमको बाहर निकाल दिया जाता था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको स्वंय कहा कि इसको वापस लीजिये। तब उन्होंने वापस नहीं लिया।

श्री उग्रसेन—

सदन की व्यवस्था, आदर, गौरव और गरिमा आपके हाथ में सुरक्षित हैं। चाहे इधर से, या उधर से अगर कोई माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना होगा।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैंने स्वंय इसको अनुचित समझा और अनुचित समझकर मैंने उनको रोका। उसके बाद उन्होंने वापस नहीं लिया। तो अब मैंने उसको अनुचित समझकर उसको कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय मैं यह बात नहीं सुन पाया जो अभी एक सदस्य ने दोहराया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि २००, ४०० गोलियां सदस्य मंगा लेते थे और उनको बेच लेते थे। तो क्या यह बात उन्होंने कही ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने यह कहा कि मैंने उस प्रथा को समाप्त कर दिया है जब पर्ची भेजकर १००, २०० गोलियां तक मंगा लिया करते थे एक मुश्त, उस प्रथा को अब समाप्त कर दिया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त खेद के साथ केवल एक बात का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे मित्रों को इस बात का बुरा लगा जो हमारी ओर से कहा गया। मुझे स्वंय इस पर खेद है। यह बहुत अच्छा नहीं मालूम होता है कि किसी के संम्बन्ध में इस प्रकार से कहा जाय कि वह झूठ बोल रहे हैं। मैं इसका नोटिस देता हूं इस दृष्टि से कि इससे सदन का अवमान हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय अभी जो घटना सदन में हुई है वह बहुत खेदजनक है। आपने आदेश दिया कि वह वापस लें और 'झूठ बोल रहे हैं' इस शब्द को वापस लें। उसके बाद उन्होंने अफसोस भी जाहिर नहीं किया और न इसको वापस ही लिया बल्कि कहा कि इसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं। उसके बाद आपने यह व्यवस्था करने को कहा कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। इससे नियमों का पालन नहीं होगा। आपकी आज्ञा का वह पालन करें और नहीं करते हैं तो सदन से बाहर जाने की कार्यवाही करनी चाहिये। क्या केवल इतनी बात कह देने से यहां पर व्यवस्था कायम हो जायगी। कोई भी बात कोई सदस्य कहकर यह आशा करेगा कि यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा और आपकी आज्ञा का या नियमों का उल्लंघन करेगा। इतनी व्यवस्था आप अवश्य करें कि तुरन्त यदि कोई सदस्य खेद प्रकाशन नहीं करता और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उनको सदन के बाहर जाना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है कि मन्त्री जी ने जिस प्रकार के उत्तर दिये उस संबंध में मैंने कहा। आप कोई निर्णय देने के पहले एक बात पर विचार कर लें कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने कहा कि सदस्य १००, २०० गोलियां अस्पताल से मंगा लिया करते थे और उनका दुरुपयोग होता था। मेरा तात्पर्य यह था कि यह उनका वक्तव्य असत्य है।

श्री अध्यक्ष--

"असत्य" कहना दूसरी बात है लेकिन "झूठ बोल रहे हैं" यह कहना दूसरी बात है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

किसी खास शब्द पर यदि आपत्ति हो तो मैं उसको वापस लेता हूं लेकिन यह अवश्य जरूर है।

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरी बात है।

श्री कृष्णानन्द राय--

यदि आप चाहें तो इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी में भेज दें उस में इस बात का फैसला हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप कोई ऐसा प्रश्न भेजेंगे तो मैं उसे देख लूंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

उस के लिये आचार्य जी ने नोटिस तो दे दिया है यह बात सही है लेकिन जो कुछ हाउस में कहा जाय उसका निर्णय तो श्रीमन् हाउस में उसी समय करना चाहिये। यह मेरी आप से दरख्वास्त है। झूठ और सच की बात मैं नहीं कहता, मगर यदि हाउस में कहा जाय कि माननीय सदस्य दो सौ चार सौ गोलियां मंगा लेते हैं यह इन्डाइरेक्टली तमाम सदस्यों पर एक किस्म का लांछन है और मैं निश्चित रूप से इस बात को समझता हूं कि उनके ऊपर यह लांछन लगा कर इस सदन का अवमान किया गया है। मेरी आप से दरख्वास्त है कि अगर माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ खेद प्रकट करना चाहते हैं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, वरना इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही आप इसी समय अभी सदन में करिये।

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिये फौरन इस को तय करना असंभव है क्योंकि यह बात सत्य भी हो सकती है कि किसी सदस्य ने दो सौ गोलियों का परचा भेजा हो। तो वह बात सच हो जायगी। इसलिये अगर कोई इसे अवमान का प्रश्न समझता हो तो वह प्रिविलेज का नोटिस दे दे तो मैं इस पर विचार कर लूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी को कृपा कर नोटिस दें कि यदि किसी सदस्य ने परची भेज कर दो सौ या सौ गोलियां मंगायी हों तो वह उसे दिखायें और यदि यह बात वह सिद्ध न कर सकें तो उन्हें इस गलत बयानी के लिये अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह--

मैं माननीय सदन का भ्रम मिटाना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि कांग्रेसी सदस्य परची भेज कर गोलियां मंगाते हैं। मैं फिर अपने स्टेटमेंट को दोहराता हूं। जो मैंने कहा है वह मैं

फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने यह कहा कि माननीय सदस्यों के दवा कराने के, इलाज कराने के जो नियम थे नियमों में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दवायें उनको उनके अनुसार दी जायंगीं लेकिन जो सदस्य २० गोली, १०० गोली या २०० गोली पर्ची लिख कर मंगा लिया करते थे उस संबंध में मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने उस प्रथा के लिये अपने डाइरेक्टर को लिख कर भिजवा दिया है कि पर्ची लिख कर दवा मंगाने की जो प्रथा है वह समाप्त कर दी जाय और सदस्यों को जिस प्रकार पहले दवा मिला करती थी वह मिलनी चाहिये और दो चार सौ गोलियों के लिये भले ही कोई लिखे, वह दवा पर्चियों पर न दी जाय। यह मैं फिर दुहरा रहा हूं।

श्री रामायण राय--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मंत्री जी का ऐसा कहना है कि उन्होंने टानिक वगैरह बन्द कर दिये हैं लेकिन बहुत सी दवाइयां जो टानिक भी हैं जैसे डायबिनीज, यूनियनमंजाइटिस, ग्लाइसीफेज आदि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और इस प्रकार की दवाइयां महीनों से डाक्टर देने से इन्कार कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी क्या मेरी बात को सूचना मान कर इस बात का पता लगाने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह--

माननीय रामायण राय जी ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है उसकी जांच की जायगी लेकिन मेरी सूचनानुसार दवाइयां वहां हैं। लेकिन आप कहते हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

श्रीमन् मैं यह अर्ज करना चाहता था कि माननीय रामायण राय जी ने जो बात कही है वह सही होगी। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दवाइयां बहुत किस्म की हैं और बहुत सी बीमारियों की हो सकती हैं और बढ़िया से बढ़िया और कीमती से कीमती हो सकती हैं और जरूरी भी हो सकती हैं यह बात ठीक है। लेकिन क्या यह आशा की जाती है कि यह जो डिस्पेंसरी है वह एक फर्स्ट क्लास हास्पिटल हो सकती है। तो हर प्रकार की दवाइयां वहां हों यह पासिबिल हो नहीं सकता केवल मामूली बीमारियों की दवा ही पासिबिल हो सकती है। दवाइयां तो बहुत कीमती कीमती और सीरियस मैलेडी की भी होनी चाहिये लेकिन इस डिस्पेंसरी से यह आशा नहीं की जा सकती।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री राजबहादुर द्विवेदी--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

रामनगर वन खण्ड में वन सम्पदा को क्षति

*३--श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री इन्द्रलाल (जिला नीताल)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के राम नगर वन खण्ड के अन्तर्गत फतेहपुर, वीर वल्यूटी में माह जुलाई, १९६६ में वन सम्पदा की क्षति के कितने जुर्म बीट इन्चार्ज द्वारा इजराय किये गये और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही रेंज आफिसर ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)--

जिला नैनीताल के रामनगर वन खण्ड के अन्तर्गत रेन्ज फतेहपुर, बीट वल्यूटी में बीट इन्चार्ज द्वारा माह जुलाई, १९६६ का एक जुर्म नामालूम इजराय किया गया। रेन्ज आफिसर ने फौरन ही स्वयं मौके पर जाकर जांच की तथा सारे जंगल का निरीक्षण किया। इस जांच

के फलस्वरूप यह पाया गया कि जुर्म रिपोर्ट में दर्शाये गये वृक्ष सन् १९६५–६६ हकूक के मार्च के महीने में ग्रामवासियों को छाप कर दिये गये थे। केवल २ पेड़ ८ इंच व्यास तक के ना जायज तौर पर काटे हुये मिले। इसके उपरान्त उप–प्रभागीय अधिकारी, फतेहपुर ने फिर मौके की जांच की और रेन्ज आफिसर के जांच को सत्य पाया। उक्त दो पेड़ों को काटने वाले का कोई पता न चला इस कारण मामला समाप्त कर दिया गया तथा बीट फारेस्ट गार्ड को भविष्य के लिये अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने के लिये उप–अरण्यपाल द्वारा लिखित आज्ञा जारी की गई।

श्री गोपालदत्त ओझा—

में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जुर्म नामालूम इजरा किया गया इसमें कितने पेड़ों की तादाद थी और जुर्म रिपोर्ट में दर्शाये गये थे ये वृक्ष सन् १९६५–६६ के हकूक में किन-किन व्यक्तियों को छाप कर दिये गये, उनका नाम व पता बता सकेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जो वृक्षों की संख्या थी वह १० थी और फारेस्ट गार्ड को वहां से बदल दिया गया।

श्री इन्द्रलाल—

फारेस्ट गार्ड को जो लिखित आज्ञा दी है क्या उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

फारेस्ट गार्ड से संबंधित, जो आफिसर था उसको संकेत कर दिया गया कि वह भविष्य में अपने कर्तव्य पालन करने में सावधान रहें और कोई गलत जुर्म रिपोर्ट अपने को बचाने के लिये इजरा न करें–इसे नोट करवा करके वापस करें।

टिहरी-गढ़वाल में वन पंचायतें

*४–श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी–गढ़वाल)—

क्या निकट भविष्य में सरकार टिहरी-गढ़वाल में वन पंचायतें बनाने की सोच रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री राम चन्द्र विकल—

टिहरी-गढ़वाल के संयम जंगलों में वन पंचायतें बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में कोई निश्चित अवधि बताना अभी संभव नहीं है।

श्री इन्द्रमणी—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जब पौड़ी, अल्मोड़ा, और दूसरी जगहों पर वन पंचायतें हैं तो टिहरी–गढ़वाल में क्यों नहीं आज तक बनी ?

श्री राम चन्द्र विकल—

कुमायूं क्षेत्र फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह सवाल पैदा हुआ, तब से विचाराधीन है। अभी नैनीताल में एक कमेटी फिर दोबारा हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि कुमायूं की पंचायत नियमावली यहां पर भी लागू की जाय।

श्री इन्द्रमणी—

यदि कुमायूं फारेस्ट रूल्स यहां पर लागू नहीं होते हैं तो क्या महाराजा साहब के समय के बने कानून यहां पर अभी तक लागू होते हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

झांसी मेडिकल कालेज में पढ़ाई

*५—श्रीमती बेनी बाई (जिला झाँसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी मडिकल कालेज में कब से पढ़ाई की कक्षायें शुरू की जायंगी ?

श्री प्रतापसिंह—

अभी यह निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है कि झाँसी मेडिकल कालेज में पढ़ाई की कक्षायें कब से आरम्भ होंगी। किन्तु इस कालेज के लिये पचास विद्यार्थियों को प्रवेश देकर अगले शिक्षा सत्र से उन्हें मेरठ मेडिकल कालेज में पढ़ाने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। बाद में ये छात्र झाँसी मेडिकल कालेज में उसके चालू हो जाने पर स्थानान्तरित किये जा सकेंगे।

श्रीमती बेनी बाई—

यहां के छात्रों को जो डिग्रियां दी जायेंगी वे क्या झांसी मेडिकल कालेज के नाम से दी जायगीं या मेरठ मेडिकल कालेज के नाम से ?

श्री प्रतापसिंह—

चौथी योजना में मेरठ कालेज, झांसी मेडिकल कालेज तथा गोरखपुर में मेडिकल कालेज बनाने का प्रश्न था, लेकिन जब मैंने इस विभाग को संभाला तब तक वहां जमीन एक्वायर नहीं हुई थी, अब जमीन एक्वायर हो गयी है। हम मेरठ कालेज में ही पढ़ायेंगे और जिस तरह मेडिकल छात्रों को डिग्रियां दी जाती हैं, वही रिकगनाइज्ड डिग्रियां इन्हें भी दी जायेंगी।

श्री रामायण राय—

क्या यही व्यवस्था गोरखपुर वालों के लिये लखनऊ मेडिकल कालेज में रहेगी ?

श्री प्रताप सिंह—

हमार विचार है कि गोरखपुर में जमीन मिल जाये तो वहां शीघ्र ही हम कन्स्ट्रक्शन शुरू कर दें और वहां कक्षायें शुरू कर दें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

यह बताने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि कितने वर्ष में झांसी के कालेज में पढ़ाई शुरू हो जायगी? किराये का मकान लेकर शुरू की जा सकती है।

श्री प्रतापसिंह—

मदरसा या और कोई मामूली विद्यालय किराये का मकान लेकर खोला जा सकता है। मेडिकल कालेज में कास्टली लब होती है, इसलिय उनको सुविधा मेरठ कालेज में दे रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो झाँसी मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के लिये प्रबन्ध किया है वही गोरखपुर वालों के लिये करने में क्या दिक्कत है ?

श्री प्रतापसिंह—

इस पर विचार किया जायगा ।

पशु चिकित्सालय, बरेली

*६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बरेली शहर के पशु चिकित्सालय की दवाइयों तथा कर्मचारियों पर अलग-अलग वर्ष १९६६-६७ में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री रामचन्द्र विकल—

बरेली शहर के पशु चिकित्सालय की दवाइयों तथा कर्मचारियों पर वर्ष १९६६-६७ में निम्नलिखित धन का व्यय किया गया :—

दवाइयों पर	..	.. २,२७५.४१ रु०
कर्मचारियों पर	..	.. १२,४६१.६० रु०

महिला नर्स और पुरुष नर्स

*७—श्री रमाबल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सेवा में पुरुष नर्स और महिला नर्स के वेतन-स्तर और सुविधायें एक-सी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर मिश्र)—

जी हां । राजकीय सेवा में पुरुष नर्स और महिला नर्स के वेतन स्तर और सुविधायें पदोन्नति के मसलों को छोड़कर एक-सी हैं । महिला नर्सों की पदोन्नति मैट्रन और सीनियर मैट्रन के पदों तक हो जाती है । पर प्रशासकीय दृष्टि से इन पदों पर पुरुष नर्सों का लाना ठीक नहीं समझा गया है ।

श्री रमाबल्लभ मिश्र—

हमारे देश के संविधान के अनुसार महिला प्रत्येक पद पर हो सकती है तो पुरुष नर्सों के लिये ऐसा प्राविधान क्यों नहीं किया गया है कि उनका भाग्य सीमित कर दिया गया है ? १५ साल की नौकरी वाले जूनियर हो गये हैं ?

श्री प्रतापसिंह—

पुरुष नर्सों की भी उन्नति होती है लेकिन जैसे महिला नर्सों की है वैसे नहीं । पुरुष नर्स वार्ड मास्टर और ट्यूटर हो सकते हैं । उनके वेतन और अन्य सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री धर्मवीर—

क्या महिला नर्सों के कार्य से मंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि है ?

श्री प्रतापसिंह—

मुझे तो प्रत्येक कर्मचारी के काम से जो अच्छा काम करता है, संतुष्टि है । लेकिन २० साल के जो हमारे मित्रों के बनाये नियम हैं उनके माडीफिकेशन में कुछ देर लगेगी ।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

जो प्रतिबन्ध पुरुष नर्सों पर इस समय लगा है उसे मंत्रीजी उठा दें ताकि उन्हें भी अपनी एफीशियेंसी दिखाने का मौका मिले ?

श्री प्रतापसिंह—

जब महिला नर्सों की पदोन्नति होती है तो महिला अस्पतालों की भी वे इन्चार्ज होती हैं। प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से नहीं हो सकता है। हमारे लायक दोस्त कोई विशेष योजना बना कर देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मीमरण आचार्य—

क्या २० वर्ष के नियमों में माडीफीकेशन करने का उनके मन में कोई इरादा है ? २० साल का नाम जो बार-बार लिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह—

यहीं २० साल में जरा भी वार्ड नहीं बढ़ा है। पानी की टंकी चू रही है। नर्सिंग होम हास्पिटल में होना चाहिये, जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

महिला और पुरुष नर्सों के वेतन में जो अन्तर है उसे दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह—

मैंने तो कहा कि उनके वेतन और अन्य सुविधायों में कोई अन्तर है ही नहीं।

आगरा जिला अस्पताल में मरीजों को खाना न मिलने की शिकायत

*८—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आगरा जिला अस्पताल के कुल रोगियों को दिनांक २३ जून, १९६७ को सायंकाल का तथा २४ जून, १९६७ को प्रातः काल का भोजन नहीं मिला ? इस प्रकार किसी भी रोगी को २४ घंटे तक कोई भोजन या दूध नहीं मिला ? यदि हां तो इसका क्या कारण है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जी नहीं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

आगरा जिले के अस्पताल के रोगियों को २३ जून की सांयकाल और २४ जून की प्रातः काल भोजन और दूध नहीं मिला है। मैं स्वयं अस्पताल में डाक्टर और रोगियों से और सिविल सर्जन से मिला। उन सबने इसे स्वीकार किया ? तो क्या मंत्री जी फिर से जांच कराके संबंधित लोगों को दंडित करेंगे ?

श्री प्रतापसिंह—

जिस रतन सिंह ने तार दिया उसने फिर लिखा है कि उससे धोखे में दस्तखत कराये गये। तो भी मैं उसकी फिर से जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि सदन के एक सम्मानित सदस्य अपनी निजी जानकारी के आधार पर कोई बात कर रहे हैं तो वह गम्भीर हो जाती है। मंत्री जी का कर्तव्य और

जिम्मेदारी हो जाती है कि वह फिर से जांच करावें और यदि किसी अधिकारी की गलती है तो दंड देकर सदन को बतावें। यह सदन का अधिकार हो जाता है।

श्री प्रताप सिंह—

मान्यवर की आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

रतन सिंह का पत्र इस प्रश्न के बाद का है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इसकी फिर से जांच कराई जाय।

श्री प्रतापसिंह—

मैंने अभी कहा कि मैं इसकी पुनः जांच कराऊंगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय सदस्य, श्री अग्रवाल ने माननीय मंत्री जी को पहले सूचना दी थी कि इस संबंध में उन्हें व्यक्तिगत जानकारी है ?

श्री प्रताप सिंह—

जैसे प्रश्न पूछा गया था, वैसे ही मैंने उसका उत्तर दिया और मैंने उनको आगे भी जांच करने का आश्वासन दिया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने एक गंभीर विषय में प्रश्न पूछा था। मैं श्रीमन् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि माननीय मंत्री जी इस सदन के सदस्यों से कितने हल्केपन से व्यवहार करते हैं। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता था कि माननीय मंत्री जी सदन को यह बात बताने में क्यों हिचकते हैं कि माननीय अग्रवाल जी ने मंत्री जी को क्या यह भी बात बतायी थी यह नहीं कि इस बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्नों से बिलकुल स्पष्ट हो गया। जो उनका प्रश्न था उसी के बारे में उन्होंने उनको सूचना दी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रश्न के अतिरिक्त क्या माननीय अग्रवाल जी ने मंत्री जी को व्यक्तिगत सूचना दी थी कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी में यह बात है ?

श्री प्रताप सिंह—

प्रश्न का उत्तर पहुंच जाने के बाद आज सुबह रमा शंकर जी जब मुझे मिले तब उन्होंने इस बात को बताया कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी में यह बात है और प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह उचित नहीं है। मैं इस बारे में आपसे फिर सवाल करूंगा। मैंने कहा कि कर लीजिये, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

गोरखपुर जिले में सेवई बाजार व मिर्जापुर में औषधालय खोलने की प्रार्थना

*९—श्री अश्विनी कुमार शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के सेवई बाजार तथा मिर्जापुर में राजकीय अस्पताल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या जनता तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा इन दो स्थानों पर अस्पताल खोलने की मांग पर विचार किया जायगा ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। सेवई बाजार केवल १,००० की आबादी का छोटा-सा ग्राम है जिससे लगभग ७ मील पर गोरखपुर का सदर अस्पताल और ५ मील पर मालौन का अस्पताल है। मिर्जापुर ग्राम की भी आबादी १,००० है। इस ग्राम से ५ या ६ मील पर सदर अस्पताल गोरखपुर है और उतनी ही दूरी पर दूसरी डिस्पेन्सरी खोवराभार्ट है। इसलिये इन ग्रामों में अस्पताल खोलने की नितांत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री अश्विनी कुमार—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि दोनों स्थानों से डिस्पेंसरी ५–६–७ मील की दूरी पर होगी। फीते सीधा नापने पर यह भले ही हो लेकिन १० मील से कम फासला नहीं होगा और दूसरी डिस्पेंसरी के बीच में नदी पड़ जाती है। अगर जांच से यह बात सही मालूम पड़े तो क्या मंत्री जी वहां पर डिस्पेंसरी खुलवाने की कृपा करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—

हमारे प्रदेश में ९०० डाक्टरों की कमी है, उसको पूरा किया जा रहा है। बजट को देखते हुये डिस्पेंसरी खोलना अभी संभव न होगा लेकिन चूंकि मेरे लायक दोस्त जनता के हित में ही यह बात कह रहे हैं इसलिये ग्रामीण चिकित्सा के अन्तर्गत हफ्ते में एक दिन डाक्टर वहां जा सकेगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अश्विनी कुमार—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि वहां पर यातायात का कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी वहां पहुंच नहीं पाती इसलिये यदि वहां के लोग इसमें कुछ मदद करें तो क्या सरकार कुछ आंशिक सहायता देने को तैयार है।

श्री प्रतापसिंह—

अगर आप यह लिख कर भिजवा दें कि वहां पर मकान, जमीन और १०–१५ हजार रुपय अगर आप लोग देंगे तो सरकार भी उसमें मदद करेगी।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पिछली बार भी ऐसा आश्वासन दिया था कि देहाती डिस्पेंसरियों में हफ्ते में एक बार डाक्टर पहुंच जाया करेगा, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी कोई डाक्टर नहीं पहुंच पाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह आश्वासन चाहता हूं कि कोई ठोस योजना इस बारे में मंत्री जी चलायें जिससे डाक्टर समय पर वहां पहुंच जाया करे।

श्री प्रताप सिंह –

मान्यवर, पिछले ४ मास से यह नियम बनाया है कि २० मील की रेडियस में जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां सप्ताह में एक बार डाक्टर जाते हैं, यही नहीं सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी जाते हैं। अगर कोई डिस्पेंसरी अब भी छूट गई है और मेरा ध्यान आकृष्ट किया जायगा तो वहां भी दिखा लेंगे।

श्रीमती कैलाशी देवी, मिडवाइफ, बरहलगंज के वेतन का भुगतान

*१०—श्री अश्विनी कुमार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कैलाशी देवी, मिडवाइफ, विकास क्षेत्र, बरहलगंज, जिला गोरखपुर का वेतन पिछले बारह मास का बाकी है? इसका क्या कारण है?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जी नहीं। श्रीमती कैलाशी देवी, मिडवाइफ, विकास क्षेत्र बरहलगंज, जिला गोरखपुर के छुट्टियों का वेतन तथा कुछ समय का आंशिक वेतन समय से नहीं दिया जा सका था। इसका मुख्य कारण था कि वह उन दिनों (मार्च से अक्तूबर, १९६६ के बीच) म अधिक समय तक छुट्टी पर थी और उनका स्थानान्तरण एक जगह से दूसरी जगह होता रहा। उनका बकाया वेतन भुगतान कर दिया जा चुका है।

श्री अश्विनी कुमार—

उत्तर में कहा गया है कि १२ मास का वेतन बाकी नहीं है और यह भी कहा गया कि उन का छुट्टियों का वेतन और कुछ समय का आंशिक वेतन कम दिया गया था तो वह कितने दिन का बाकी था ?

श्री प्रताप सिंह—

उनकी अर्नलीव का १७–३–६६ से २५–४–६६ तक का और २६–४–६६ से ३०–४–६६ तक का पुराना वेतन बाकी था जिसका भुगतान कर दिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो वेतन बाद में दिया गया है उसके भुगतान की तिथि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रताप सिंह—

७–९–६७ को उसका भुगतान किया गया।

श्री अश्विनी कुमार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उसका वेतन गोरखपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पहले से निकाल लिया था और उसका पेमेन्ट अब प्रश्न के बाद किया गया है ?

श्री प्रताप सिंह—

मेरे लायक दोस्त जो कह रहे है उसका मैं यकीन करता हूं और अगर ऐसी बात होगी तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह का नया भवन

*११—श्री नारायण सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगोह, जिला सहारनपुर के अस्पताल की बिल्डिंग जो ६ साल से तैयार है, जिसमें अब तक डाक्टर व उनका स्टाफ पुरानी बिल्डिंग छोड़ कर नहीं गया है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं गया ? यदि जायगा, तो कब तक ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय "गंगोह" जिला सहारनपुर का नव–निर्मित भवन ६ साल से बन कर पूर्ण तैयार है। इस भवन के निर्माण में बहुत सी कमियां है। निकट भविष्य में जब भी यह कमियां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरी कर दी जायेंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय इस नव निर्मित भवन में डाक्टर व स्टाफ सहित चला जायेगा।

श्री नारायण सिंह—

मंत्री जी ने बताया कि यह इमारत नामुकम्मिल थी, मैं उन से जानना चाहता हूं कि उस इमारत का क्या अब भी काम जारी है या नहीं और अगर नहीं है तो इस वक्त वह किस के चार्ज में है ?

श्री प्रताप सिंह—

स्वास्थ्य केन्द्र और स्टाफ नर्सेज के क्वार्टर्स तैयार हैं, बिजली लगना बाकी है, पी० डब्लू० डी० से चार्ज लेना बाकी था और उसकी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नारायण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि चार्ज नहीं लिया गया है लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि इसका चार्ज बी ० डी० ओ० ने लिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि अब उस बिल्डिंग को प्रयोग में न लेने का क्या कारण है ?

श्री प्रताप सिंह—

इस प्राइमरी हैल्थ सैन्टर का चार्ज गलती से बी० डी० ओ० ने ले लिया था जो उन्हें नहीं लेना चाहिये था । इस बिल्डिंग में जो कमियां हैं जैसे छत ठीक होनी है, बिजली ठीक से लगनी है, फर्श ठीक नहीं हुआ है, और दरवाजे ठीक से नहीं लगे हैं । बिल्डिंग की हालत खराब है । पहले तो उसे ठीक कराया जा रहा है परन्तु जैसे ही ठीक हो जायगी उसका चार्ज लेकर उसे प्रयोग में लाया जायगा ।

झांसी जिला अस्पताल की एक्स-रे मशीन

*१२—श्रीमती बेनी बाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन कई महीने से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कृष्ण बहादुर मिश्र—

जिला अस्पताल, झांसी की एक्सरे मशीन अब खराब नहीं है ।

श्रीमती बेनी बाई—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल में एक्सरे मशीन कितने महीने खराब रही और इस बीच में मरीजों के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री प्रताप सिंह—

श्रीमन्, इसकी सूचना तो इस समय नहीं है कि कितने दिनों यह मशीन खराब रही परन्तु जब प्रश्न पूछा गया और जांच की गयी, तब पता चला कि यह खराब थी ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना होनी चाहिये थी । यह तो प्रश्न से बिलकुल संबंधित बात थी ।

श्री रामायण राय—

केवल झांसी में ही नहीं, अपितु प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ये घटनायें आये दिन हुआ करती हैं । लाखों रुपये की ये मशीनें और इलक्ट्रिक काइडोग्राम की मशीनें खरीदी गयी हैं लेकिन टक्नीशियन्स के अभाव में ये वर्षों तक खराब पड़ी रहती हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस दिक्कत या अव्यवस्था को दूर करने के लिये वे क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री प्रताप सिंह--

श्रीमन्, एक्सरे मशीन के टेक्निशियन्स की कमी पिछले कई वर्ष से रही। प्रयास किया जा रहा है कि या तो अपने कम्पाउन्डरों को इसका काम सिखाया जाय या फिर कोई ट्रेनिंग सेन्टर आरम्भ किया जाय।

पिथौरागढ़ अस्पताल को दवाइयां

*१३--श्री गोपाल दत्त ओझा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जिले के लिये भेजी जाने वाली कुछ दवाइयां निदेशक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के कार्यालय में पड़ी हैं और जिले को नहीं भेजी गईं ?

श्री कृष्णबहादुर मिश्र--

जी नहीं। पिथौरागढ़ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जिन दवाइयों की मांग मई, १९६७ में की थी, उन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने जून, १९६७ में भेज दी थीं।

श्री गोपाल दत्त ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दवाइयां गत एक साल के अन्दर पिथौरागढ़ में भेजी गयी हैं, वे कितनी कीमत की थीं ?

श्री प्रताप सिंह--

श्रीमन्, इसके लिये तो मैं सूचना चाहता हूं। लेकिन माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल जो २ साल से था सार्वजनिक निर्माण विभाग से लड़ाई लड़ कर ले लिया गया है और ४ दिन हुये वहां पर पर्याप्त दवाइयां भेज दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

विभागों से लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाती है ?

श्री इंद्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, जो प्रश्न पूछा गया और जो उत्तर दिया गया, उसमें कोई सामन्जस्य नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

अवैध रूप से शिकार करने वाले सरकारी कर्मचारी

*१४--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री विष्णु प्रतापसिंह तथा श्री रफी मुहम्मद खां (जिला गोंडा)--

प्रथम सत्र १९६७ के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी जो पकड़े गये उन पर कितना जुर्माना किया गया और वह किस-किस विभाग के और किस पद पर हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल--

प्रथम सत्र १९६७ के दूसरे बुधवार को तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में जिन सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का उल्लेख किया गया है उनसे वसूल किया गया जुर्माना उनके विभागों के नाम तथा उनके पद नाम सलग्न तालिका में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०१-५०२ पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट दी है उसमें बहुत बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, जैसे अधिशासी अभियन्ता, उप विकास आयुक्त और जब लाइसेंस बंदूक या राइफल का दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि लायबिल टू बी कैंसिल्ड इन डेलीबरेट ब्रीच आफ गेम्स रूल्स। तो इन लोगों ने गेम्स रूल्स का ब्रीच किया इसलिये इनके लाइसेंस के कंसीलशन के लिये लिखा गया है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

लाइसेंस कैंसीलेशन की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन उच्च अधिकारियों को भी जुर्माने से नहीं बख्शा गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना हो जाय तो उस पर विभागीय कार्यवाही भी होती है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

ये विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी हैं, मेरे विभाग के नहीं हैं। लेकिन अगर आप नोटिस देंगे तो उन विभागों की जानकारी करके दे दूंगा।

श्री राममूर्ति—

वन मंत्री जी को ज्ञात है कि अगर किसी कर्मचारी पर जुर्माना यह सजा हो जाय तो फिर वह नौकरी म नहीं रखा जाता है। अगर ऐसे वाकयात हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राम चन्द्र विकल—

दूसरे विभागों से ये अधिकारी संबंधित हैं। उन को हमने इत्तला भी दी है। लेकिन जुर्माना जो हुआ वह काफी है और सजा की बहुत जरूरत में नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जुर्माना होने पर नौकरी पर प्रभाव पड़ जाता है। इस बात को अगर आप मानते ह तो इस विषय में कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री राम चन्द्र विकल—

हमारे विभाग का सम्बन्ध जुर्माना करना था वह कर दिया, विभिन्न विभागों के ये अधिकारी हैं वह अगर सजा देंगे तो मैं रोकूंगा नहीं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

मंत्री जी बतायगे कि विभिन्न विभागों के अफसरों को सूचना कब दी गयी है, तारीख बतायेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट जैसे अधिकारी को सजा दी गयी है, जैसे कानपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने भी गेम्स रूल्स के खिलाफ काम किया है। तो अब तक सामान्य प्रशासन विभाग ने इन बड़े-बड़े अधिकारियों के विरुद्ध क्यों नहीं नियमतः कोई कार्यवाही की ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जिला मैजिस्ट्रेट इस सवाल से संबंधित नहीं हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

प्रश्न संख्या १६ के सिलसिले में सिद्धू साहब का नाम है जो पहले मुख्य मंत्री के सचिव रह चुके हैं और आज कल कानपुर के जिलाधीश हैं, वह रूल्स वायलेट करते हुये पकड़े गये । तो मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेम्बर रहा हूं । वन मंत्री ने गलत कहा है मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह तो १४ नम्बर का सवाल चल रहा है । १६ नवम्बर का जो सवाल है उसमें सिद्धू साहब आते हैं, इसमें नहीं ।

लखनऊ जिले की सहकारी संस्थाओं में नामांकन

*१५—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद) तथा श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों, जिला कोआपरेटिव फेडरेशनों प्रदेश कोआपरेटिव बैंकों, जि० लखनऊ में जिन लोगों को प्रदेशीय सरकार या रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश द्वारा ६ अप्रैल, १९६७ से ३ जून, १९६७ के बीच नामजदगी की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री गंगाभक्तसिंह)—

वांछित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०३–५०९ पर)

शिकार नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या प्रथम सत्र १९६७ के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सन्दर्भ में वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दो आई० ए० एस० तथा ४ गजटेड अधिकारी पकड़े गये हैं उनके नाम क्या हैं ? और वह प्रदेश में किस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

कथित २ आई० ए० एस० तथा ४ अधिकारियों के नाम एवं पद इस प्रकार हैं—

१—श्री एस० एस० सिद्धू,

उस समय मुख्य मंत्री के सचिव ।

२—श्री ए० एस० बहेल, उप विकास आयुक्त, फैजाबाद ।

३—श्री एस० एम० हुसैन, ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर आयल ऐण्ड नेचुरल गैस कमीशन, देहरादून ।

४—श्री मुस्तफा हुसैन, अधिशासी, अभियन्ता, ओवरा बांध ।

५—श्री आर० के० जैन, अधिशासी अभियन्ता, ओवरा बांध ।

६—कर्नल एस० सी० सब्बरवाल, इण्डियन मिलीटरी एकेडेमी, देहरादून ।

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खमियां ब्लाक को वन भूमि पर कब्जा

*१७—श्री इन्द्रलाल—

५ जुलाई, १९६७ को प्रश्न संख्या २० व २१ के उत्तर के क्रम पर क्या वन मंत्री बतायेंगे कि श्री गोसाई राम 'जनप्रिय' का गम्भीर आरोप—पत्र, २७ जून, १९६७ का किस तारीख को मंत्री जी के कार्यालय में पहुंचा और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामचन्द्र विकल—

श्री गोसाई राम जनप्रिय का दिनांक २७—६—६७ का पत्र माननीय सदस्य के पत्र दिनांक २८—६—६७ के साथ दिनांक २९—६—६७ को प्राप्त हुआ। चूंकि पत्र में उल्लिखित विषय से वन विभाग सम्बन्धित नहीं था अतएव उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधीश, नैनीताल के पास भेज दिया गया था। जिसकी सूचना श्री गोसाई राम को भी दे दी गई थी।

*१८—श्री इन्द्रलाल—

क्या वन मंत्री कृपया बातयेंगे कि वन विभाग की जो रसीदें प्राप्त हैं, वह किन-किन व्यक्तियों क नाम से कितने—कितने रुपये वसूली की हैं और किसके हस्ताक्षरों द्वारा जारी की गई हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

सूचना संलग्न है।

(देदिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१० पर।)

संचालक, जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१९—श्री अश्विनी कुमार—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जून १९६७ में यू० पी० बैंक इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसाइटी, गोरखपुर ने जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के प्रथम संचालक के विरुद्ध कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

प्रेसीडेन्ट, यू० पी० बैंक इम्प्लाईज कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, गोरखपुर का दिनांक ६—५—६७ का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें की गई शिकायतें मुख्यतः निम्न प्रकार की है :—

१—बैंक की आर्थिक दशा लगातार गिरती जा रही है।

२—प्रशासनिक व्यय की अनावश्यक वृद्धि।

३—सहकारी नियम एवं बैंक नियमावली का उल्लंघन।

४—बैंक की सम्पत्ति का दुरुपयोग।

५—गुटबंदी।

६—बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति में अनियमितता।

शिकायती पत्र पर निबन्धक, सहकारी समितियों के प्रधान कार्यालय पर नियुक्त एक उप-निबन्धक द्वारा जांच कराई गई तथा उप निबन्धक, गोरखपुर को निबन्धक द्वारा आदेश दिया गया कि वे बैंक के संचालक मण्डल को निलंबित करने के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम के रूल ३१ के अनुसार कार्यवाही करें।

*२०—श्री अश्विनी कुमार—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि संचालक मण्डल, जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर को सुपरसीड करने की सिफारिश विभागीय अधिकारियों ने की है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंडल के विरुद्ध किन-किन लोगों ने गत दो माह में शिकायत की है ?

श्री गंगाभक्तसिंह—

जी हां ।

बैंक के संचालक मंडल को निलम्बित करने के सम्बन्ध में सहकारी अधिनियम के रूल ३१ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश उप निबन्धक, गोरखपुर को निबन्धक द्वारा दिये जा चुके हैं और वह इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिक कार्यवाही कर रहे हैं ।

दुग्ध निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*२१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में दूध की कमी को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश से देहली को दूध ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा द ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश से जो तरल दूध दिल्ली को जाता है उस पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है ।

मुजफ्फरनगर ज़िला सहकारी बैंक के संचालकों के विरुद्ध रिट

*२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर, जिला सहकारी बैंक के पांच संचालकों एवं प्रबन्धक संचालक आदि के निर्वाचन के विरुद्ध गत करीब एक वर्ष से उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में चार रिट दायर हैं ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

जी हां ।

गत वर्ष चार रिटें उच्च न्यायालय में दायर थीं जिनका निर्णय अब हो चुका है ।

*२३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त रिटों का सभी व्यय संचालक ने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया, बल्कि बैंक की ओर से किया गया है, जिस पर रिजर्व बैंक के निरीक्षकों या आडिटर्स ने सख्त एतराज किया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

व्यक्तिगत संचालकों के नाम बैंक ने कोई खर्चा नहीं किया । उक्त रिट में बैंक स्वयं पार्टी था, इसलिये संचालक मंडल के निर्णय अनुसार मामलों की पैरवी में बैंक द्वारा खर्चा किया गया है ।

गत वर्ष ६६–६७ का अभी कोई आडिट नहीं हुआ है और न रिजर्व बैंक का ही कोई एतराज इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ।

खीरी जिले में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि

*२४—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार को पता है कि जिला लखीमपुर–खीरी में वन विभाग की खेती योग्य भूमि हजारों एकड़ बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या वन मंत्री उस भूमि को भूमिहीन लोगों को पट्टे पर दिला कर प्रदेश की खाद्य समस्या को हल करने में सहायता करेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जिला खीरी में ऐसी वन भूमि जो वृक्षारोपण के उपयुक्त है उस पर वनारोपण की योजना बनाई जा चुकी है तथा यह कार्य धन उपलब्धता के साथ-साथ प्रगति करता रहेगा । कुछ ऐसी भूमि भी है जो वनारोपण योग्य नहीं है परन्तु वन भूमि का कृषि हेतु दिया जाना सरकार की नीति के विरुद्ध है ।

डी० सी० डी० एफ० के आनरेरी मंत्रियों का नामांकन

*२५—श्री मुक्तिनाथ राय तथा श्री राम अंजोर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में डी० सी० डी० एफ० के आनरेरी मन्त्रियों के पद पर किन-किन व्यक्तियों को नामजद किया है ? उनके नाम, पूरे पते की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

डी० सी० डी० एफ० के आनरेरी मंत्रियों के पद पर नामजदगी करने का अधिकार सरकार को नहीं है । ऐसे नामजदगी का अधिकार निबन्धक, सहकारी समितियों को है तथा कुछ डी० सी० डी० एफ० से सम्बन्धित संचालक मंडल को है । अतः डी० सी० डी० एफ० के आनरेरी मंत्रियों के पद पर सरकार द्वारा नामजद किये हुए व्यक्ति की सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

विकास खंड गौरा में वन भूमि पर नाजायज कब्जा

*२६—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत विकास खंड गौरा, ग्राम बैरमपुर में स्थित हरिजन एवं मुस्लिम बस्तियों को वन विभाग ने अभी मई, १९६७ में कटीले तार एवं पत्थर के खम्भों से चौतरफा घेर लिया है ? यदि हां, तो क्या वन विभाग की मंशा काश्त की भूमि को भी लेने का है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

सन् १९५३ में जो भूमि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी उसका सीमाबन्धन मुनारें लगाकर मई सन् १९६६ में किया गया । इस सीमा बन्धित क्षेत्र में १४ मकान व २ छप्पर हरिजनों एवं मुस्लिम के नाजायज बने हुये पाये गये । गांव वालों के जायज काश्त की भूमि को वन विभाग द्वारा लेने का मंशा नहीं है, परन्तु उपरोक्त ग्राम में राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गई भूमि में से ४ बीघा १९ बिस्वा २ बिस्वांसी भूमि पर गांव वालों ने गलत कब्जा कर रक्खा है और काश्त कर रहे हैं और उसे बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

साधन सहकारी समिति, बंशी के अधिवेशन से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*२७—श्री रामअधार (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, बंशी, विकास खंड अछल्दा, जिला इटावा के वार्षिक अधिवेशन, दिनांक १ जनवरी, १९६७ के अनियमित होने एवं

उसकी जांच कराने के लिये श्री राधवेन्द्र सिंह, सरपंच ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इटावा को कई प्राथना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच हुई और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगाभक्त सिंह--

साधन सहकारी समिति, बंशी, विकास खंड अछल ा, जिला इटावा के वार्षिक अधिवेशन दिनांक १-१-६७ के अनियमित होने के सम्बन्ध में श्री राधवेन्द्र सिंह का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ७-१-६७ सहायक निबंधक, इटावा को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र पर आवश्यक जांच कराने के बाद सहायक निबंधक, इटावा ने सुपरवाइजर को उपस्थिति में हुए वार्षिक अधिवेशन को वैध घोषित किया। सहायक निबंधक ने श्री राधवेन्द्र सिंह को यह भी सूचित किया कि यदि वे सहायक निबन्धक के निर्णय से असन्तुष्ट हैं तो सालसी कार्यवाही द्वारा अपने बाद का निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

मदरासी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार

*२८--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा तथा श्री भृगुनाथ (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदरासी, ब्लाक आराजी लाइन, वाराणसी में आयुर्वेदिक अस्पताल खुलने की योजना थी ? यदि हां, तो यह योजना कब तक सम्पन्न होगी ?

श्री प्रताप सिंह--

ग्राम मदरासी, ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं थी बल्कि एक प्रार्थना थी। चालू वित्तीय वर्ष में औषधालय की स्थापना करना सम्भव नहीं हो सका किन्तु अगले वर्ष एसे अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर पुनः विचार किया जायगा।

पी० एम० एस० डाक्टरों की ज्येष्ठता

*२९--श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेशीय मेडिकल सर्विस के कितने डाक्टरों की एफीसियेंसी बार कब से रुकी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३०--श्री अयोध्या प्रसाद आर्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० एम० एस० (टू०), और पी० एम० एस० (वन) दोनों को मिला कर जब पी० एम० एस० कर दिया गया और दोनों का वेतन-क्रम तीन सौ से नौ सौ तक कर दिया गया है ? यदि हां, तो सीनियारिटी लिस्ट बनाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री प्रताप सिंह--

पी० एम० ए० (टू) तथा पी० एम० एस० (वन) दोनों को मिलाकर पी० एम० एस० १-११-१९६४ से किया गया है। ज्येष्ठता निर्धारित करने के सिद्धातों के बारे में लोक सेवा आयोग की राय लेने में कुछ समय लग गया था। उसके बाद से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ज्येष्ठता सूची का आलेख्य तैयार कर रहा है।

रोडवेज कर्मचारी सहकारी दूकान, गोरखपुर में हिसाब की जांच

*३१—श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज रीजन में सन् १९६५, १९६६ से रोडवेज इम्पलाइज कोआपरेटिव कन्ज्यूमस सोसाइटी की दूकान चलाई जा रही है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ तथा १९६६–६७ में उक्त दुकान में कितने रुपये का हानि-लाभ हुआ ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

गोरखपुर रोडवेज विभाग के कर्मचारियों द्वारा ११–५–६५ को एक उपभोक्ता सहकारी समिति बनाई गई । समिति द्वारा चलाई जाने वाली दूकान मार्च १९६७ से बन्द कर दी गई । उक्त समिति द्वारा बनाई गई बैलेंश सीट के अनुसार १९६५–६६ में रु० ८८९.५० तथा १९६६–६७ में रु० ४३१.१५ की हानि हुई ।

*३२—श्री गौरी राम—

क्या यह सही है कि उक्त दूकान के हिसाब-किताब की जांच सन् १९६६–६७ में विभाग द्वारा की गई और कोई गबन पाया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जनरल मैनेजर रोजवेज गोरखपुर द्वारा नियुक्त एकाउन्ट पार्टी ने जांच के बाद एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार रू० २,१६२.७५ का स्टाक कम पाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दोनों वर्षों के एकाउंट का स्पेशल आडिट कराया जा रहा है । आडिट रिपोर्ट प्राप्त होते ही समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

महिला चिकित्सालय, पडरौना में बिजली व भोजन की व्यवस्था

*३३—श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया) तथा श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पडरौना, जिला देवरिया के जनाने अस्पाताल में बिजली न लगने का क्या कारण है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना (देवारया) जनरल तथा आंख के अस्पताल में मरीजों के भोजन की क्या व्यवस्था है ?

श्री प्रताप सिंह—

महिला चिकित्सालय पडरौना की बिजली को डी० सी० से ए० सी० में बदलने के लिये ४,४०० रुपये की स्वीकृति १९६४ में दे दी गई थी परन्तु नितांत आवश्यक न होने के कारण इसे संकट कालीन परिस्थिति में कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब इस कार्य को पूरा करने की लागत १०,३९० रुपया बताई गई है । इस सम्बन्ध में कुछ पूछ तांछ हो रही है । आशा है कि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जायगा ।

२—पडरौना के जनरल तथा आंख के अस्पाताल में मरीजों के भोजन देने के लिये १,००० रुपये की धनराशि स्वीकृति है इसकी उचित व्यवस्था अस्पताल के वर्तमान कर्मचारियों द्वारा की जाती है ।

चेचक निरीक्षकों की सेवायें

*३४—श्री गजाधर (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन विभाग में सम्मिलित किये गये चेचक निरीक्षकों की सेवायें भी मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की भाँति पूर्व सेवाकाल जोड़ी जायगी अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रताप सिंह—

इस मामले पर सरकार विचार करेगी ।

गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने का आयोजन

*३५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़), श्री वीर बहादुर, यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया), श्री राजदेव, भृगुनाथ चतुर्वेदी तथा श्रीमती यशोदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जो मेडिकल कालेज खोलने की योजना है, उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति है? भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री प्रताप सिंह—

गोरखपुर में मेडिकल कालेज के भवन निर्माण के लिये भूमि अर्जित कर ली गई है लकिन किसानों द्वारा इस भूमि पर फसल बो देने के कारण इस पर अभी पूरा कब्जा नहीं मिल पाया है । इसके अतिरिक्त, इस भूमि के ऊपर से विद्युत विभाग की हाईटेन्सन बिजलीकी लाइन होने के कारण भी कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है । इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । निर्माण कार्य के नक्शे व तखमीने भी तैयार हो रहे हैं ।

*३६—श्री नेकराम शर्मा, श्री वीर बहादुर, श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री राजदेव, श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी तथा श्रीमती यशोदा देवी—

अभी तक इस योजना को सक्रिय-रूप देने हेतु क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रताप सिंह—

स्थिति ऊपर प्रश्न ३५ के उत्तर में बतायी जा चुकी है ।

बांदा जिले में कृषि योग्य वन-भूमि

*३७—श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरगढ़ व मानिकपुर, वन खण्ड, जिला बांदा में कृषि योग्य भूमि भूमिहीन लोगों की खेती के लिये देगी ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जी नहीं ।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी कार्यालय, लखनऊ के मुख्य लिपिक के सेवा-काल में वृद्धि

*३८—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार के पास १ अप्रैल, १९६७ से ३० जून, १९६७ के मध्य स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय से कुछ कर्मचारियों को सेवा म बने रहने के सम्बन्ध में उनके सेवा-काल में वृद्धि करने के आवेदन-पत्र, विभागीय अधिकारियों की संस्तुति सहित प्राप्त विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री प्रताप सिंह—

प्रेसिडेन्ट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने ८ मई, १९६७ को केवल अपने कार्यालय के मुख्य लिपिक को २९ मई, १९६७ के पश्चात् और एक साल तक सेवा में बने रहने की संस्तुति की थी ।

इस प्रस्ताव को सरकार ने अस्विकार कर दिया था पर कुछ आवश्यक कारणवश फैकल्टी ने अपने मुख्य लिपिक को सरकार के निर्णय के पश्चात् भी २९ सितम्बर, १९६७ तक अपने सेवा कार्य में रखा। बाद में सरकार ने मुख्य लिपिक के सेवाकाल में बढ़ी हुई अवधि की स्वीकृति प्रदान कर दी।

हसनपुर तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारियों का दौरा

*३९--श्री ओंकार सरन, श्री सुक्खन लाल तथा श्री रईसउद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में गंगा नदी से हसनपुर तहसील में सितम्बर, अक्तूबर, १९६६ ई० में बाढ़ आई उस समय हेल्थ आफिसर साहब ने इस क्षेत्र में कितने दौरे किये और किन-किन गांव सभाओं में दवाई का प्रबन्ध किया ?

श्री प्रताप सिंह--

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुरादाबाद ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ संबंधी कार्य की देखभाल के लिये अगस्त से अक्तूबर, १९६६ तक चार बार दौरा किया और मुख्यालय से ६ दिन बाहर रहे। निम्नलिखित ११ बाढ़ चौकी के अन्तर्गत दवाओं आदि का प्रबन्ध किया गया :

१--आजमपुर २---धनौरा, ३--चकनवाला, ४--गजरौला, ५--तिगरी, ६--शाहपुरकलां, ७--गंगवार, ८--जैतोली, ९--गंगेश्वरी, १०--मोरारा और ११--आदमपुर।

जिला सहकारी विकास संघ, प्रतापगढ़ में गबन की जांच

*४०--श्री अश्विनी कुमार--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अप्रैल, १९६७ से १५ जून, १९६७ तक जिला सहकारी विकास संघ, प्रतापगढ़ में कई हजार गबन के शिकायती प्रार्थना-पत्र मंत्री जी के पास आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गंगा भक्त सिंह--

जी हां। ऐसे दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। इन दोनों शिकायती पत्रों की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई।

*४१--श्री अश्विनी कुमार--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त शिकायती-पत्र में किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध और कितना-कितना धन गबन करने की शिकायतें हैं ?

श्री गंगाभक्तसिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५११ पर)

राबर्ट्सगंज में जनाने अस्पताल के आयोजन तथा घोरावल में डाक्टर की व्यवस्था

*४२--श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज दुद्धी, राजगढ़ क्षेत्र के अन्दर कोई जनाना अस्पताल नहीं है ? क्या राबर्ट्सगंज में जल्द जनाना अस्पताल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रताप सिंह--

जी हां । राबर्ट्सगंज में जनाना अस्पताल बनवाने की कार्यवाही हो रही है। अस्पताल कब तक बन जायगा यह बताना कठिन है।

*४३--श्री राम नाथ पाठक--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि राबर्ट्सगंज तहसील घोरावल में अस्पताल बना है किन्तु उसमें अब तक डाक्टर नहीं गये? क्या सरकार घोरावल अस्पताल में जल्द डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रताप सिंह--

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोरावल तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में १७ मई, १९६७ से डाक्टर की व्यवस्था कर दी गई है।

चमोली जिले के अस्पतालों में औषधि व्यवस्था

*४४--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड के अन्तर्गत चमोली जिले में कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जिनको कि विकास खंडों के बजट में से औषधियों का कोटा दिया जाता है और कुछ ऐसे अस्पताल हैं कि जिन्हें वार्डर बजट से औषधियों का कोटा दिया जाता है? यह इस प्रकार का भेद क्यों किया गया है?

श्री प्रताप सिंह--

जी हां । चमोली जिले में कुछ सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सा इकाइयों को सीमांत विकास बजट से कुछ को चिकित्सा विभाग के बजट से तथा कुछ को दोनों बजटों से औषधियों का कोटा दिया जाता है। विकास खंड बजट पर वहां अब कोई अस्पताल नहीं है।

दो दो विभागों के बजट से दवाओं का कोटा इस कारण है क्योंकि तृतीय योजना के अन्त तक उत्तराखंड प्रभाग के बजट से पुराने वर्तमान अस्पतालों का आयोजनेत्तर खर्च तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आयोजनेत्तर खर्च वहन नहीं किया जा सकता था क्योंकि उत्तराखंड का सारा बजट सिर्फ आयोजनागत स्कीमों व खर्च से संबंधित था। इस कारण १९६५-६६ तक जो दवाओं का खर्च व कोटा चिकित्सा विभाग के बजट पर था वह अभी भी उसी बजट पर है। इसके विपरीत उत्तराखंड के पुराने अस्पतालों में जो खर्च सुधार तथा प्रसार आयोजनागत स्कीमों के अन्तर्गत हुआ या नये अस्पताल आयोजनागत स्कीम के अन्तर्गत खोले गये उनसे संबंधित खर्च उत्तराखंड प्रभाग के बजट से स्वीकृत किया गया क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण ही इसलिये हुआ था कि पुराने कार्यकलापों का सुधार तथा प्रसार किया जाय तथा नये कार्याकलापों की स्थापना की जाय, यद्यपि इस बात की अनुमति नहीं थी कि पहले से चले आ रहे खर्च या अस्पताल उत्तराखंड बजट पर पूरी तौर से ज्यों की त्यों ले लिये जायं।

वाराणसी जिले में मलेरिया उन्मूलन कर्मचारियों का बढ़ोत्तरी वेतन

*४५--श्री भृगुनाथ (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन में काम करने वाले कर्मचारियों का मलेरिया मेंटीनेंट एवं परिवार नियोजन लेने के बाद १ फरवरी, १९६७ को जी० ओ० नं० ९०८२/१६-३६६--१९६५ द्वारा उनकी सेवायें पूर्ववत् मानी गई लेकिन अप्रैल, १९६५ से आज तक उक्त कर्मचारियों को बढ़ोत्तरी का एरियर नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों ? और सरकार एरियर कब तक दिलायेगी?

श्री प्रताप सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४६-४७--श्री कामता सिंह (जिला बलिया)--

(कार्यवाही स्थगित ।)

*४८--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

(कार्यवाही स्थगित ।)

*४९-५०--श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)--

(कार्यवाही स्थगित।)

*५१--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

(कार्यवाही स्थगित।)

*५२-५३--श्री प्रेमदत्त तथा श्री इन्द्र लाल ।

(कार्यवाही स्थगित।)

*५४--श्री धनराज यादव (जिला बस्ती)--

(कार्यवाही स्थगित।)

*५५-५६--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

(कार्यवाही स्थगित।)

*५७-५८--श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)--

(कार्यवाही स्थगित।)

*५९-६०--श्री भगवती सिंह विशारद--

(कार्यवाही स्थगित।)

*६१--महन्त घनश्याम गिरि (जिला देहरादून)--

(कार्यवाही स्थगित ।)

*६२-६३--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

(कार्यवाही स्थगित।)

*६४--श्री भृगुनाथ--

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।)

आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सा विभाग में अस्थायी कम्पाउन्डर

*६५--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सा विभाग में ऐसे कितने कम्पाउन्डर हैं कि जिनको कार्य करते हुए दस वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और जिनकी सेवाओं का अभी तक कन्फरमेशन नहीं किया गया है और क्या अब शीघ्रातिशीघ्र आयुर्वेदिक विभाग के कम्पाउन्डरों की सेवा को कन्फर्म किया जायगा ?

श्री प्रताप सिंह--

ऐसे २३४ कम्पाउन्डर हैं। इन्हें भी स्थाई किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

तराई क्षेत्र में हरैया जानवरों से फसल को क्षति

*६६--श्री भृगुनाथ, श्री अश्विनी कुमार तथा श्री चन्द्रशेखर सिंह (जिला बस्ती)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती जिलों के तराई में छोटे-छोटे जंगल हैं जिनके चारों तरफ खेती होती है और जंगल से हरइया जानवर निकलकर फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं? यदि हां, तो फसल की सुरक्षा के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री रामचन्द्र विकल--

गोरखपुर और देवरिया के जंगलों में जिनके चारों तरफ खेती होती है हरैया जानवर हैं और ये जानवर जंगलों से निकल कर फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं। हरैइया जानवरों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा ठेके दिये जाते हैं। इस वर्ष भी गोरखपुर व देवरिया जिलों में यह काम ९ ठेकेदारों को आम नीलाम में बोली लगवाकर दिया गया है।

बस्ती जिले के जंगलों में हरैइया जानवरों की कोई शिकायत नहीं पाई जाती है। अतः बस्ती जिले में हरैइया जानवरों से फसल की सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पिनहट डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*६७--श्री राम दास (जिला आगरा)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिनहट राजकीय डिस्पेंसरी, जिला आगरा में दो साल से कोई डाक्टर नहीं है जब कि वहां से १४ मील दायरे में कोई डाक्टर या डिस्पेंसरी नहीं है? और कब तक डाक्टर नियुक्त किया जा सकेगा?

श्री प्रतापसिंह--

पिनहट डिस्पेंसरी, जिला आगरा में २५ मार्च १९६६ से कोई डाक्टर नहीं है।

उचित संख्या में पी० एम० एस० में डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण कोई डाक्टर को पिनहट नहीं भेजा जा सका।

बांदा जिले में सहकारी सुपरवाइजर का बकाया वेतन

*६८--श्री रामअंजोर--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सहकारी सुपरवाइजरों को सन् १९६३ में बांदा से और सन् १९६४ में रायबरेली से जबकि वे छुट्टी पर थे, उस अवधि का वेतन अभी तक नहीं मिला है? यदि हां तो क्यों?

श्री गंगाभक्त सिंह--

बांदा जिले के एक सहकारी सुपरवाइजर को वर्ष १९६३ के अवकाशकालीन वेतन का भुगतान अभी नहीं हुआ है क्योंकि सुपरवाईजर अनधिकृत अवकाश पर था जिसके लिए उसके विरुद्ध अभी अनुशासन की कायवाही चल रही है।

राय बरेली जिले में किसी सुपरवाइजर को वर्ष १९६४ का अवकाशकालीन वेतन देना शेष नहीं है।

सरेनी ब्लाक में औषधालय की आवश्यकता

*६९--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक सरेनी के रामपुर कलां में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कृपा करेगी?

श्री प्रतापसिंह—

अभी नहीं, क्योंकि वहां राज्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा औषधालय खोलने का पूर्ण औचित्य नहीं है ।

अस्थायी ट्रेक्टर आपरेटर

*७०—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० मेकेनाइज्ड स्टेट फार्मों में उन ट्रेक्टर आपरेटरों को जिनके काम की अवधि तीन वर्ष से ज्यादा है अब तक कंफर्म न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

उत्तर प्रदेश राजकीय पशुधन तथा कृषि क्षेत्र के फार्मों में स्थायी पद रिक्त न होने के कारण आपरेटरों को जिनके काम की अवधि तीन वर्ष से ज्यादा है, स्थायी नहीं किया जा सका ।

*७१—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—

[६ठें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

निघासन तहसील की वन विभाग में निहित भूमि

१—श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले की तहसील निघासन में कितने ग्रामों में कितनी भूमि जमींदारी समाप्त होने के बाद वन म निहित की गई है ? निहित हुई भूमि में कितनी भूमि ग्राम समाज से, कितनी सीलिंग से निकली हुई भूमि है और कितनी भूदान में प्राप्त भूमि से ली गई है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जिला खीरी की तहसील निघासन के १४२ ग्रामों में १,४३,२३२.८६ एकड़ भूमि जमींदारी समाप्त होने के बाद शासकीय विज्ञप्ति संख्या ६१७/१४, दिनांक ११ अक्तूबर, १९५२ के द्वारा निहित की गई थी, परन्तु राजस्व विभाग द्वारा १३८ ग्रामों की १,०५,२५६.१४ एकड़ भूमि मौके पर वन विभाग को हस्तान्तरित की गई । उसके अतिरिक्त ६,५८०.६८ एकड़ भूमि ग्राम सभा से पुर्नग्रहण (रिज्यूम) की गई । सीलिंग तथा भूदान के अन्तर्गत अभी तक कोई भी भूमि वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

२—श्री करन सिंह—

वन में नई निहित भूमि में से कितनी भूमि की हदबन्दी हो चुकी है ? उक्त भूमि में से कितनी पर वन लगाया जा चुका है ?

श्री रामचन्द्र विकल—

वन में निहित भूमि में से ७३,२८२.५६ एकड़ भूमि की हदबन्दी वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा इसमें से ३,५२७ एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है ।

मेडिकल कालेज योजना

३—श्री अयोध्या प्रसाद आर्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सन् १९६७–६८ में कहां-कहां पर मेडिकल कालजों को चलाने की योजना थी ? वह किन-किन स्थानों पर चालू किये गये ?

श्री प्रताप सिंह--

प्रदेश में सन् १९६७-६८ में कोई भी नया मेडिकल कालेज चलाने की योजना नहीं है ।

४--श्री गोपाल राम दास (जिला अल्मोड़ा)--

[५वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले में बेसिक हेल्थ वर्करों की सेवा समाप्ति

५--श्री कमला प्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिल में अप्रैल सन् १९६६ से २० अप्रैल, १९६७ तक कितने बसिक हेल्थ वर्करों को उनके काय-भार से मुक्त किया गया और कितनों को नियुक्ति की गई ? इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या माप-दण्ड रखा और इस संबंध में विभागीय निर्देश क्या थे ?

श्री प्रताप सिंह--

जौनपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में अप्रैल, १९६६ से अप्रैल, १९६७ तक ५९ बेसिक हेल्थ वर्करों की सेवा समाप्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार हुई । इनमें से ३२ वर्करों की निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न हो सकने के कारण और २७ वकरों की प्रतिब्लाक पर १ वकर कम किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप सेवा समाप्ति हुई । तीन वकरों की पुनः नियुक्ति की गयी ।

सीयर विकास खंड में मत्स्य पालन व्यय

६--श्री शिवलाल (जिला बलिया)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत विकास खण्ड सीयर में सन् १९६६-६७ में कितना धन मत्स्य पालन हेतु किन-किन मदों पर खच किया गया तथा उससे कितनी आय हुई ?

श्री रामचन्द्र विकल--

बलिया जिला अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर में वर्ष १९६६-६७ में मत्स्य पालन हेतु कुल संगणित व्यय ४०४ रुपये ३० पैसे हुआ, जिसका विभाजन निम्नांकित है :

व्यय के मद			व्यय हुई धनराशि
			(रुपयों में)
१--कर्मचारी का आंशिक वेतन	..	..	८३.७२
२--यात्रिक एवं महंगाई भत्ते	..	..	६१.००
३--श्रमिकों पर व्यय	..	..	१३२.५०
४--जोरा एवं अंगुलिकाओं के परिवहन पर व्यय	..	..	१२७.०८
	योग	..	४०४.३०

इसके विरुद्ध वर्ष १९६६–६७ में ६५८ रुपये ९९ पैसे की आय हुई जिसका विभाजन निम्नांकित है :

आय के मद		आय
		(रुपयों में)
१––मत्स्य अंगुलिकाओं की बिक्री से	..	.. ६४४.००
२––मत्स्य अंगुलिकाओं के परिवहन से	..	.. १४.९९
	योग	.. ६५८.९९

मऊनाथ भंजन तथा काझा अस्पताल का प्रान्तीयकरण

७––श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के सिविल अस्पताल, मऊनाथ भंजन तथा सिविल अस्पताल, काझा का प्रान्तीयकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कितनी प्रगति हुई है ?

श्री प्रताप सिंह––

जी हां। इन अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जिला परिषद्, आजमगढ़ से जिसके यह अस्पताल हैं इस संबंध में आवश्यक बात हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस कार्य के लिये कोई प्राविधान नहीं है इसलिये अभी प्रगति का होना संभव नहीं है।

८–९––श्री वीरेन्द्र वर्मा––

[पुनर्विचार पर हटा दिये गये।]

१०––श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

[कार्यवाही स्थगित।]

११–१२––श्री कल्याण चन्द मोहिले––

[कार्यवाही स्थगित।]

१३––श्री वीरेन्द्र वर्मा––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया।]

वाराणसी में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियां

१४––श्री ऊदल––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में इस वक्त कितनी रजिस्टर्ड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं ? उनके नाम क्या हैं और पते क्या हैं ?

श्री गंगाभक्त सिंह––

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५१२–५१४ पर)

राजा तालाब सहकारी संघ में गबन

१५—श्री भृगुनाथ, श्री अश्वनीकुमार तथा श्री चन्द्रशेखर सिंह—

क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत राजा तालाब, गंगापुर तथा शाहाबाबाद का प्रापरेटिव यूनियन का आडिट कब-कब कराया गया और उसमें कितने रुपये का गबन पाया गया तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

वाराणसी जिले के अन्तर्गत राजा तालाब, गंगापुर तथा शाहाबाबाद कोआपरेटिव यूनियनों का आडिट १९६५–६६ तक का हो चुका है। विभिन्न वर्षों के आडिट नोटों के अनुसार राजा तालाब सहकारी संघ में मु० १३७३.४२ रु० का अपहरण पाया गया जिसकी जिम्मेदारी संघ के व्यवस्थापक, श्री गिरिजा शंकर की ठहराई गई। संघ द्वारा २६–७–६४ को व्यवस्थापक के ऊपर दावा (Arbitration) करके डिग्री ले ली गई है और वसूली की कार्यवाही हो रही है।

शाहाबाबाद व गंगापुर सहकारी संघों में कोई गबन नहीं पाया गया।

आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब का आडिट

१६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (खाल, चमड़ा, जूता) बख्शी का तालाब, लखनऊ की क्या प्रतिवर्ष १९६० से १९६७ तक बैलेंस शीट तयार होती रही ? यदि हां, तो क्या-क्या लाभ एवं हानि रही ?

श्री राम चन्द्र विकल—

आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ की १९६० से १९६७ तक किसी भी वर्ष की बैलेन्स शीट तैयार नहीं की गयी। अतः लाभहानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

१७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उक्त संस्था का आडिट अन्तिम किस वर्ष में हुआ है और उसमें क्या-क्या मुख्य एतराजात उठाये गये तथा उन्हें दूर करने की क्या कोशिश की गई ?

श्री रामचन्द्र विकल—

उक्त संस्था का अंतिम आडिट, जिसकी अवधि अप्रैल, १९६५ से जनवरी, १९६७ तक है, विभागीय संप्रेक्षकों द्वारा, फरवरी, १९६७ में किया गया था। आडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य आपत्तियां उठायी गयीं—

(१) १९६४–६५ में बकरे की खालों की बिक्री में अनुमोदित ठेकेदार द्वारा ठेका भंग करने पर दुबारा टेन्डर मांगने के फलस्वरूप दर कम आने के कारण लगभग ११,००० रु० की हानि हुई।

(२) कमाये हुये चमड़े के सूखने के कारण ५३०० रु० की हानि हुई।

(३) १९६५–६६ और १९६६–६७ में गाड़ियों की मरम्मत में बिना उचित स्वीकृति प्राप्त किये प्रविष्टि धनराशि से अधिक व्यय हुआ।

(४) माच, १९६६ में, ५,३२४ रु० की बबूल की छाल खरीदी गयी जो मार्च, १९६७ तक उपयोग में नहीं लायी गयी।

(५) उधार बिक्री के फलस्वरूप १३,६३४ रु० का बकाया वसूल नहीं हुआ।

आपत्तियों के निवारण हेतु केन्द्र के प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस मामले में और जांच की जा रही है।

टेनरी वर्कर्स यूनियन, जाजमऊ का एम० ओ० के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

१८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें १५ जून, १९६७ को राज्य बीमा कर्मचारी चिकित्सालय, लखनऊ, कानपुर में एम० ओ० के विरुद्ध टेनरी वर्कर्स यूनियन, जाजमऊ के मन्त्री का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रताप सिंह—

जहां तक सरकार को ज्ञात है, ऐसा कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

बजट में अंग्रेजी के अंकों के प्रयोग पर आपत्ति

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट की कापी बंटी उस पर आप का ध्यान मैंने आकर्षित किया था और उस पर आपने माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण मांगा था । मुझे यह कहना है कि अभी-अभी २, ४ दिन की घटना है कि हमारे वित्त मंत्री ने दिल्ली में जाकर धारा १४४ को तोड़ा है और कारों पर जो अंग्रेजी के नम्बर हैं या साइनबोर्ड अंग्रेजी में हैं या अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा हुआ है उस को उखड़वा कर फिंकवाया है । तो दिल्ली में तो ये मंत्री अंग्रेजी क अक्षरों को नष्ट करते हैं और बजट में अंग्रेजी के अक्षर छपवाये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री त्रिवेणी राय—

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो अंग्रेजी के शब्द आये हैं बजट की कापियों में.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया १२ बजे । मैं इतना कह सकता हूं कि जो कुछ मैंने उस में लिखा देखा है उसमें संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं थी ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

आपको तो मालूम ही था मान्यवर । मैं समझता था कि आप ही स्वतः कह देंगे । लेकिन मैं ही अर्ज किये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उनकी शिकायत फिर दो हैं । वह कहते हैं कि अंग्रेजी के जो अंक लिखे हैं उसी तरह के अंकों को मिटाने के लिये आन्दोलन चल रहा है, दोनों में विरोधाभास है ।

श्री चरण सिंह—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अंग्रेजी के जो अंक हैं वे संविधान की वजह से रखने पड़ रहे हैं । हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स इस्तमाल होंगे, अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दसे इस्तेमाल किये जायेंगे । इसलिये हमारी मजबूरी है । यह नहीं कि हम नहीं चाहते ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अभी नेता-सदन ने कहा कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स उनको कानून के तहत रखने पड़ते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि जो सरकारी गाड़ियां हैं और जो ट्रांसपोट बसेज हैं उनमें जो अंग्रेजी के अंक थे वह मिटा दिये गये और सब हिन्दी में परिवर्तित कर दिये गये और उन की सरकार ने जो उनका कानून है उस का उल्लंघन इस विषय में किया है। तो क्या यह उल्लंघन उनकी आज्ञा से हुआ है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझको नहीं मालूम है कि कोई इस तरह का आदेश जारी हुआ है या नहीं। हो सकता है यह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने स्वतः किया हो और हो सकता है कि यहां सेक्रेटेरियेट से भी जारी हुआ हो। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। मैं मालूम कर लूंगा तब बता दूंगा।

(माननीय चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय बाबू बदरे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कल इसी तरह से नेता सदन और नेता विरोधी दल आपस में सवाल और जवाब करते रहे और आज भी वही सिलसिला शुरू हो गया है। तो या तो हम सब लोग बाहर हो जायं.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबू बदरे साहब आपने अपनी इच्छा से नेता सदन चुना है और इधर अपनी इच्छा से नेता विरोधी दल चुना है। तो ये दोनों मिल कर पूरे सदन के प्रतिनिधि हो जाते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने हमें यह सूचना दी कि उन्हें तो इस बात की जानकारी है नहीं, हो सकता है कि उनके अधिकारियों ने यहां सेक्रेटरियट से या ट्रांसपोट कमिश्नर ने इस प्रकार के आदेश दिये हों। तो क्या मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि यदि कानून के खिलाफ उन्होंने ये आदेश दिये हैं तो वे उन्हें दूसरे आदेश भेजेंगे जल्द से जल्द और बिना उनकी आज्ञा के कानून का उल्लंघन करने के सिलसिले में कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय नेता सदन ने सुन लिया। यह विषय तो एक सांकेतिक रूप में आया था। उस पर वाद विवाद का इस समय अवसर नहीं होगा। अभी जो एक प्रस्ताव सामने है उसमें इन सारी बातों की चर्चा हो सकेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

एक बात पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कि यदि सरकार की ओर से यह आदेश निकल जाय कि सारी गाड़ियों के नम्बर हिन्दी में लगा दिये जाय तो क्या इसमें कोई बाधा है ? और यदि नहीं है, तो ऐसे आदेश क्यों नहीं निकाल दिये जाते ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया कांस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट तो यह है कि इंटरनशनल न्यूमरल हों। अब अगर उसका मतलब यह नहीं है या उसमें यह लाजिमी नहीं है और हमको डिस्क्रिशन है कि हम देवनागरी के अंक इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करेंगे ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ९ दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रेस कांन्फ्रेस में यही जवाब दिया था जो आज उन्होंने सदन में दिया है। प्रेस रिपोटस में जब उनसे पूछा कि रोडवज में और दूसरे विभागों में हिन्दी में अंक लिखे जा रहे हैं तो क्या इसके बारे में आपन कोई आदेश दिये हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि इसकी मुझे सूचना नहीं है, में विभाग से पता लगाकर बताऊंगा। वही उत्तर आज सदन के सामने अब नेता विरोधी दल ने पूछा तो दोहरा दिया गया है। तो यह बयान देन के बाद ११ दिन हो गये। तो क्या इस बीच में मुख्य मत्री जी क पास से सूचना नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है मैं समझता हूं इसमें कोई संवैधानिक बात नहीं है, वाकयात की बात है। हो सकता है कि बीच के जो दिन हैं उनमें माननीय मुख्य मंत्री जी को समय न मिला हो।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

अभी माननीय इन्द्रमणी जी के प्रश्न करने पर आपने व्यवस्था दी थी कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। तो क्या आपने फिर प्रश्नों का समय बढ़ा दिया है जो प्रश्न होते जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न अगर आप अपने से कर लेते तो अच्छा था। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है व्यवस्था और नियम का समय समाप्त नहीं हुआ।

विधान परिषद् द्वारा दो मन्त्रियों के आचार की निंदा करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संसदीय जनतंत्र की जो स्वस्थ्य परम्परायें हैं कवल उनकी रक्षा करना ही आपका उत्तर दायित्व नहीं है बल्कि इस भारतीय लोकतंत्र में सभी नयी स्वस्थ परम्पराओं का सृजन हो उसमें भी आपको सहायता देने की बात है। आज हमारे इस प्रदेश में कुछ ऐसी घटनायें हो रही ह जिनकी लोकतांत्रिक देशों में कोई परम्परा ढूंढे नहीं मिलती। चूंकि कल बहुत सी बातें नैतिकता और कांस्टीट्यूशन की हुई, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसी एग्जाम्पिल नहीं है कि कौंसिल में अगर कोई आदमी हार जाय असेम्बली के वोट से तो नई सरकार हट जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

यह व्यवस्था किस बात की है ?

श्री अध्यक्ष--

आगे के वाक्य से मैं निश्चित करूंगा।

श्री नवल किशोर—

मेरा प्रश्न यह है कि यदि विधान परिषद् ने मंत्रि-मंडल के दो सदस्यों के आचार को सेंसर कर दिया तो क्या उसके बाद भी उनका मंत्रि परिषद् में रहने का नैतिक अधिकार रहता है जब कि एक मंत्री उसी हाउस के सदस्य भी हैं ? इसलिये मैंने आपको बताया कि किसी देश में न तो इस तरह की कौंसिल है और न इस तरह का चुनाव होता है, क्योंकि हमारे यहां नया प्राविधान है। जब गुप्ता जी ने इस्तीफा दिया था तब भी कोई परम्परा नहीं थी। उन्होंने एक नई परम्परा का सृजन किया।

श्री अध्यक्ष—

इस के बारे में मुझे यह कहना है कि मेरा कार्य यहां पर नैतिकता का उपदेश देना या नैतिकता के आधार सृजित करना नहीं है। मैं तो संविधान की प्रक्रियाओं से बंधा हुआ हूं। उनके विरुद्ध कोई चीज कहीं नहीं दिखाई देती। इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश के मंत्रिगण जो हैं उनके लिये इस्तीफा देने का कौनसा उचित स्थान है .....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

५, ७ दिसम्बर को माननीय मिश्रा जी बनारस यूनिवर्सिटी गये थे और उन्होंने वहां अपना इस्तीफा दे दिया। यह समाचार पत्रों में भी निकला था और मुझे जानकारी है कि उन्होंने कहा था कि मेरा इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया जाय। दूसरी तरफ आप यहां पर उत्तर दे रहे हैं। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस तरह से इस्तीफा जनता में देते फिरें और यहां पर भी रहें। यह कहां तक ठीक है। जनता समझती है कि मंत्री जी इस्तीफा दे चुके हैं और मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन कर चुका हूं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हर माननीय सदस्य को अधिकार है, लेकिन उसके आवरण में अव्यवस्था का प्रश्न न उठावें तो अच्छा है। जो प्रश्न उठाया गया है वह किसी तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। खासतौर से नवलकिशोर जी के प्रश्न के संबंध में मैं कह चुका हूं कि यहां पर नैतिकता के आधार पर हम कोई उपदेश नहीं दे सकते हैं और न देना उचित है और न मैं निर्णय दे सकता हूं। अब यह बात कि किसी मंत्री ने अपनी पार्टी में क्या किया, कब किसको इस्तीफा दिया या अखबारों में आया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता इसका फैसला करेगी क्योंकि सारे सदन की मालिक जनता है।

पूरक प्रश्नों के लिए अधिक समय की प्रार्थना

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि इतनी उठक बैठक के बाद आपकी दृष्टि मेरी तरफ पड़ी। मैं सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम ३८ की ओर पहले भी सदन का ध्यान दिला चुका हूं और अब भी दिलाना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कार्यसूची में प्रति दिन ८० के करीब प्रश्न आते

हैं और आप व्यवस्था दे चुके हैं जो प्रश्न आते हैं वे बड़े महत्व के होते हैं। लेकिन इतने अधिक प्रश्न रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ३०/३५ प्रश्न एक दिन में हो पाते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो पाते। जैसा कि ३८ नियम के उपनियम (२) में लिखा है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो।" लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपने सप्लीमेंटरी की व्यवस्था की है वह दो या तीन बार मौका देते हैं। लेकिन अधिक प्रश्नों को आप १०–१५ मिनट दे देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जो लोक महत्व के प्रश्न आते हैं, जनता की मांगों को लेकर आते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय, प्रश्नों को कुछ इस प्रकार सूची बद्ध किया जाय कि अधिक से अधिक उत्तर उस दिन आ जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया, जिसको मैं स्वयं सदन के सामने कहना चाहता था। जहां तक आपकी बात का सम्बन्ध है उसमें कोई वैधानिकता का प्रश्न नहीं है। नियमों के अनुसार प्रश्न आते हैं। कल १३७ प्रश्न थे, आज कम हैं, कल दस हो सकते हैं। जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है उसमें अगर माननीय नेता विरोधी दल या नेता सदन या सब लोग मिल कर कोई ऐसी चीज बता दें कि कुछ प्रश्नों पर सप्लीमेंटरीज की अनुज्ञा दी जाय तो मुझे ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह अधिकार केवल अध्यक्ष में निहित रहेगा कि कौन से प्रश्न पर कितने सप्लीमेंटरीज की अनुज्ञा दें। मैं फिर भी बताना चाहता हूं साधारणतया जो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के प्रश्न होते हैं उन पर दो तीन सप्लीमेंटरीज का मौका देता हूं। चूंकि आज का पहला प्रश्न सब के स्वास्थ्य से सम्बन्धित था इसलिये मैंने ज्यादा समय दिया। एक प्रश्न के ऊपर मुझसे उसका औचित्य पूछना न यह समय का सदुपयोग होगा और न उसका बताना यहां सम्भव है। इस विषय में कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हों तो मैं उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप लोक सभा की कार्यवाही को देखें। ऐसा भी हुआ है कि दो प्रश्नों पर सारा क्वैश्चन आवर निकल गया। यह कोई अन्तिम व्यवस्था नहीं हो सकती और न कोई ऐसा मापदंड आविष्कार किया जा सकता है जिसमें हर प्रश्न को बराबर समय मिले। फिर भी मैं हर माननीय सदस्य को आमंत्रित करता हूं कि अगर कोई सुझाव हो तो मुझे बताने की कृपा करें। यह सदन के समय का दुरुपयोग है कि जो-जो बातें मुझसे अलग करनी चाहिये उनको सदन में करें।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, साढ़ी भी सुन लो।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

मुझे एक निवेदन करना है। श्रीमन् के कहने के पहले मैं सोच रहा था कि सदन में यह बात देखी जा रही है कि जब कोई बात किसी को कहनी हुई तो व्यवस्था कह कर खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिये १२ बजे....

श्री अध्यक्ष—

आपका का क्या सुझाव है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या व्यवस्था कह कर सदन क समय को कोई व्यर्थ कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें वही नीति होनी चाहिये, "पर उपदेश सकल बहुतेरे"। दूसरे को उपदेश देने के बजाय अपने को उपदेश देने लगें तो सब ठीक हो जाय। आप जिस बात को पूछते हैं अगर उस पर अमल करते तो व्यवस्था में अव्यवस्था न होती।

उत्तर प्रदेश चतुर्थ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री श्रीपति मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। मैं, सभापति विशेषाधिकार समिति, श्री भगवती प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा सर्वश्री बनारसीदास, केदारराज जंगबहादुर राणा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जो माननीय अध्यक्ष द्वारा २६ जुलाई, १९६७ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद, सदस्य, विधान सभा, ने २६ जुलाई, १९६७ को माननीय अध्यक्ष के यह लिखित शिकायत की थी कि २५ जुलाई, १९६७ को दिन में लगभग २.१५ बजे जब वह सदन में आने के लिये कांग्रेस पक्ष की लाबी के मार्ग से आ रहे थे तो लाबी के भीतर सर्वश्री बनारसी दास, केदारराज जंगबहादुर राणा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने जबरदस्ती उनको पकड़ लिया तथा (मत विभाजन में) कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिये दबाव डाला। जब वह इसके लिये तैयार नहीं हुये तब तीनों सदस्यों ने उनको जबरदस्ती पकड़ कर बिठाल लिया तथा धमकियां दीं। उसी समय सर्वश्री गजाधर प्रसाद आर्य, दृगराज सिंह तथा किशन लाल भदेशिया, सदस्य, विधान सभा लाबी में आ गये और उनको छुड़ाया। इस प्रकार सर्वश्री बनारसी दास, केदारराज जंगबहादुर राणा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने जबरन स्वतंत्र रीति से मतदान न करने देने के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन का अवमान किया।

२—२६ जुलाई, १९६७ को सदन में कुछ माननीय सदस्यों को सुनने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष ने इस विषय को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया।

३—समिति ने सभापति के आदेशानुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा श्री भगवती प्रसाद के संबंध में शिकायत में उल्लिखित सभी माननीय सदस्यों से लिखित बयान मांगे। सर्वश्री केदारराज जंगबहादुर राणा, गजाधर प्रसाद आर्य, दृगराज सिंह तथा किशन लाल भदेशिया ने कोई उत्तर नहीं दिया।

४—समिति ने २१ व २२ अगस्त तथा १५ व १६ सितम्बर, १९६७ को अपनी बैठकों में उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के उपर्युक्त बयानों पर विचार करने के उपरान्त निर्णय किया कि श्री भगवती प्रसाद को तथा उन सभी व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है या जिनका उल्लेख शिकायतकर्ता ने अपने को छुड़ाने के सम्बन्ध में किया है, समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु बुलाया जाय। साक्ष्य के लिये ५ अक्तूबर, १९६७ का दिन निर्धारित किया गया।

५—५ अक्टूबर, १९६७ को जब समिति की बैठक आरम्भ हुई तो सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, केदारराज जंगबहादुर राणा, दृगराज सिंह तथा गजाधर प्रसाद आर्य साक्ष्य के लिये समिति के समक्ष उपस्थित हुए, किन्तु शिकायतकर्ता श्री भगवती प्रसाद, समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों का साक्ष्य लेना समिति ने उचित नहीं समझा। अतः उनका साक्ष्य लिये बिना ही उन्हें जाने की अनुमति दे दी गयी और वे चले गये।

५ अक्तूबर, १९६७ की बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि श्री भगवती प्रसाद को ९ अक्तूबर, १९६७ को साक्ष्य हेतु पुनः बुलाया जाय।

९ अक्तूबर, १९६७ को समिति ने श्री भगवती प्रसाद का साक्ष्य लिया।

९ अक्तूबर, १९६७ की बैठक में इस विषय पर पूर्णरूपेण विचार करते समय निम्नलिखित तथ्य समिति के समक्ष आये :

(क) शिकायतकर्ता श्री भगवती प्रसाद ने अपनी शिकायत में यह कहा था कि सर्वश्री बनारसीदास, केदारराज जंगबहादुर राणा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने उनको जबरदस्ती पकड़ लिया तथा कांग्रेस पक्ष में मतदान करने के लिये दबाव डालने लगे, तभी उनके दल के सर्वश्री गजाधर प्रसाद आर्य, दृगराज सिंह तथा किशनलाल भदेशिया वहां आ गये और उन्होंने उनको छुड़ाया। श्री बनारसी दास न अपने लिखित बयान में स्पष्ट कहा है कि श्री भगवती प्रसाद ने मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को कांग्रेस में सम्मिलित होने का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप से दिया था और वह श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह के साथ कांग्रेस पक्ष की लाबी में आये। उसी समय श्री प्रतापनारायण तिवारी और जनसंघ के एक और सदस्य आ गये और उन्होंने श्री भगवती प्रसाद से 'हां' लाबी में जाने को कहा। श्री भगवती प्रसाद से यह पूछे जाने पर कि क्या वह 'हां' लाबी में जाना चाहते हैं उन्होंने 'हां' में उत्तर दिया। इसके बाद उनके उक्त लाबी में जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी।

(ख) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने भी अपने लिखित बयान में स्पष्ट कहा है कि वह श्री भगवती प्रसाद के साथ कांग्रेस की 'नहीं' लाबी में गये, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिये लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था। उनके लाबी में पहुंचते ही कुछ विधायक श्री भगवती प्रसाद को साथ ले जाने के लिये कहने लगे। उस समय सर्वश्री बनारसी दास तथा राजेन्द्र प्रताप सिंह आ गये। उन्होंने कहा कि श्री भगवती प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, आप इनको क्यों ले जा रहे हैं? इस पर श्री भगवती प्रसाद ने कहा कि वे उन्हीं लोगों के साथ जाना चाहते हैं और वह चले गये।

(ग) सर्वश्री केदारराज जंगबहादुर राणा, दृगराज सिंह, गजाधर प्रसाद आर्य साक्ष्य के लिये समिति के समक्ष उपस्थित तो हुये मगर उन्होंने कोई लिखित बयान, जो उनसे पहले मांगा गया था, नहीं दिया। श्री किशनलाल भदेशिया ने न तो कोई लिखित बयान ही दिया और न समिति के समक्ष उपस्थित ही हुये।

(घ) श्री बनारसीदास तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने बयानों में जो बातें कहीं उनके सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सदन की गरिमा और सदन के सदस्यों में सद्भावना को कायम रखने के लिये इस विषय में आगे कार्यवाही समाप्त की जाय।

उपर्युक्त आरोप पत्र, अभिलेखों तथा साक्ष्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह सिद्ध नहीं होता है कि श्री भगवती प्रसाद के विशेषाधिकार की अवहेलना या अतिक्रमण अथवा माननीय सदन का अवमान किसी भी दोषारोपित माननीय सदस्य द्वारा किया गया है अथवा उनका उद्देश्य इन दोनों अधिकारों की अवहेलना या अतिक्रमण करना था। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इस मामले को यहीं समाप्त किया जाय।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे आपको कुछ सूचना देनी है। जो कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक इस समय हुई थी उसने जो सिफारिश प्रस्तुत की हैं वह मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २० दिसम्बर, १९६७ की बठक में यह निश्चय किया है कि निम्निलिखित कार्यों तथा विधेयकों के सम्बन्ध में उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया जाए :

(१) उत्तरप्रदेशीय सरकार के दो मंत्रियों द्वारा दिल्ली जाकर वहां लगी धारा १४४ का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।	२० दिसम्बर, १९६७ को अपराह्न ४ बजे तक।
(२) नानक सागर बांध के टूटने से हुई क्षति के सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं पर सिंचाई मंत्री का नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य।	२० दिसम्बर, १९६७ को अपराह्न ४ बजे से ४-३० बजे तक।
(३) उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार।	२० दिसम्बर, १९६७ को अपराह्न ४-३० बजे से ६-३० बजे तक।
(४) वित्तीय वर्ष १९६३-६४ को अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६७ का पुरःस्थापना उस पर विचार एवं उसका पारण।	२१ दिसम्बर, १९६७ को आधा घंटा।
(५) वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।	२१ दिसम्बर, १९६७ को अपराह्न ४ बजे तक।
(६) उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ पर विचार एवं उसका पारण।	२२ दिसम्बर, १९६७ को दो घंटे।
(७) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ पर विचार एवं उसका पारण।	२१ दिसम्बर, १९६७ को दो घंटे।
(८) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर विचार एवं उसका पारण।	२२ दिसम्बर, १९६७ को आधा घण्टा।

दिनांक २२ दिसम्बर, १९६७ के लिये निर्धारित असरकारी दिवस के स्थान पर असरकारी दिवस के लिये अब ८ जनवरी, १९६८ का दिन निर्धारित किया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह निवेदन करना है कि २८ जुलाई को भी आपने असरकारी दिवस घोषित किया था और कार्यक्रम में भी वह छपा था, लेकिन श्रीमन

२७ जुलाई को आपने सदन को स्थगित कर दिया और इस तरह से उस असरकारी दिवस का अपहरण हो गया। आपने नहीं किया किन्तु मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर हो गया और फिर आपने जो कार्य सूची भेजी और घर पर भेजी उसमें २२ दिसम्बर को असरकारी दिवस रखा गया है, लेकिन अब उसका भी अपहरण हो गया। तो क्या असरकारी दिवस का महत्व समाप्त हो गया है या कम कर दिया गया है, जिसका महत्व नियमावली और संविधान में दिया हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

अ रकारी दिवस का महत्व न कम हुआ है न खत्म हुआ है और न ऐसा होना ही चाहिये। २७ तारीख को तो विधान सभा के प्रस्ताव से ही कार्य समाप्त हो गया था। अगर उस दिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया तो इसमें सभी के उत्तरदायित्व एक समान हैं। अब जहां तक आने वाली २२ तारीख के असरकारी दिवस का सम्बन्ध है, उसके लिये कार्य-मंत्रणा समिति ने बिचार करके उसका अपहरण नहीं किया है बल्कि उसको स्थानान्तरित कर दिया है। ८ जनवरी के लिये वह सुरक्षित है। आप बिल्कुल अ श्वस्त रहें उसका अपहरण नहीं हुआ है केवल उसका स्थगन हुआ है। कार्य मंत्रणा समिति की परम्पराएं रही हैं कि उसका निर्णय मान्य रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रोग्राम अभी तय हुआ है उसके विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है। ऐसा सम्भव हो सकता है कि मुझे और मेरे दल को ८ जनवरी के सिलसिले में शायद असुविधा हो क्योंकि शायद कांग्रेस का अधिवेशन उन्हीं तारीखों में होने की सम्भावना हो रही है। इसलिये इसको म आपक माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से अधिकार चाहता हूं कि यदि वह सम्मेलन होने वाला हो तो फिर उनसे और मुझसे बातचीत होकर तारीखों में परिवर्तन हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह अधिकार होगा। मैंने कृष्णानन्द राय की भावनाओं का पूरी तरह ध्यान रखते हुये यह रखा है कि जब सदन बैठेगा तो पहले दिन ही असरकारी दिवस रहेगा।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा-)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति के द्वारा उन कार्यों तथा विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय निर्धारण की सूचना आज जो सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति के द्वारा उन कार्यों तथा विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय निर्धारण की जो सूचना आज सदन क. दी गयी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय--

संशोधन के साथ जो नेता विरोधी दल ने कहा है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है वह तो सर्वमान्य है।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७

उप-मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७ का पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

इनमें आये शब्दों--मोटर वेहिकिल्स तथा टैक्सेशन तीन शब्दों को निकालकर इनका हिन्दी अनुवाद रखा जाए। मेरे ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कहने का आपको अधिकार है। लेकिन इसमें फिर संवैधानिक प्रश्न आ जाएगा। मूल ऐक्ट में ऐसा ही है और मूल कट नहीं सकता, उसकी शाखाएं कट सकती हैं, इस पर आपको विचार गम्भीरता से करना है।

श्री कृष्णानन्द राय--

जब मंत्रियों द्वारा दफा १४४ टूट सकती है तो यह क्यों नहीं हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो बार-बार उसी को दोहराते हैं। इसको आप फिर अन्य तरह से ले आ सकते हैं, लेकिन इस समय यह नहीं उठता।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५१५-५१९ पर)

श्रम मन्त्री, श्री प्रभु नारायण सिंह तथा वित्त मन्त्री, श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में धारा १४४ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम १०४ के अन्तर्गत प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--

अब कल जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत हुआ था उस पर विचार जारी होगा। मैं सिर्फ इतना यहां कहूंगा कि काफी सदस्य बोलना चाहते हैं तो प्रत्येक सज्जन १० से १५ मिनट अधिक से अधिक समय लें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, १० मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिये।

---

*१९ दिसम्बर, १९६७ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--

दस मिनट में ही लोग समाप्त कर लेंगे।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में विरोधी दल के नेता श्री चन्द्रभानु जी गुप्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है, और उसके द्वारा वे इस प्रदेश के दो मंत्रियों श्री प्रभुनारायण सिंह तथा श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में जाकर दफा १४४ तोड़ने को गणतंत्र और जनतंत्र के प्रतिकूल कार्य समझते हैं और कहते हैं कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके इस प्रस्ताव को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का सौभाग्य सूर्य अस्त हो रहा है जब ऐसा बड़ा राजनेता इस तरह का प्रस्ताव करने लगा है। बड़ी मजबूरी के अन्दर मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने उस महात्मा का चित्र है जिसके चरणों के नीचे बैठ कर इन जैसे राजनेताओं ने हिन्दी के सवाल पर जूझने का निश्चय किया था; लेकिन आज हिन्दी के सवाल पर जब धारा १४४ को तोड़ने का सवाल हो तब ऐसा प्रस्ताव उन्हीं के द्वारा किया जाय इससे मैं समझता हूं कि बापू की आत्मा को दुख हो रहा होगा। बापू की आत्मा आज इन दोनों मंत्रियों के कामों के लिये प्रसन्न हो रही होगी कि उन्होंने हिन्दी की रक्षा करने का जबर्दस्त काम किया है।

मान्यवर, कुछ बातें उठायी गयी कि यह काम मंत्रियों का संविधान का उल्लंघन था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने बुजुर्ग नेता माननीय त्रिपाठी जी को जिन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन तो दिल्ली की सरकार ने इस भाषा विधेयक को लाकर किया है। मान्यवर, मुझे यह दुख है कहते हुये कि सन् ४७ के पहले 'इंडिया दैट इज भारत' को कहने वाले ये थके मांदे नेता जिन्होंने इस देश का बंटवारा करवाया, आज अगर वह बिल्कुल थक गये ह और इस हिन्दी के प्रश्न पर उनका शौर्य समाप्त हो गया है तो वे कृपया कमंडल लेकर काशी चले जायं और रामनाम जपें, वहां हमारे गुप्ता जी को इस काम के लिये बहुत बढ़िया जगह मिल जायगी। हो सकता है कि उसके बाद स्वर्ग का रास्ता खुल जाय। हम चाहते हैं कि वह हमारा मार्ग प्रदर्शन करें और अगर मार्ग प्रदर्शन के लायक वह अपने को नहीं समझते हों तो कमंडल ले लें।

यह आपत्ति की गई कि मंत्रियों ने १४४ को तोड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को क्यों १४४ को तोड़ना पड़ा। मैं कहूंगा कि २७ नवम्बर को भारत की लोक सभा में एक भाषा विधेयक पेश किया गया जिस भाषा विधेयक के माध्यम से भारत के गृह मंत्री चह्वाण साहब ने भारत के लोक मन्दिर को राज मन्दिर में बदलने का षडयन्त्र रचा। भारत की लोक आत्मा को जो तोड़ने का निश्चय किया उसके विरोध में इन मंत्रियों ने धारा १४४ को तोड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि चह्वाण साहब ने जो विधेयक पेश किया वह विधेयक लोक मन्दिर को राज मन्दिर में बदलने का था वह इसलिये कि यह बहुत नाजुक सवाल है और यह जो भाषा विधेयक पेश किया गया यह विशुद्ध राजनैतिक स्वार्थ के लिये पेश किया गया। आज की हिन्दुस्तान की राजनीति पर जो जीवन के चार सार्वजनिक अंग हैं राजनीति, व्यापार, पलटन और ऊंची नौकरियां, इनमें वे लोग छाये हुये हैं जिनकी संख्या ५० लाख के लगभग है। ये ५० लाख आदमी आज ५० करोड़ जनता की छाती पर बैठे हुये हैं। ये लोग गरीबों की छाती पर बैठे हैं। इन लोगों के यहां माता को मम्मी और बाप को डैडी कहते हैं। यह जो भाषा विधेयक लाया गया है यह ५० करोड़ जनता की जिन्दगी को हमेशा हमेशा के लिये खत्म कर देने की साजिश है।

मान्यवर, यह जो विधेयक आया है इस विधेयक को देखें कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक एक प्रदेश भी चाहता रहेगा कि हम अंग्रेजी को अनन्तकाल तक चलायेंगे

[श्री चन्द्रशेखर]

तो अनन्तकाल तक इसको चलाया जा सकता है। मुझे पता नहीं है कि इनको किसका आशीर्वाद प्राप्त है कि ये अनन्तकाल तक चलेंगे और अंग्रेजी अनन्तकाल तक यहां रहेगी। मैं तो यह समझता हूं कि थोड़े दिनों में यह जाने वाले हैं तो पता नहीं कि अंग्रेजी कहां जायगी और उसका क्या होगा। मैंने कहा कि यह लोक मन्दिर को राज्य मन्दिर में बदलने का षड्यन्त्र रचा गया। वह क्यों? मैं जानता हूं कभी कभी राज काज में गोली भी चला करती है, लेकिन गोली तब चला करती है जब जनता बगावत करती है। जनता भी करवट ले लिया करती है। मान्यवर, गोलियों से राज काज कभी कभी चला करता है और उस समय तक गोलियां नहीं चलती हैं जब तक कि वैसी परिस्थिति पैदा नहीं होती है लेकिन यहां पर गोलियों का सहारा लिया जाता है। ५० करोड़ जनता जो आज देश में नग्न दशा में है उनके दिमाग में यह नहीं आ सकता कि हम भी राजनीति में ऊंची नौकरियां पा सकते हैं, क्योंकि आज जो हाल है उस में बिना अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान के कोई पल्टन में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। फौज में कप्तान कौन बनेगा? जो बढ़िया बंदूक चलाना जानता है वह नहीं, बल्कि वह बनेगा जो गिटपिट अंग्रेजी बोल सकता हो। आज सार्वजनिक जीवन के इन चार क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए जो यह भाषा विधेयक आया है उसकी जितनी निन्दा की जाय वह थोड़ी है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से लोक भाषाओं को भी कुंठित करने का प्रयास किया गया है। असल में इस देश के अन्दर पिछले १५०० वर्ष से लोक भाषा और राज्य भाषा का झगड़ा चल रहा है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे अभी कुछ समय और चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

दस मिनट समाप्त होने पर हैं यह समझ कर आप बोलिए।

श्री चन्द्रशेखर—

एक तरफ तो हमारे यहां लोक भाषायें हैं जिनको करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है और एक तरफ कुछ लाख लोगों की राज भाषायें हैं और उस राज भाषा के माध्यम से लोक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए कुंठित करने का जो प्रयास हो रहा है उसके लिए जो भी किया जाय वह कम है। माननीय त्रिपाठी जी ने कल कहा कि हम राज्य भाषा के सवाल पर उस तरह से इसलिए अधिक दूर नहीं जा सकते क्योंकि उससे देश टूट जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी भी जानते थे, उनको भी पता था। अगर हिंदी के सवाल पर देश टूटता तो फिर हिन्दुस्तान के वह नौजवान जो सन् १९४२ की जंगे आजादी में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को दफनाना चाहते थे, वह झंडा लेकर यह कहते हुए आगे न बढ़ते—"इसकी शान न जाने पाये, चाहे जान भले ही जाये।" लेकिन आज आप कहते हैं कि यदि राज भाषा का प्रश्न इस तरह से हल किया जायगा तो उससे देश टूट जायगा। मैं नहीं समझ पाता कि अगर राष्ट्र भाषा हिंदी हो जायगी तो देश कैसे टूट जायगा। उसके लिए आप तर्क देते हैं कि तामिलनाड हिन्दी नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तामिलनाड हिन्दी नहीं चाहता तो केंद्र उससे अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करे या तामिल में पत्र व्यवहार करे, लेकिन जो हिन्दी चाहने वाले इलाके हैं—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाना, हिमांचल प्रदेश, जो हिन्दी भाषा भाषी इलाके हैं, जो अपना सब काम हिन्दी में चलाना चाहते हैं उनके ऊपर यह अंग्रेजी क्यों लादी जा रही है? फिर उसके बाद मान्यवर, दूसरी पंक्ति आती है गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब की। उनको इस बात की कोई शिकायत नहीं कि हिन्दी आ जाय। उन्हें कोई शिकायत नहीं कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा न बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आप उपसंहार करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रशेखर—

मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, यह जो सारे काम हो रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि वे किसी तरह से उचित और न्यायसंगत नहीं हैं। लेकिन मुझे दुख है कि मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के राजनीतिक नेता यहां खेद का प्रस्ताव पेश करते हैं कि इन मंत्रियों ने संविधान को तोड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि जब १९४७ में भारत विभाजन के बाद इंडिया बना था तो उस समय भारतमाता लंगड़ी हो गयी थी और उसके ठीक बीस वर्ष के बाद श्री चन्द्रभानु गुप्त, जो इस प्रदेश के राजनीतिक नेता हैं, वह हाथ में तलवार थमा रहे हैं इंदिरा महारानी के, और उसके द्वारा इंदिरा महारानी आज भारत माता की जबान काट रही है। कोई भी नौजवान तड़प उठता है इस बात को देख कर। कोई भी नौजवान जूझ सकता है इस बात को देखकर। जब मां की ज ान काटी जाती हो तो वह चुप नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने कहा कि आप कमंडल लेकर काशी जायं। वही अब आप का एक मात्र सहारा है। नौजवान तड़प रहा है। उसकी माता की जबान कट रही है, और उसके स्थान पर अंग्रेजी जबान सीने की कोशिश हो रही है और इसको कोई भी नौजवान बरदाश्त नहीं कर सकता। छोटी-मोटी बातें होतीं तो कोई बात नहीं थी। कुछ तोड़-फोड़ हो गयी, तो उसे हिटलर का काम कहते हैं और कहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट हो गये। अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्रशेखर—

केवल १ मिनट में समाप्त करता हूं। जनतंत्र में आस्था कम हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इन छोटे-मोटे कामों से किसी बुनियादी आन्दोलन को बदनाम नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी के जमाने में भी चौरा-चौरी जैसा काण्ड हो गया, लेकिन कोई आदमी यह बता दे कि इस अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में किस आदमी ने किसी को जान से मार डाला, किसने किसकी हत्या कर दी? लेकिन कहते हैं कि बहुत बड़ा अनर्गल काम हो रहा है, नौजवान गलती कर रहे हैं। मैं गवाही देना चाहता हूं कि आजादी वाला आन्दोलन तो खत्म हो गया सन् ४७ का, पर इस मानसिक स्वराज्य का आन्दोलन जो सन् ६७ में चला है इसमें जो अगवाई नौजवानों ने की है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

कहा जाता है कि मंत्री वहां पर नक्स-अमन कर रहे थे। मैं कहता हूं कि नक्स-अमन क्या है? उसके लिए जरा बनारस के जिलाधीश और श्री चह्वाण की तुलना कर लें। राज नारायण जी आन्दोलन करना चाहते थे तो बनारस के जिलाधीश ने १४४ धारा उठा ली।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें, समय समाप्त हो गया। माननीय चतुर्भुज शर्मा।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है, मैं विनम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसको दलगत राजनीति की दृष्टि से न देखा जाय। वास्तव में यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने बड़ी संयमित और नम्र भाषा में रखा है और जो कार्य हुआ है, जिसकी इसमें चर्चा है वह वास्तव में किसी एक दल की बात नहीं है और यह हमारे माननीय सदस्यों ने साबित भी कर दिया है। क्योंकि इस सदन में इस प्रकार आने के पहले कुछ चर्चा अखबारों में हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि संविद दल के १६ सदस्यों ने जिनके

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

अध्यक्ष एक न्यायाधीश, श्री हरीशचन्द्र सिंह थे--जोकि संविद सरकार में सम्मिलित हैं, उसी दल के हैं उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जो कार्य हुआ है १४४ धारा तोड़ने का वह संसदीय प्रथाओं के बिलकुल खिलाफ है और उन मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए और उनकी निन्दा करनी चाहिए। इस प्रस्ताव में तो "निन्दा" का शब्द माननीय गुप्ता जी ने नहीं रखा है, उसका अर्थ वैसे जो भी निकलता हो, लेकिन इसकी ऐसी भाषा नहीं है कि मंत्रियों ने संविधान को तोड़ा है। बल्कि भाषा यह है कि १४४ का उल्लंघन कर संविधान और विधि की मर्यादा को अपूर्व क्षति पहुंचाई..." इसमें दो राय क्या हो सकती है? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कृपा करके इस प्रश्न को राजभाषा का प्रश्न न बनाइये। कल माननीय त्रिपाठी जी की स्पीच के बाद और गुप्ता जी ने जिस तरह से सवाल रखा था अगर इसे राजभाषा की डिबेट बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि इस सदन का उससे मान नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वह सब समझते हैं। मैं माननीय प्रभुनारायण जी और वर्मा जी दोनों के हिन्दी प्रेम की मैं सराहना करता हूं, लेकिन वह सोचें कि और भी लोग हैं जो हिन्दी से प्रेम रखते हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शोर कम होना चाहिए, मैं सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहूंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर ठंडे दिमाग से विचार करें, दलीलों से काम लें और यह देखें कि आया इन दो मंत्रियों के कार्य से सदन की मर्यादा बढ़ी है या घटी है। (व्यवधान) जैसा कि कल कहा, मंत्रि परिषद् की संयुक्त जिम्मेवारी होती है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। दिल्ली राज्य ने दफा १४४ लगायी, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, उसको यहां के २ मंत्रियों ने तोड़ा। इसी सरकार ने अपने यहां भी दफा १४४ लगायी, यहां भी जिन लोगों ने उसको तोड़ा उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी आन्दोलन के सिलसिले में इसी सदन के १२ से ज्यादा माननीय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं माननीय प्रभुनारायण सिंह तथा माननीय वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी ही सरकार ने जब अपने आदमियों को गिरफ्तार किया तो उनका राष्ट्र-प्रेम कहां गया? क्या इससे उनकी सरकार को ठेस नहीं पहुंची? (व्यवधान)

कल माननीय प्रभुनारायण सिंह जी कह रहे थे कि वे दिल्ली प्रधान मंत्री को नेक सलाह देने के लिए गये थे। यह उन्होंने बड़े साहस का काम किया। यह काम उन्होंने किया, और लोगों ने नहीं किया। मैं इस संबंध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनको कोई नेक सलाह देनी थी तो क्या वे उसे चिट्ठी लिख कर नहीं दे सकते थे या तार द्वारा नहीं दे सकते थे? जनता के पैसे पर वहां जाकर सलाह देने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूं कि सही बात शायद न हो क्योंकि अखबारों में बहुत पहले से यह निकल गया था कि यहां के दो मंत्री दिल्ली जाकर दफा १४४ को तोड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार उनका यह कहना कि वे दिल्ली दफा १४४ तोड़ने नहीं, प्रधान मंत्री को नेक सलाह देने गये थे, ठीक नहीं लगता और इससे उनका वह साहस कुछ ढीला पड़ जाता है। फिर वह क्या साहस दिखाने गये थे। माननीय प्रभुनारायणसिंह जी ने कहा कि वे कई बार जेल गये हैं, वह साहस की बात हो सकती थी लेकिन दफा १४४ तोड़ना क्या साहस की बात हो सकती है? गोली-लाठी का मुकाबला जो उन्होंने पहले किया, वह साहस का काम था लेकिन यह क्या साहस हुआ एक दिन की सजा भी क्या कोई साहस का काम है लेकिन यहां तो दूसरा ही सेहरा उनको पहनना था। फूल लगा कर शहीदों में गिनती कराने का साहस किया गया था। अगर आप इस्तीफा देकर जाते तो साहस भी कहा जा सकता था। आपके दिमाग में यह बात होती कि हमारे कृत्य से

मुख्य मंत्री नाराज हो जायेंगे और हमको मंत्रिपरिषद् से निकाल देंगे, तब तो साहस भी था। लेकिन मुख्य मंत्री का साहस तो पहले ही आप देख चुके थे, उनके साहस को आप आजमा चुके थे और आप आश्वस्त हो चुके थे कि उनकी ओर से कुछ भी होने वाला नहीं है।

आपका दूसरा मास्टर यह सदन है। अब उसकी परीक्षा आप ले रहे हैं कि वह आपकी निन्दा करता है या नहीं, आपके काम को अशोभनीय बतलाता है या नहीं। यहां राज्य भाषा या राष्ट्र भाष का सवाल नहीं है। असली सवाल तो यह है कि जो हमारे यहां मंत्री हैं उनको दूसरे प्रदेशों में अथवा दिल्ली दफा १४४ तोड़ने के लिए जाना चाहिए था या नहीं? मंत्री वे बने रहें और कानून तोड़ने के लिए जायं, यह अशोभनीय बात है। क्या इस प्रकार से लोकतंत्रीय सरकार कायम रह सकती है? संविद सरकार के ही १६ आदमियों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर दिया है, इससे साफ जाहिर है कि बहुमत की राय यह है कि यह कार्य आपने अशोभनीय किया है, निन्दनीय है। हम लोग भी गांधी जी के चरणों में बैठे हैं, उनके साथ काम किया है, लेकिन कल से ये सब बातें उनका नाम लेकर कही जा रही हैं, यह उनके नाम पर कौन-सा तर्पण हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके ३–४ मिनट में समाप्त कर दें क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कहा गया कि कांग्रेस वाले और गांधी जी भी सत्याग्रह करते थे। १९३९ में कांग्रेस ने भी सत्याग्रह किया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब जाकर कानून को भंग किया था। वह भी विदेशी सरकार के जमाने में। यह नहीं किया कि सरकार में रह कर इस प्रकार से कानून भंग किया हो जैसा आपने किया। कांग्रेस ने यह कभी नहीं सिखाया कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे रहें और कानून का उल्लंघन कर दिया जाय। अगर कांग्रेस का नेतृत्व उस समय न होता तो देश में आज प्रजातंत्र कायम न होता प्रजातंत्र की जड़ है कानून या विधि-विधान के प्रति श्रद्धा और उसी को एक जबरदस्त ठेस इन मंत्रिगण ने लगाई है। दूसरों से कहते हैं कि प्रस्ताव लाये हैं राजनैतिक लाभ उठाने के लिए। क्या उन्होंने समझा था कि सोशलिस्ट दल में श्री प्रभु नारायण सिंह और श्री राम स्वरूप वर्मा के अतिरिक्त और कोई नेता था ही नहीं, उनकी यह हैसियत इसीलिए तो बनी कि वह यहां मंत्री थे और वह मंत्री इसीलिए बने क्योंकि उनको यहां इस सदन का विश्वास प्राप्त हुआ। सदन ने जो उन्हें गरिमा दी है, जिससे वह मंत्री बने और मंत्री की हैसियत से ही वहां गये तो क्या और कोई दल में सदस्य नहीं था। मैं नहीं मानता कि उन का दल दिवालिया हो गया था, यहां उनका दल है। वह इस्तीफा देकर जा सकते थे और उनके स्थान पर यहां उनके ही दल के दूसरे लोग आ सकते थे। अगर उनके दल में दिवालियापन नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि जो काम उन्होंने किया उससे पूरे मंत्रि परिषद् को ठेस पहुंची है। विधान की वजह से जो उन्हें यहां हैसियत मिली थी उसका इस तरह से दुरुपयोग किया गया है। इस सदन की असली मालिक जनता है और आज हर नागरिक इस तरह के मंत्रियों के कार्य को जज करेगा और मुझे आशा है कि यहां भी इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार होगा जिससे संसार में जो यह अनोखी घटना हुई, किसी भी संसार के प्रजातंत्र राज्य में कहीं भी मंत्री अपने ही देश में इस तरह से कानून तोड़ते हुए दिखाई नहीं देते। यह जो एक अभूतपूर्व घटना हुई है मुझे विश्वास है कि विधान की गरिमा को देखते हुए सदन इस प्रस्ताव को पास करेगा और इस तरह के कार्य की निन्दा करेगा।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

मैं एक जानकारी चाहता था.

श्री अध्यक्ष—

उसके लिए तो प्रश्नों का समय होता है। जानकारी किस से करेंगे ?

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं।)

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष के नेता की ओर से प्रस्तुत किया गया है, असल में उस प्रस्ताव के साथ हमारे बहुत से राष्ट्रीय सवाल जुड़े हैं जो बहुत विवादास्पद हैं। श्री रामस्वरूप वर्मा और श्री प्रभु नारायण सिंह से संबंधित धारा १४४ तोड़ने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह अपनी जगह पर है और उस पर भी मैं निश्चित रूप से विचार प्रकट करूंगा लेकिन इस आन्दोलन के साथ जो बहुत से सवाल जुड़े हैं उन पर आज नहीं तो कल हमें अपना एक निश्चित मत निर्धारित करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हिन्दी के साथ ही राष्ट्रीय एकता का सवाल है। जिस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आजादी की प्राप्ति का आन्दोलन चल रहा था हिन्दी उस राष्ट्रीय आन्दोलन में ही एकता के सवाल को लेकर आई और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन की आखिरी पीढ़ी से दुर्भाग्य से मेरा संबंध हुआ, मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर आयी थी, लेकिन आज जिस तरह से हिन्दी का आन्दोलन चलाया जा रहा है अगर इसको इसी तरह से चलने दिया गया और उसको कोई वैधानिक रूप देने की कोशिश न की गई तो मुझे डर है कि शायद यह राष्ट्रीय विघटन का कारण न बन जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं, अधिष्ठात्री महोदया, कि हम हिन्दी भाषी क्षेत्र के रहनेवाले हैं। व्यक्तिगत रूप से जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो साधारण अंग्रेजी जानता हूं। मेरा इससे कोई माया मोह नहीं है, लेकिन जिस प्रदेश की मात्र भाषा हिन्दी हो केवल राज्य भाषा ही न हो, उस प्रदेश में स्वतंत्रता के २० वर्ष के उपरांत भी कांग्रेस के शासन से आजतक जो स्थान हिन्दी को हम प्राप्त करवाना चाहते थे, वह प्राप्त नहीं हुआ है। हिन्दी के संबंध में केन्द्रीय सरकार की जो नीति रही है, उस नीति की वजह से ही ये सब उलझनें पैदा हुयी हैं। आप जानती हैं महोदया, कि पंडित नेहरू ने एक आश्वासन अगर अहिन्दी भाषी लोगों को दिया, मैं समझता हूं, हम चाहें कम्युनिस्ट हों, चाहे जनसंघी हों, चाहे एस० एस० पी०, चाहे कांग्रेस वाले हों वह आश्वासन किसी कांग्रेसमैन की हैसियत से नहीं बल्कि सारे देश में एकता की स्थापना के लिए था और वह आश्वासन पूरा करना अनिवार्य था। उस आश्वासन के बारे में केन्द्रीय सरकार और पंडित नेहरू उसी प्रकार से अपने कान में तेल डाले बैठे रहे जिस प्रकार से और बहुत से नारों के बारे में उन्होंने किया। समाजवाद के नाम पर काम होता रहा पूंजीवाद का। इस तरह से राष्ट्रीय एकता के नाम पर और आश्वासन के नाम पर बहुत भोंडे तरीके से काम लिया और बहुत गलत काम किया।

केन्द्रीय सरकार ने इस भाषा विधेयक को प्रस्तुत करके एक क्राइसिस कर दिया, विशेषकर जबकि गैर-कांग्रेसी और कांग्रेसी संघर्ष राजनैतिक रूप में चल रहे हैं। उन्होंने भी यही टाइम इसके लिए चुना और उसके कारण आज एक अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। कामरेड माननीय प्रभु नारायण सिंह जो हमारे राजनीतिक आन्दोलन के ही साथी नहीं हैं अपितु अब वे हमारे मजदूर कोलीग भी हैं। कल उन्होंने सदन में कहा कि मैं दिल्ली में दफा १४४ तोड़ने के लिए नहीं गया था। यदि ऐसा था तो अच्छी बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय राम स्वरूप वर्मा दफा १४४ ही तोड़ना चाहते थे तो उन्हें मोदीनगर या उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले में, जहां कि हमारे बच्चों के सिरों पर बेरहमी से लाठियां पड़ रही थी, जैसा कि ब्रिटिश राज्य के जमाने में हमारे सिर तोड़े जाते थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दफा १४४ तोड़नी चाहिए थी। मोदीनगर में दफा १४४ के लगने के कारण हम लोग माननीय डांगे साहब की सभा नहीं कर सके और दफा १४४ की वजह से, इस सरकार की नालायकी के कारण एक किलोमीटर हट कर करनी पड़ी। प्रश्न केवल यह था कि या तो हम दफा १४४ तोड़ें और अगर हम दफा १४४ का आदर करते हैं तो इलाका छोड़कर दूर जल्सा करें जिससे हमारे इलाके के किसान और मजदूर उसमें हिस्सा न ले सकें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह नालायकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या प्रदेश सरकार की और क्या शब्द नालायकी कहना उचित है ?

आचार्य दीपंकर—

मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन अगर कानून के खिलाफ है तो मैं उसे वापस लेता हूं। आज जो स्थिति है उसमें ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें पैदा हो रही हैं जिनसे राज्य के, देश के विघटन होने का अन्देशा पैदा हो गया है। फासिज्म से तो हम सुलझ लेंगे और यह भी मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में फासिज्म कभी नहीं आ सकता। लेकिन यह जो खतरा पैदा हो गया है विघटन का यह उसी तरह का है जैसे पहले रजवाड़े थे और विदेशी हमला करने चले आते थे और हम उनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाते थे। आज देश में वह बीज पैदा हो गया है और इतना भयानक रूप धारण करता जा रहा है, चाहे वह गऊ माता के नाम से हो अथवा हिन्दी माता के नाम से हो, कि इस से इस देश के टुकड़े हो जायेंगे और अगर टुकड़े हो गये तो हमारे लिये बड़ी खतरनाक बात होगी। इस स्थिति की जिम्मेदारी हमारे कांग्रेसी दोस्तों पर है जिन्होंने पिछले २० वर्षों में ढुलमुल यकीनी से काम किया और कहा कुछ व किया कुछ। उन्हीं के पिटारे में से ये भूत बैताल निकले हैं जो सबको खायेंगे।

मैं जानता हूं कि कामरेड प्रभुनारायण और राम स्वरूप वर्मा दिल्ली जो गये तो केन्द्र की ताकत को चुनौती देने नहीं गये थे। वे हमारे बहुत सुलझे हुये और अनुभवी कामरेड हैं। वे यह भी जानते हैं कि अगर केन्द्र की पुलिस को इस प्रकार की चुनौती दी गयी तो इस से आगे चल कर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बड़ा बल मिलेगा। मैं कोई भ्रम न पैदा करके यह बारबार कहना चाहता हूं कि अगर यह प्रवृत्ति बढ़ती चली गयी तो क्या होगा ? यह तो सिम्बालिक था और हमारे कामरेड्स के साथ बाडीगार्ड भी एक गया। लेकिन कल को अगर वे यू० पी० की पुलिस के ५० बाडी गार्ड ले कर गये और ८ करोड़ जनता ही केन्द्र को चुनौती देने लगे तो इसका परिणाम यही होगा कि विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिलेगा। फिर इस तरह का एजीटेशन चलाने का क्या तात्पर्य है ? क्या लखनऊ ही हमारे लिये हिन्दुस्तान है। तमिलनाड और मैसूर हिन्दुस्तान नहीं हैं ? जो हिन्दी नहीं बोलते हैं वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं ? ऐसी स्थिति में क्या होगा ? इस देश में हम सब एक हैं। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हम एक हैं। हमको इस देश को एक रखना ज्यादा आवश्यकीय है, अखंड बनाकर रखना हमारे लिये ज्यादा महत्व की चीज है, बड़ी प्राथमिकता है बजाय इसके कि हम यह निर्णय करें कि कौनसी भाषा बोलेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उलझे हुये हैं और उस संबंध में मैं अपनी राय स्पष्ट तौर से रखना चाहता था आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं। यह सदन इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेगा और बगैर राजनीतिक मतभेदों को रखते हुये विचार करेगा और बिना पार्टियों के हानि अथवा लाभ का ध्यान रखते हुये विचार करेगा और वे प्रश्न जिन पर विचार हो गये हैं कि इस देश का क्या होगा ? यह अखंड रहेगा या नहीं रहेगा ? विशाल भारत रहेगा या नहीं रहेगा ? यह प्रश्न प्राथमिक और सर्वोपरि है और इसके महत्व को देखते हुये सारा सदन इस पर विचार करेगा।

श्री भैरवदत्त धूलिया (जिला गढ़वाल)--

अधिष्ठात्री महोदया, कल से जो निन्दा का प्रस्ताव यहां पर उपस्थित हुआ था उस पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनमें तीन-चौथाई विचार वस्तुस्थिति से अलग हैं और एक चौथाई वस्तुस्थिति पर आये हैं। नेता सदन से और जिन मंत्रियों ने दिल्ली जाकर दफा १४४ तोड़ी है उनसे यह उत्तर चाहूंगा कि हमारे जिन दो मंत्रियों ने दिल्ली जाकर दफा १४४ तोड़ी उससे विधान की अवज्ञा होती है या नहीं और उन्होंने वहां की अदालत में जो कार्य किया है उससे विधान की अवज्ञा होती है या नहीं ? इस प्रश्न को लेकर स्वयं प्रभुनारायण सिंह ने महात्मा गांधी तथा नेहरू जी के दाहरण दिये जिनके देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महात्मा गांधी जी ने यह काम तब किया था जब देश गुलाम था और गुलामी को तोड़ने के लिये विदेशी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह का अस्त्र युद्ध के स्थान पर इस्तेमाल किया था जो कि एक नये तरीके का युद्ध था और इस लिये उन्होंने तमाम कानूनों की अवज्ञा की और हमने भी उनके नेतृत्व में अवज्ञा की।

दूसरा उदाहरण नेहरू जी का दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। नेहरू जी उस समय एक नागरिक की हैसियत से कश्मीर में घुसे थे न कि प्रधान मंत्री अथवा मंत्री की हैसियत से। फिर जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उनको आदेश दिया कांग्रेस प्रेसीडेन्ट की हैसियत से कि तुम फौरन वापस चले आओ तो वे वापस चले आये थे। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि मंत्रियों द्वारा १४४ तोड़ना और अदालत की अवज्ञा करना विधि सम्मत है या नहीं ? सवाल इतना ही है कि मंत्रिगण भारत के संविधान की अवज्ञा कर सकते हैं या नहीं क्योंकि मंत्रियों की हैसियत अथवा विधायकों की हैसियत एवं एक नागरिक की हैसियत में फर्क होता है। मंत्री कानून बनाने वाले हैं। उन्होंने जो कानून बनाये हैं वह देश में लागू होते हैं। मुझे यह मालूम हुआ है कि यहां के जो विधिज्ञ हैं उनकी राय यह है कि यू०पी० के अन्दर १४४ तोड़ना तो मंत्रियों के लिये अपराध होता मगर उन्होंने जो दिल्ली में तोड़ा वह अपराध नहीं है। यह बात गलत है हमारा देश एक वृक्ष है, उसका विधान मूल है और उसका तना १६ प्रान्तों की राज्य सभायें हैं। अगर हम उसकी जड़ पर आघात करते हैं तो सारा वृक्ष नष्ट हो जायेगा। "छिन्ने मूल नैव शाखा पत्रम्"। अगर हम विधान की हत्या करते हैं तो हम पार्लियामेंट की हत्या करते है और अगर हम पार्लियामेंट की हत्या करते हैं तो यहां के विधान मंडल की अवहेलना करते हैं। इसलिये हमारे मंत्रियों ने हिन्दी को ले कर वहां जो कार्य किया है वह कानून की अवज्ञा की है। अंग्रेजी को हटाने के लिये मैं भी उनके साथ उतना ही हूं जितना कि वह है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि वह यहां विधान सभा में कानून पास करें कि सब विधायक और मंत्री और यहां की पुलिस जो हिन्दी विरोधी हैं उन पर हमला करें, क्या वह इसके लिये तैयार हैं ? और इसी तरह अगर मदरास और नागालैंड हमला करें तो देश की क्या स्थिति होगी ?

आप देश को रखना चाहते हैं या उसका विघटन करना चाहते हैं। अगर आप देश को एक रखना चाहते हैं तो उन लोगों की बात को भी हमें सुनना होगा। मैं अपने जनसंघी भाइयों से, जो देश की एकता के बहुत बड़े पक्षपाती हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में मिलायेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कानून शिकनी करने से देश की एकता कायम नहीं रख सकेंगे। मैं एक भविष्यवाणी करता हूं कि आज देश में पृथ्वीराज चौहान का समय आ गया है। उस समय विरोधी भावनाओं से जिस प्रकार देश विछिन्न हुआ था आज भाषा के मामले में हम देश को विछिन्न करने जा रहे हैं। एक बात मैं और निवेदन कर दूं। नेशनल कैपिटल को लूटकर अगर हम राजनीतिक कैपिटल बनायें और राजनीतिक कैपिटल को लूटकर व्यक्तिगत कैपिटल बनायें तो देश नष्ट हो जायेगा। यदि हम व्यक्तिगत कैपिटल को राजनीतिक कैपिटल और राजनीतिक कैपिटल को नेशनल कैपिटल में परिणत करेंगे तभी देश का उत्थान हो सकता है। तो इस संदर्भ में इन बातों का विचार करें।

मैं कल तक तो संविद के ह्विप में था। मेरा वहां से निकलने का एक कारण यह भी है कि मैं अपने विवेक का उचित ढंग से प्रयोग कर सकूं। आज हिन्दी यहां के विवाद का विषय

नहीं है। आज का विषय यह है कि हमारे मंत्रिगण का दिल्ली में १४४ तोड़ना और दिल्ली की अदालत की अवमानता करना विधान के प्रति अवज्ञा है या नहीं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे जब धारा १४४ तोड़ने गये थे तो क्या उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से आदेश लिये थे और जब तोड़ कर यहां आये तो क्या उन्होंने प्रदेश में हिन्दी आन्दोलन के संबंध में लगी हुई धारा को उठाया और जो लोग इस आन्दोलन में जेल गये हैं उनको मुक्त कराया है ? मेरे पास आज भी जनसंघ के कार्यालय पौड़ी गढ़वाल के जिले से तार आया है कि हमारे यहां हिन्दी आन्दोलन के सिलसिले में शान्त जुलूस निकला था उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसलिये आप अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध सदन में लाइये। यह मेरे जिले की जनसंघ की सूचना है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस समय प्रश्न देखने का यह है कि इनका कार्य विधान के प्रति अपमानजनक है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अख्तरअली खां (जिला रामपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, यह सवाल न सिर्फ हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में बड़ी सरगर्मी के साथ उठा हुआ है कि आया कैबिनट के इन मंत्रियों ने जेल जाकर अच्छी मिसाल कायम की है या जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाया है मैं इस सवाल को दो पहलुओं से देखता हूं। सबसे पहले यह कि जिस तरीके से नेता विरोधी दल ने कहा है कि उन्होंने विधान का उल्लंघन किया है। इस मसले पर मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपना बयान दे दिया है और इसकी पूरी सफाई कर दी है कि इसमें विधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उनको हक था कि वे निजी हैसियत में जाकर वहां अपनी राय का इजहार करते। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरा सवाल प्रोप्राइटी का है कि उनके इस पद के लिये यह मुनासिब था या नहीं ? इसमें एक बात और अर्ज किये देता हूं कि उन्होंने वहां जाकर न सिर्फ अपने लिये बल्कि दूसरे साथियों के लिये भी कुछ कठिनाइयां भी पैदा कर दी हैं और वे भी सोचने लगे हैं कि मंत्रि-परिषद् में रहने के लिये जेल जाना जरूरी हो गया है।

मुझे उतना ही मालूम है जितना अखबारों में पढ़ है। सरकार की तरफ से इसके बारे में अभी तक कोई बयान शायद नहीं हुआ है। लेकिन जितनी खबर है वह तकलीफ देह है और इसकी वजाहत होना जरूरी है। पहली बात यह है कि वे अपनी पार्टी की तरफ से एलान करके गये या किसी तरह से गये। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि वे ऐलान करने गये। इसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनका बयान निकला कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को मेमोरंडम देने जा रहे थे और गिरफ्तार कर लिये गये। अगर उनका यह बयान सही है तो प्रदेशीय सरकार को मुनासिब मौका है कि वह केन्द्रीय सरकार से जबरदस्त प्रोटेस्ट करे और अगर वाकई गिरफ्तार होने गये थे तो यह बयान उनका गलत है। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। लिहाजा इसकी वजाहत होना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही साथ एक चीज और है जिसको मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जिस वक्त मंत्री जी गिरफ्तार हुये तो इनके पीछे-पीछे सरकारी गाड़ी और इनका स्टाफ तथा शैडो भी थे। उनको अख्तियार था कि वे अपने खयालात का इजहार करते, लेकिन जिस ओहदे पर थे उसका इस्तेमाल करना उनके लिये मुनासिब बात नहीं थी। इससे बड़ी और खतरनाक बातें हैं उनके मुताल्लिक मैं अर्ज नहीं कर सकता हूं, लेकिन चाहूंगा कि सरकार को मालूम करना चाहिये कि जिस वक्त पांच बजे अदालत बन्द न होने पर प्रोटेस्ट किया और बाहर तशरीफ लाये, और पुलिस ने अन्दर ले जाना चाहा, इस पर झगड़ा हुआ अ र एक अखबार में यहां आता है कि दिल्ली पुलिस के एक आफीसर की वर्दी फट गयी और उसने रिपोर्ट की। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत नाजुक मसला आ गया। जो उनके थे वे साथ में थे। जिस वक्त यह वाकया हुआ, एक शैडो ने रिवाल्वर निकाल लिया और कहा कि अगर कोई आगे बढेगा तो हम निपट लेंगे। सवाल यह

[श्री अख्तर अली खां]

है कि जो शैडो उनकी हिफाजत के लिये मुकर्रर किये गये थे वह उस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे या अपनी ड्यूटीज से हट गये थे ? मुझे मालम हुआ कि उन शैडोज को भी जमानतें हुई हैं। अगर वह अपने पद के कारअंजाम में लगे हुये थे, वह हिफाजत कर रहे थे तो मंत्रियों की जिम्मेदारी थी, उनको कहना चाहिये था कि वह शैडो की हैसियत में हैं, इनका प्रासीक्यूशन न करो। उनके रिवाल्वर निकालने को और उनकी जमानतें होने को प्रदेश की सरकार को डिफेंड करना चाहिये। मैं इन हालात में यह चाहता हूं कि बजाय इसके कि इस पर बहस हो उससे पहल सरकार पूरी मालूमात करके सदन के सामने रखे तभी हम यहां राय दे सकेंगे। जो टूटी फूटी खबरें अखबारों में आयी हैं उनकी बिना पर राय देना मनासिब भी नहीं है और न दी जा सकती है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठात्री महोदया, पहले इसके कि मैं अपनी बात कहूं, मैं आपके जरिये इस बात का प्रोटेस्ट करना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों के खिलाफ आज यह वाद विवाद चल रहा है उनमें कोई भी सदन में उपस्थित नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन का यह एक मानी में अवमान करना है। माननीया, जिस समय माननीय प्रभूनारायण सिंह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रभाषा विधेयक बजाय पार्लियामेंट के उत्तर प्रदेश विधान सभा में पेश है। मैं धन्यबाद देता हूं अपने मित्र अख्तरअली साहब, धुलिया साहब और दीपंकर जी को कि उन्होंने नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का जो सीमित दायरा है उसी के अन्दर अपने को महदूद रखा। आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा का विरोध हो। उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी प्रान्त है ही। उत्तर प्रदेश को यह गर्व प्राप्त है कि इससे देश के अन्दर सबसे पहले हिन्दी को अपने प्रदेश की भाषा घोषित किया और इसका श्रेय स्वर्गीय, प्रातः स्मरणीय टंडन जी को प्राप्त है। आज केवल प्रश्न यह है, और गुप्ता जी ने दो ही शब्द लिखे हैं, उन्होंने कहा है—मंत्रिमंडल के दो माननीय सदस्य मंत्री रहते हुये, गुप्ता जी ने इस बात पर आक्षेप नहीं किया कि उनको नागरिक के नाते सत्याग्रह करने का अधिकार नहीं था या दफा १४४ तोड़ने का अधिकार नहीं था, मंत्री होते हुये उनको अधिकार था या नहीं केवल प्रश्न यह उठता है ? अगर शासक कानून तोड़ना शुरु कर दें तो प्रशासन का क्या होगा ? जब कानून बनाने वाले कानून को तोड़ने लगें, जब शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की जिन पर जिम्मेदारी हो वह कानून तोड़ने लगें तो फिर प्रदेश में के त्रास और अनार्की अराजकता फैल जायगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। श्री प्रभूनारायण सिंह बनारस जेल में गये और उन आन्दोलनकारियों जिन्होंने हिंसात्मक कार्य किये थे उनको शाबाशी दी और उनसे कहा कि तुमने इतना बड़ा देश भक्ति का काम किया है। इतना ही नहीं हुआ। इलाहाबाद में रामस्वरूप जी गये। उन्होंने कहा कि बड़ी देशभक्ति का काम विद्यार्थियों और आन्दोलनकारियों ने किया। दफा १४४ तोड़ने पर उनको शाबाशी दी जाती है। यहां पर कहा गया कि इस कैबिनेट ने इस बात का प्रस्ताव पास किया कि इस भाषा विधेयक का विरोध करेंगे।

मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके जरिये कि क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद १६७ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना दी थी कि उनका मंत्रिमंडल इसका विरोध करेगा और अगर विरोध करेगा तो उसकी क्या शक्ल होगी ? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जाकर कहा कि हमें माननीय मुख्य मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। ज्वायंट रिस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की। अगर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसका फैसला किया था कि इस विधेयक का विरोध किया जाय तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये इन दो मंत्रियों को ही क्यों चुना गया ? कैबिनेट में और भी मंत्री थे, वे वहां क्यों नहीं गये ? तो आज बुनियादी सवाल यह है कि अगर इस तरह से कानूनों की अवहेलना मंत्रियों द्वारा की जाय तो इसके माने यह है कि वे जनतंत्र पर कुठाराघात करके इस देश के अन्दर किसी किस्म की डिक्टेटरशिप कायम

करना चाहते । तो यहां पर सवाल संसदीय प्रणाली का है, यह संसद और जनतंत्र के जीवन-हें मरण का प्रश्न है । जब माननीय प्रभूनारायण सिंह जी बोल रहे थे तो ऐसा मालूम होता था कि वे हिन्दी के लिये बड़ा भारी शहीद होने के लिये गये थे । उन्होंने महात्मा गांधी की दोहाई दी । मुझे खुशी है कि उनको आज गांधी जी की याद आगई । महात्मा गांधी की सहनशीलता और सौजन्यता का अगर यही उदाहरण उनके सामने है तो इसके लिये मैं माननीय प्रभूनारायण सिंह को बधाई देना चाहता हूं । गांधी जी तो कहा करते थे कि सत्याग्रही अपने पद और अधिकारों को त्याग करके जेल जायं और वापिस आकर भी उनको ग्रहण न करें । तो इसी तरह से इसमें उनको क्या आपति थी कि ये दोनों मंत्री माननीय प्रभूनारायण सिंह और माननीय रामस्वरूप वर्मा इस्तीफा दे दिये होते और उसके बाद वहां गये होते ? उसके बाद अगर वे कोई इस तरह की बात कहते तो मैं भी उनका आदर करता । मैंने पार्लियामेंटरी पद्धति संबंधी किताबों में ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां इस तरह के मंत्रियों ने दफा १४४ या किसी कानून की अवहेलना की हो अपने देश के अन्दर । अमेरिका की बात छोड़ दीजिये जहां सिविल वार हुई थी । जहां फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वहां भी इस तरह का कोई उदाहरण मुझे नहीं मिला ।

बहुत ढूंढने पर मुझे माननीय बिट्ठल भाई पटेल, जो हमारे सेन्ट्रल असेम्बली के प्रेसीडेन्ट थे, उनकी एक मिसाल मेरे सामने आयी । जिस समय सन् १९३० का आन्दोलन चल रहा था, देश से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिये कांग्रेस ने तमाम देश का आह्वान किया था कि विदेशी हुकूमत को खतम करो, उस समय माननीय विट्ठल भाई पटेल हमारी सेंट्रल असेम्बली के प्रेसीडेंट थे । उस समय माननीय पटेल की आत्मा में अन्तर्द्वंद्व पैदा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जब देश की आजादी के लिये तमाम देश का आह्वान किया है तो इस मौके पर हमारा क्या फर्ज है, क्या मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये ? इस पर उन्होंने उस समय के वायसराय को एक चिट्ठी लिखी, उसके केवल दो पैराग्राफ हैं जो अंग्रेजी में हैं, उनको मैं आपकी आज्ञा से पढना चाहता हूं । वह इस प्रकार हैं—

"Whilst, therefore, I am quite clear that it would be wrong and indeed dangerous for any president to act on the mandate of any political party in or outside the House, I am equally emphatic that, circumstanced as India is, a situation might arise when in the larger interests of the country the President of the Assembly might feel called upon to tender his resignation with a view to a return to a position of greater freedom."

उन्होंने कहा—यद्यपि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि किसी प्रेसिडेंट के लिये उचित नहीं है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी क आह्वान पर त्यागपत्र देकर बाहर चला जाय, किन्तु इस देश की आज जो स्थिति है उस स्थिति में मैं यह बात महसूस करता हूं कि पद से ऊपर आज की स्थिति में देश की आजादी का स्थान ह इसलिये मुझ त्यागपत्र देकर बाहर जाना चाहिये । आगे है—

"I have no doubt in my mind that such a situation has now arisen in the country. My people have been engaged in a life and death struggle for freedonm. The movement of non-violent Non-co-operation and Civil Disobedience initiated by the Indian National Congress under the Leadership of M. Gandhi, the greatest man of modern times, is in full swing. Hundreds of prominent countrymen of mine have already found their place in His Majestey's jails; thousands of thousands are ready to

[श्री नवल किशोर]

court imprisonment in the prosecution of that great movement. At such a juncture in the history of the history of the struggle for freedom of my contry, my proper place is with my countrymen with whom I have decided to stand shoulder to shoulder, and not in the Chair of the Assembly.

In such a situation, the only honourable and patriotic course open to me is to severe my connection with the Govt. of India, which I hereby do, by tendering my resignation, and take my legitimate place in the fight for freedom, side by side with my countrymen."

मान्यवर, उन्होंने कहा कि जब देश की हजारों और लाखों जनता इसे नहीं चाहती तो इसके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिये मुझे सरकार के बाहर यानी अपने पद के बाहर हो जाना चाहिये। उस समय देश में कितना जबरदस्त आन्दोलन छिड़ा हुआ था, उसको देखते हुये उन्होंने एक ट्रेडिशन को स्थापित किया और इस्तीफा अपना दे दिया और चले गए। हिन्दुस्तान के जनतन्त्र में बहुत सी स्वस्थ परम्पराएं बन गयी हैं। मेरा एक चार्ज है कि उन्होंने इस्तीफा न देकर केवल अपने पद का ही उल्लंघन नहीं किया है बल्कि कबिनेट की भी मर्यादा को भंग किया है। उन्होंने शपथ का भी जिक्र किया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उन्होंने संविधान का विध्वंस किया है। उसमें तो लिखा है कि अपहोलडिंग दी सावरेन्टी एण्ड इन्टेग्रेटी आफ दी कन्ट्री। यानी इस देश की प्रभुसत्ता और संविधान की रक्षा करना मुख्य काम रहेगा। किन्तु आज आपके उस काम से इस देश के छिन्न भिन्न होने की आशंका पैदा हो गयी है। अच्छा होता कि वह इस कार्य के लिए दिल्ली जाने के बजाए तामिलनाड गए होते और वहां जाकर अपनी पार्टी के दोस्तों से कहते कि भाई तुम हिन्दी का प्रचार करो और अंग्रेजी का विरोध करो, जिस तरह से हम कर रहे हैं। वहां पर के आपके पार्टी के मेम्बरों ने हिन्दी के विरोध में भाषण दिया है और आन्दोलन की धमकी दी है और वोट भी अपना तामिलनाड के एस० एस० पी० के मेम्बरों ने पार्लियामेन्ट में खिलाफ ही दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभुनारायण सिंह और रामस्वरूप वर्मा ने यह कृत्य करके आर्टिकिल १५६ और २५७ का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इन आर्टिकिल्स में यह साफ दिया हुआ है कि किसी भी स्टेट के अन्दर या केन्द्र में जाकर कोई मंत्री किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा उसके नियमों का पूरी तरह पालन करेगा। वह किसी भी स्टेट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी आप साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े शहीद होने के लिए दिल्ली गए थे। इतना ही नहीं, मंत्री जी यह भी बड़े गौरव से कहते हैं कि जब पांच बज गए, ५ गवाह पेश हो गए और सात पेश होने क बाकी रह गए तो मैंने मैजिस्ट्रेट से पूछा कि अभी कितना समय और लगेगा। गवर्नमेंट में कुछ आदमी ब्लेकमार्केटिंग में पकड़े गए थे तो १२ बजे रात म बुलाकर आपके मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की थी, इसलिये आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिये अदालत को अधिकार है कि जबतक आवश्यक समझे वह बैठकर अपना कार्य करे, मुलजिम को कोई अधिकार नहीं है कि अदालत से पूछे कि कब तक अदालत चलेगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय कोई मंत्री किसी कानून की डिफाइन्श को जाय, क्या उस समय वह किसी प्रोटेक्शन का अधिकारी है? क्या मंत्री होते हुये जनता की सेवा के लिए वह जिन सुविधाओं का उपभोग करता है, उनका उपभोग वह कानून तोड़ते समय भी उस कार्य के लिए भी कर सकता है? मेरा इशारा शैंडो, स्टाफ और कार सभी से है। एक और बात जो कही गयी जो बड़ी खतरनाक बात है, जिसकी तरफ आचार्य दीपांकर जी ने इशारा किया कि शैंडों को १०० रु० का इनाम दिया गया, जिन्होंने अपना रिबाल्वर खींच लिया था दिल्ली की पुलिस के खिलाफ। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वह इनाम किस फंड से दिया गया, सरकारी धन से दिया गया, या मंत्री जी ने अपने वैयक्तिक कोष से दिया या अपनी जेब से दिया? दीपंकर जी ने यह भी इशारा दिया कि गोली चल गयी होती तो। कहते हैं कि प्रदेश की ८ करोड़ जनता

ने इस बात का फैसला किया था। कौन सा यहां फैसला किया गया था कि प्रभुनारायणसिंह को इस बात के लिये चुना जाता है कि वह इस बात का विरोध कर जाकर दिल्ली म तो वास्तव में यदि गोली चल गयी होती तो फिर क्या यहां से पी० ए० सी० और पुलिस गैरह भेजी जाती ? तब तो एक गृहयुद्ध हो गया होता, एक संघष छिड़ गया होता, एक सिविल वार हो गयी होती। तो उस हालत में क्या यह संविधान द्वारा स्थापित सरकार रहती।

एक बात और कही गयी कि अगर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में आएं, जैसा कि अखबारों में छपा है तो उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे।

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)--

माननीय सदस्य ने किस अखबार में पढ़ा जरा बता दें ?

श्री नवल किशोर--

जब आप कहते हैं कि मैंने नहीं कहा तो मैं मान लेता हूं। लेकिन यह कहा गया है कि केन्द्र के मंत्री जी यहां आयेंगे तो गिरफ्तार किया जायेगा। तो इसके मतलब यह होंगे कि वे आयें तो अपनी फौज लेकर आयें। माननीय रामस्वरूप जी वर्मा ने अपने एक भाषण में यह कहा कि गवर्नमेंट कैन कमिट नो मिस्टेक यानी हम मिनिस्टर थे, हम गवर्नमेंट थे तो फिर पूरी गवर्नमेंट को जाकर धारा १४४ तोड़नी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला को इतनी बड़ी हैसियत दी गयी लेकिन वह हमको नहीं दी गयी। वह भूल गये कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के इंडिपेंडेंस का सवाल उठाया था उनको १४ साल की सजा हो गयी लेकिन आपने तो पूरे कन्ट्री के बल्कनाइजेशन का रास्ता बनाया है, लेकिन आपको तो कोर्ट के उठने तक ही सजा मिली।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)--

मैं एक जानकारी करना चाहता हूं.....

श्री नवल किशोर--

बैठिये, मैं बोल रहा हूं।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि अभी माननीय नवल किशोर जी ने जब माननीय अनन्तराम जी जायसवाल जो डिप्टी मिनिस्टर भी हैं खड़े हुये तो उन्होंने उनसे कहा कि बैठिये। तो क्या अध्यक्षता का कार्य भी माननीय नवल किशोर जी इस समय कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अगर कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और बीच में इंटरप्शन होता है तो बोलनेवाले माननीय सदस्य जब बैठ जांय तभी दूसरे माननीय सदस्य बोल सकते हैं। यही उन्होंने कहा और इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं आयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं आपके माध्यम से माननीय वक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर अपने देश का संविधान तोड़ा जा रहा हो, जैसा कि माननीय कमलापति जी ने स्वीकार किया है या सत्य का हनन हो रहा हो और जिस शक्ति द्वारा हनन हो रहा हो तो वह इतनी जड़ हो कि उसके ऊपर असर न पड़े तो क्या मूक दृष्टा ही रहा जाय तो गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा का सहारा लेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)--

चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसका उत्तर मैं कल दे चुका हूं कि जो शास्त्र और संविधान की विधि है उसका उल्लंघन करके संविधान की हत्या की जा रही है।

श्री नवल किशोर—

माननीय कमलापति जी ने जवाब दे कर मेरा बोझ हलका कर दिया । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि लंका में श्री बन्दरनायक ने इस बात की घोषणा की थी कि केवल सिंहली वहां की राजभाषा और राष्ट्रभाषा रहेगी और वहां के तमिल के विद्यार्थियों ने जो सिंधली पढ़ते हैं, उसका विरोध किया और उनको वहां अपनी आज्ञा बदलनी पड़ी । ईस्ट पाकिस्तान में अय्यूब की गलतियों से दो भाषाओं को वहां अन्ततः मानना पड़ा । यदि आप उसी रास्ते पर न चल तो ज्यादा अच्छी बात होगी ।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ एक्जाम्पिल दी गईं, जवहारलाल जी का भी नाम ले लिया गया और मुझसे यह कहा गया कि मैंने अखबार ठीक से पढ़ा नहीं है । मैं मानता हूं कि आपने ठीक से अखबार को नहीं पढ़ा । १९ जून को जवहारलाल जी शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तारी के संबंध उनकी सुरक्षा के प्रबंध के लिये काशमीर गये थे । चार आदमी उनक साथ गये थे । जब उनकी गाड़ी बाउन्डरी में पहुंची तो उसको रोका गया। उसमें एक आदमी पर यानी उन्हीं पर रोक थी । बाकी तीन आदमियों को उन्होंने जाने दिया । उस समय वह प्रधान मंत्री नहीं थे और मौ० आजाद के कहने पर वापस आ गये ।

एक इशारा किया गया, किसी साहब नें अखबार के बयान की तरफ इशारा किया कि उसमें गाली गुप्ता बहुत थी । चूंकि मुझे भी बयान देने का शौक है इसलिये हो सकता है उनका इशारा मेरी तरफ ही हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रभुनारायण सिंह जी ने और उनकी पार्टी ने तथा सी० पी० आई० ने अपना इस्तीफा दिया था । उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जिस भाषा का माननीय मुख्य मंत्री के लिये प्रयोग किया था, वह भाषा मेरे बयान में नहीं थी । मैं उनकी स्पीचेज को हाउस में पढ़कर सुना सकता हूं किन्तु मेरे बयान के अन्दर एक भी बात असंसदीय हो तो मैं हाउस में वादा करता हूं कि मैं हाउस में माफी मांगने के लिये तैयार हूं । यह बात जरूर है कि मेरा बयान अंग्रेजी में था । हो सकता है उसके किसी शब्द का मतलब उन्होंने दूसरा लगाया हो । यहां पर मुझे एक शेर याद आगया:

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।

अन्त में मैं इतना कहूंगा कि सर्वश्री प्रभुनारायणसिंह व वर्मा जी ने संविधान का उल्लंघन किया है और संविधान की धाराओं को तोड़ा है, इसलिये उनका स्थान मन्त्रिमंडल के अन्दर नहीं होना चाहिये ।

(श्री झारखंडेराय को बोलने के लिये बुलाने पर)

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गोरखपुर)—

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतादें कि जिस समय माननीय प्रभुनारायण सिंह की दिल्ली में पुलिस वालों से कुछ मुठभेड़ हुई तो इनके साथ जो सिक्योरिटी के कर्मचारी थे उन्होंने कुछ बहादुराना काम किया था ? माननीय प्रभुनारायण सिंह ने १००, १०० रुपया अपने सिक्योरिटी के आदमियों को इनाम दिया ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इनाम उत्तर प्रदेश के खजाने से दिया गया या माननीय प्रभुनारायण सिंह ने अपने जेब से दिया । सरकारी कर्मचारी को निजीरूप में दिया तो यह घूस हुई और अगर सरकारी खजाने से दिया गया तो यह प्रश्न है कि क्या दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के लिये यहां से रुपया दिया जा सकता है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल जो मेरे माननीय मित्र ने उठाया उसका उत्तर यह है कि मेरे दोस्त ने जो रुपया उनको दिया है वह अपने पास से दिया होगा । रुपया देते समय उन्होंने देखा

होगा कि कौन सा दिया और किस कपेसिटी में दिया। वह उनका अपना रुपया निजी होगा। अब यह सवाल है कि वे कर्मचारी इस रुपये को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। उन लोगों ने अपने अफसरों से दरियाफ्त किया है कि क्या वह स्वीकार कर सकते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न इस प्रस्ताव में उभर कर आया है वह वही है जिसकी चर्चा माननीय कमलापति त्रिपाठी ने बड़े जोरदार शब्दों में की। इन दोनों मंत्रियों का मन्त्री रहते हुये प्रदेश से बाहर दिल्ली जाकर कानून तोड़ना सही था या गलत था इसका जवाब पहले हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान की विशेष परिस्थिति में यह अच्छा था और यह सही हुआ।

(इस समय २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

यह एक हायर फार्म आफ स्ट्रगल, एक संघर्ष का उच्चतर नया तरीका है, नयी टेक्नीक है जिसकी विशेषता को हमको हृदयंगम करना चाहिये। आज विशेष परिस्थिति है। देश क्रान्तिकारी संक्रमण के बीच से गुजर रहा है। इस को माननीय गुप्ता जी, माननीय कमलापति जी जरूर स्वीकार करेंगे चाहे यह संक्रमण हमको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन यह अनिवार्य सत्य है कि हम एक संक्रमण के बीच से गुजर रहे हैं, एक तीव्र परिवर्तन और उथल-पुथल मची हुई है। पुरानी मान्यतायें, बहुत ही पुरानी धारणायें, पुरानी आस्थायें और जीवन के मूल्य बदल रहा है। यह बात सही है कि नयी धारणायें, नयी मान्यतायें, नयी आस्थायें अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पायी हैं। इसी देश के अंदर बिहार सूबे में एक मंत्री ने अपने ही सूबे के अंदर दफा १४४ लगी रहते हुए, उसकी सूचना उन्हें मिल जाने के बाद भी, दफा १४४ को नहीं माना और पूरी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। इसी देश के अंदर एक सूबे बंगाल में एक मंत्री अपने प्रदेश से बाहर जा कर अन्न संकट के संबंध में अपनी मांगों को लेकर प्रधान मंत्री माननीय इंदिरा गाँधी के बंगले पर धरना देने के लिये पदार्पण करते हैं, समझौता हो जाता है, धरधा और अनशन नहीं होता, लेकिन वह जाते हैं इसी के लिये।

मान्यवर, इसी देश के अंदर नान-कांग्रेस गवर्नमेंट को खतम करने के लिये बड़े पैमाने पर साजिशें चलाई जाती हैं और बिना इस बात का सही अंदाजा लगाये हुए, बिना विधान सभा को इस बात का अवसर दिये हुए कि बहुमत किस दल का है, बंगाल, पंजाब और हरियाना की सरकारें खतम कर दी जाती हैं। (शेम शेम) इसलिये आज हमारी सारी पुरानी मान्यतायें सारी पुरानी धारणायें कसौटी पर चढ़ी हुई हैं, इस कठोर सत्य को हम को मान कर चलना होगा। संविधान और संविधान की धारायें शाश्वत सत्य नहीं हैं, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ, फाइनल ट्रुथ नहीं हैं मानवीय जगत की। उस की धारायें पिछले बीस सालों में कितनीही बार बदली गयी हैं इस को हम सभी जानते हैं। आगे भी कितनी ही बार बदली जायंगी, इसमें मतभेद नहीं हो सकता। जिस समय अकिंचन और संपन्न के मध्य अन्तिम संघर्ष शुरू होगा, जिस समय हेव्ज और हैव नाट्स का मरणान्तक संघर्ष शुरू होगा उस समय संविधान की धारायें टुकड़े टुकड़े होकर आसमान में उड़ती हुई दिखायी पड़ेंगी। क्या यह सत्य नहीं है कि संविधान की बहुत सी धारायें, सम्पन्न वर्ग और हेव्ज की पक्षपाती हैं, संपन्न लोगों की हिमायती है। हैव नाट्स क्यों उन पर अन्तिम क्षण तक श्रद्धा करें और मौका आने पर उन्हें क्यों न तोड़ कर फेंक दें। जहां तक हिन्दी का प्रश्न है मान्यवर,....

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस बात की जानकारी माननीय सदस्य से चाहूंगा कि संविधान में तो बहुत सी बातें हैं जिस की वह चर्चा कर रहे हैं। क्या उन्होंने संविधान के प्रति इस सदन में और मंत्री के रूप में भी कभी शपथ ली थी और माननीय सदस्य के रूप में शपथ ली थी ?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस माननीय सदन में किसी भी सदस्य को भारतीय संविधान के विरुद्ध भाषण देने का अधिकार है जबकि इस सदन में आने के पूर्व ही उनको संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खानी पड़ती है । माननीय झारखंडे राय जी कह रहे हैं कि उस के पन्ने उड़ेंगे । क्या उन को इस तरह से संविधान की आलोचना करन का अधिकार प्राप्त है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय झारखंडे राय जी कुछ कहना चाहते हैं । उनकी बात सुन कर मैं इस पर अपनी व्यवस्था दूंगा ।

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, मैं संविधान की बहुत सी धाराओं की आलोचना कर रहा हूं । इनको मैं मालदार वर्ग की हिमायती समझता हूं, वह मुझे अधिकार है । जनरल तौर पर संविधान के प्रति अश्रद्धा की कोई बात नहीं है जिसके प्रति हमने कसम खाई है, लेकिन उसकी बहुत सी धाराओं को मैं गलत समझता हूं और समझता हूं कि वे हमारे शासक वर्ग पूंजीपतियों की हिमायत करती हैं । उनकी आलोचना करने का हमको, सदन को सभी सदस्यों को और बाहर वालों को भी अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय झारखंडे राय जी, मैं यह आप से कहना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिस स्थिति में संविधान इस समय है उसके प्रति आपकी आस्था है या नहीं है, उसके प्रति आपका विश्वास है या नहीं ? उसके बाद जैसे बदलेगा उसके संबंध में कुछ नहीं कहना है । जिस के प्रति आपने शपथ ली है उसके प्रति आप आस्थावान हैं ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, जो प्रश्न आपने पूछा है तो उसमें आस्था न होती तो मैं उस समय आपके सामने शपथ क्यों लेता, लेकिन उसकी आलोचना करने का हमें अधिकार है और आलोचना करके ही उसमें संशोधन हो सकता है ।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, आपने स्वयं एक वक्तव्य दिया था और मेरे ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा । आप स्वयं सहमत हैं कि किसी भी मानीय मंत्री को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए और उस पर बोलते हुए माननीय झारखंडे राय जब संविधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा में भाषण कर रहे हैं, यह कहां तक औचित्यपूर्ण और वैध है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रुस्तम सैटिन (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि संविधान के विरुद्ध बोला जा सकता है कि नहीं ? संविधान के विरुद्ध बोलना या उसमें अनास्था उत्पन्न करना तो सही नहीं है और जैसा संविधान आज है, हमने उसकी शपथ ली है । मगर उस संविधान के संशोधन का हमें अधिकार है और संशोधन कर नहीं सकते जब तक कि हम कुछ धाराओं से असहमति न प्रकट करें । इसलिए उसकी अलोचना करने का मुझे अधिकार है ।

श्री रामायण राय—

उत्तर प्रदेश विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । रुस्तम जी का कथन है कि संविधान में हमको संशोधन का अधिकार प्राप्त है । आप स्वय जानते हैं कि माननीय रुस्तम को जब बनारस की जनता दिल्ली भेज देगी और वहां पर भी जाकर के जब तीन चौथाई बहुमत

उनका होगा शायद उस अधिकार का वह उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश विधान सभा में बैठ करके उनको इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसका मैं आप से आग्रह कर रहा हूं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

उसी सिलसिले में मुझे कहना है कि जहां तक संविधान की धाराओं पर अमल करने का सवाल है, उसको तोड़ने का तो हमको हक नहीं है लेकिन जो धाराएं जन-द्रोही हों उनके खिलाफ बोल करके वातावरण बनाने का हमको हक है और यह सदा रहेगा।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन, संविधान का संशोधन करने में यह विदित है कि धारा ३६८ के अनुसार वह पार्लियामेंट के माध्यम से किया जा सकता है। जहां तक वातावरण बनाने का सवाल है तो वह जनसाधारण में बनाया जा सकता है और अपने बोलने का स्वतन्त्र प्लेटफार्म जनसाधारण के बीच में बनाया जा सकता है। सदन के बीच में जो हम कहते हैं, तो हम एक विनिश्चय पर पहुंचते हैं, वह नियम का रूप धारण करता है, संकल्प का रूप धारण करता है। उसका नैतिक और वैधानिक महत्व होता है और उसका जो परिणाम होता है वह कानून पर, प्रशासन पर और राज्य सरकार पर पड़ता है। तो क्या वातावरण बनाना चाहिये, यह स्थान उसका नहीं है।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं तो समझता था कि माननीय झारखंडे राय जी.....

(व्यवधान)

श्री रामायण राय—

मैं माननीय झारखंडे राय जी की सेवा में संविधान की धारा २५६ पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो इस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।"

ऐसी ही धारा २५७ भी है। संविधान की धाराओं में यह बात स्पष्ट तौर से मर्यादित की गयी है कि किन-किन विषयों में लेजिस्लेशन करने का विधान सभाओं को अधिकार है और उसके लिए एक अलग से शेड्यूल बना हुआ है। इस तरह से अगर हम अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएंगे, तो देश में एक विप्लव की स्थिति आ सकती है। मान्यवर, आप इस सदन और इस संविधान के रक्षक हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था दें जिसके रहते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

श्री रुस्तम सैटिन—

मैंने जो कहा कि संशोधन का अधिकार है तो उसका अर्थ माननीय रामायण राय जी ने यह लगाया कि इस सदन को यह अधिकार है। यह अधिकार, पार्लियामेंट को है, इसका मतलब यह है कि जन प्रतिनिधियों को है, और इस प्रकार सारी जनता को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार का वातावरण पैदा करे कि किसी धारा में संशोधन हो। यह सही है कि केन्द्रीय विषयों पर यह सदन संशोधन नहीं कर सकता, किन्तु वह केन्द्र से प्रार्थना कर सकता है कि वह अमुक संशोधन करे। अगर कोई धारा हमारे विरुद्ध हो तो हमें यह अधिकार है कि हम उसके विरोध में अपना मत व्यक्त करें और तना ही नहीं जनता को भी यह अधिकार है कि वह उसके विरोध

[श्री रुस्तम सैटिन]

में ऐसा प्रचार करे और मांग करे कि जो धारा जनविरोधी हो उसमें परिवर्तन हो। इससे किसी प्रकार संविधान का अपमान नहीं होता है और न ही जो हमने प्रतिज्ञा ली है उसके खिलाफ है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर काफी विचार व्यक्त हो चुके हो। इस पर और अधिक विस्तृत विवाद की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

अभी माननीय झारखंडे राय जी के भाषण के मध्य माननीय रामायण राय जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि उनको संविधान के खिलाफ वक्तव्य देने का अधिकार है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि एक देश का शासन सुचारु रूप से चलाने के लिए एक विधान की आवश्यकता होती है। और उसके नियन्त्रण के लिए वह देश जिस तरह के शासन की कामना करता है, जिस तरह की आर्थिक, सामाजिक और शासन की व्यवस्था की कामना करता है, उस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए वह अपने संविधान का निर्माण करता है। संविधान में जो लक्ष्य आपका निहित है उसे देखते हुए संविधान का निर्माण हुआ है। किसी भी देश को चलाने के लिए उसके संविधान पर पूर्ण आस्था अत्यन्त आवश्यक और निश्चित है। इसके साथ ही मैं इस बात के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि यह कोई शाश्वत सत्य नहीं है संविधान को कोई किसी प्रकार का नियम जो किसी देश के शासन के लिए बनाया गया हो वह सब काल के लिए, हर समय के लिए, निश्चय रूप से है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में मैं चाहूंगा कि आज संविधान के प्रति सब आस्था रखते हुए, जब तक जो वर्णित लक्ष्य उसमें हैं हम उसे कायम रखना चाहते हैं, तब तक उस संविधान के प्रति सबको आस्था रहना और सबका निष्ठावान रहना हमारे लिए अनिवार्य है। यह हमारा परम कर्तव्य है। जब कभी हमारे मूल लक्ष्य में कोई परिवर्तन होगा, तथा जब हम मूल लक्ष्य में परिवर्तन करना चाहेंगे, संविधान के बदलने के जो उचित तरीके जो समझेंगे वे उनको बरत सकते हैं। उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। माननीय रामायण राय जी के व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय झारखंडे राय जी ने बहुत स्पष्ट व्यक्त किया है कि उनकी संविधान में आस्था है और वह उसी के साथ अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि राय साहब उस आस्था को निबाहते हुए अपना वक्तव्य देंगे।

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, हिन्दी हमारी मातृ-भाषा है, हमारी राज्य भाषा है और हमारी राष्ट्र-भाषा भी है। मुझे पिछले २० वर्ष के शासन से इस बात की शिकायत है कि हिन्दी को जो स्थान २० वर्ष में मिल जाना चाहिए था, जहां २० वर्ष में हिन्दी को पहुंचना चाहिए था, वह वहां नहीं पहुंचाई गई। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने भी स्वीकार किया कि हिन्दी पिछले २० सालों में वह स्थान नहीं पा सकी जो उसे मिलना चाहिए था। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी राज्य भाषा के रूप में हमसे सर्वदा के लिए विदा हो जाय। अंग्रेजी इन्टरनेशनल भाषा है। उसके माध्यम से देश से बाहर जाकर अपने विचार रखने का अधिकार सबको है और होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी हमारी दासता की निशानी हमारे बीच में राज्य भाषा के रूप में नहीं रहनी चाहिए। उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भी बहुत साफ है कि हमारा देश एक महा देश है, सब-कांटीनैन्ट कहा जाता है। इसमें बहुभाषीय और बहु-जातीय क्षेत्र हैं, जहां बहुत सी सम्पन्न भाषायें बोली जाती हैं। उनमें बहुत सी ऐसी हैं, जैसे बंगला, मराठी, गुजराती, जिनका साहित्य हिन्दी से भी बहुत ऊंचा है। लेकिन लिन्क भाषा को स्थान हिन्दी को ही प्राप्त हो सका है।

हमारे देश के सबसे बड़े भूखंड में हिन्दी ही बोली और समझी जाती है। ऐसी स्थिति में हिन्दी को हमारे देश में लिन्क भाषा का, सम्पर्क भाषा का, स्थान मिला है। हमारी प्रमुख

भाषाओं में, जैसे बंगला या तामिल हैं, इनमें से किसी भी सम्पर्क भाषा का स्थान मिल सकता था। इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। हिन्दी को यह स्थान इतिहास और समाज के विकास के दौर में मिला है। तो उसकी राजकीय सहायता भी होनी चाहिए। हिन्दी के समर्थक देश की किसी दूसरी भाषा के विरोधी नहीं हैं। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। केवल अंग्रेजी को राजकाज की भाषा के रूप में हम सर्वदा के लिए विदा करना चाहते हैं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

व्यवस्था का प्रश्न है। विषय हिन्दी का नहीं है। विषय इस बात का है कि माननीय प्रभुनारायण सिंह और रामस्वरूप वर्मा ने दिल्ली जाकर १४४ धारा तोड़ी और गिरफ्तार हुए।

श्री उपाध्यक्ष—

अपने विषय को समझाने के लिए आप किसी को प्रतिबन्धित नहीं कर सकते हैं। उसको कुछ इधर-उधर बोलना ही होगा।

श्री झारखंडे राय—

इस मामले में हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना होगा और वह है कि हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता हमको प्राण से भी प्यारी है। वह किसी भी तरह से नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी, राष्ट्र नहीं रहेगा, तो राष्ट्र भाषा भी नहीं रह सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता को सबसे ऊपर रख कर हिन्दी का और दूसरी भाषाओं का प्रचार करना चाहिए।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाषा को लेकर हम अपने होश खो बैठते हैं। अगर एक भाषा का बहुत ज्यादा पैशन पैदा होगा तो इस बात का भी खतरा हो सकता है कि दूसरी भाषाओं का भी पैशन पैदा हो जाय। इसे जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए वरना देश के और अधिक टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे खतरे को किसी भी दशा में देश में नहीं आने देना है। हमारी स्वतन्त्रता कितनी कठिनाई से अर्जित की गई है, उस पर कोई आंच नहीं आने देना चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता किसी भी प्रकार से भंग नहीं होनी चाहिए।

इसमें किसी की दो राय नहीं हैं कि देश की दूसरी भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। नागालैंड और तामिलनाड, मद्रास से मेरा अर्थ है, वहां जो हिन्दी का विरोध है उसे मैं राजनैतिक विरोध मानता हूं। आपको याद होगा, माननीय राजगोपालाचारी किसी जमाने में महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे और हिन्दी के सबसे बड़े समर्थकों में से थे, आज वह उसके प्रबल विरोधी हैं। इसमें राजनीति है। केरल में कोई खास विरोध हिन्दी का नहीं है। वहां के कृषि मन्त्री, श्री गोविन्दन नायर, ने अभी कहा था कि उनके यहां हिन्दी के ऐसे विद्वान हैं जो हिन्दी भाषी प्रदेशों के लोगों को हिन्दी पढ़ा सकते हैं। केरल सरकार ने अभी तीसरे दर्जे से ही हिन्दी की पढ़ाई का निर्णय किया है जो पहले पांचवे दर्जे से थी। आंध्र प्रदेश में भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हिन्दी को जबरदस्ती लाया गया तो जरूर उसका प्रतिरोध उनकी तरफ से पैदा होता है। इसलिए हिन्दी भाषा-भाषियों को अहिन्दी क्षेत्रों की तरफ ध्यान रखना होगा कि किसी तरह से भी यह भावना उनमें न पैदा हो कि हिन्दी उनके ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही है।

जहां तक तोड़-फोड़ का प्रश्न है हमारे यहां राष्ट्रीय आन्दोलन में भी यह हुई। १९२१ की बात तो मुझे याद नहीं है लेकिन ३०–३२ का जो आन्दोलन हुआ उसमें इस तरह की घटनाएं हुईं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि महात्मा गांधी ने इनका प्रतिवाद किया। लेकिन जब जनशक्ति एक बार मुक्त हो जाती है, जब एक बार मास फोर्स रिलीज हो जाता है तो कभी-कभी बहुत समय तक, उसके जनक कर्णधारों और नेताओं के हाथ में भी नहीं रहती।

[श्री झारखण्डेराय]

१९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप भी मुख्यतया इसी प्रकार का था। नए लोगों को हो सकता है उसका पता न हो, लेकिन पुराने लोग इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि उसका मुख्य रूप तथा कथित तोड़-फोड़ ही था। उसके द्वारा हिन्दुस्तान में एक नयी भावना पैदा हुई थी। जब जनता क्रोधित होती है तो उसके क्रोध के चिह्न दिखायी देते हैं और तोड़-फोड़ की घटनायें होती ह। यह सही नहीं है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक हो जाता है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों की ओर से हिन्दी भाषा के सिलसिले में जो तोड़-फोड़ की घटनायें हुयीं, वे सही नहीं हैं। चाहे वह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ हो अथवा निजी संपत्ति का हुआ हो। सरकारों में और संपत्ति के स्वामित्व म बदलाव हो सकता है, लेकिन संपत्ति बनी रहती है, वह राष्ट्र की है। इस बारे में मैं इतिहास की एक अनूठी कहानी कहना बताना हूं। १९१७ में जब महान शक्तिकारी लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी क्रान्ति हुई तो मजदूरों, किसानों और बागी सिपाहियों ने जार के महल के तमाम बढ़िया-बढ़िया सामान को तोड़ना आरम्भ किया। उन्हें दिखा कि यही जार है। जब लेनिन को यह बात मालूम हुई तो उसने फौरन उसको रोका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर बिगड़ गए। उन्होंने कहा समझाइए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सम्पत्ति तुम्हारी है। इसका स्वामित्व बदल गया है, अब इसके स्वामी तुम्हीं हो गए हो। फिर क्यों अपनी ही चीज को तोड़ा जाय। मजदूर मान गए। वे टूटी हुई चीजें और बाकी चीज वैसी ही वहां पर अभी भी पड़ी हुई हैं। इसलिए तोड़ने वाली चीज ठीक नहीं है, इसका हमको विरोध करना चाहिए। शासन सत्ता का परिवर्तन करके हम उन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।

अब आखिर में मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूं जो माननीय प्रभुनारायण सिंह जी और राम स्वरूप जी वर्मा ने की। मैं इसको बहुत महत्व नहीं देता मैं उसको एक प्रतीकात्मक विरोध समझता हूं। मेरा निश्चित विश्वास है कि आज हिन्दुस्तान एक विषम परिस्थिति में से गुजर रहा है। १९६६ के आम चुनावों के बाद हमारे देश की सियासी तस्वीर बदली है और जिस कांग्रेस के हाथ में केन्द्र और सारी राज्य सरकारें थीं, १० राज्यों में अन्य दलों की सरकारें स्थापित हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यू टेकनिक आफ स्ट्रगिल पैदा होना स्वाभाविक है। बंगाल में ही वहां की सरकार की तरफ से हड़ताल का आवाहन किया गया और उसी हड़ताल में मन्त्री भी शामिल होते हैं और वह आफिस में नहीं जाते हैं। इसीलिए आज की स्थिति को मानकर हमें विश्लेषण करना होगा और व्याख्या करनी होगी। जो चीजें आज हमें गलत मालुम होती हैं उनको दूर करने के लिए एक नई टेकनिक, एक हायर फार्म आफ स्ट्रगिल, एक न्यू टेकनिक आफ स्ट्रगिल को जन्म देना होगा और उसी से नई मान्यतायें और नए रास्ते बनेंगे, नई भावनायें और जागरण की नई संस्थायें पैदा होंगी। अन्त में मैं कहूंगा कि जो कुछ उन्होंने किया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आज की देश की विशेष परिस्थिति में अनुचित और त्याज्य हो, उन्होंने प्रतीक रूप में विरोध का एक नया तरीका अपनाया है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव की मूल भावना का विरोध करता हूं।

(श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबली—!

श्रीमन्, कल से लगातार खड़े होकर मुझे बड़ी परेशानी हुई है, लगता है कि जानबूझकर अध्यक्ष पीठ से अवहेलना हो रही है और उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रबली सदन त्याग कर चले गए।)

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे माननीय सदस्य के जाने का दुख है, इसमें कोई उपेक्षा का प्रश्न नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर कल से यह सदन विचार कर रहा है। अगर उसकी गरिमा और महत्ता पहले माननीय सदन के सदस्यों से कुछ छिपी, दबी या ढकी रही है तो वह माननीय झारखंडे राय के बयान के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो गई है। वैसे तो कल माननीय राम स्वरूप वर्मा बीच में बोलते हुए, कुछ उधर जाते हुए कुछ सदन से लौटते हुए कह गए थे कि जो चर्चा इस सदन में उनके दिल्ली जाने के सम्बन्ध में हो रही थी वह तो बहुत जरा सी बात थी और अमरीका में तो बगावत तक के दृष्टांत हैं, यानी उनको ऐसा लगा कि जो कुछ उन्होंने किया है उतने से वह सन्तुष्ट नहीं हैं उससे भी ज्यादा होने का आवाहन वह करने के लिए तैयार हैं। उनकी इस बात को जो उन दो मन्त्रियों ने किया है उसको हिन्दी के साथ लपेट दिया गया है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि हिन्दी की किसने कितना प्रेम किया है या कितना किसे प्रेम है या प्रेम जताने वाले हिन्दी का कितना नुकसान कर रहे हैं, यह तो सारा देश जान गया है और जान रहा है। यह हिन्दी प्रेम तो उन लोगों के ऐसे प्रेम के बोझ को भी उठाने में दिक्कत और कठिनाई हो रही है।

सवाल यह है कि प्रदेश में एक सरकार विधि द्वारा स्थापित है, उसके मुख्य मन्त्री हैं, उन मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने कुछ मन्त्रियों की विधिवत् नियुक्ति की है। संविधान की धारा १६४ में लिखा है कि जब वह मन्त्री रहेंगे तो वे राज्यपाल के प्लेजर पर रहेंगे, जब तक वह समझेंगे कि यह ठीक विधि विधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तब तक उनको बनाए रखेंगे। उसमें यह भी लिखा है कि मन्त्रियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि जो संविधान या विधि विधान द्वारा स्थापित परम्परायें, कानून, आर्डिनेन्स या लाज हैं उन सबको वह पूरी मान्यता देते रहेंगे। और आगे संविधान में यह भी लिखा है कि संविधान जिन कानूनों को विधि विधान द्वारा स्वीकार करता है उन सब की मान्यता भी विधि की मान्यता हो जायगी। अब हमारे देश में जो संविधान है उसमें यह कहा गया कि हिन्दी इतने सालों में होगी या हो जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार ने उस को वह स्थान नहीं दिलाया। इस विधान को ठीक-ठीक न लागू करने का उन्होंने गुनाह किया। उसके ऊपर यहां से यह कहा गया कि विधान की अवहेलना करने से मन्त्री परिषद् के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है। अब मान्यवर, इसे बहस के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया जाय कि केन्द्रीय सरकार ने विधान के विरुद्ध कोई कार्य किया है या केन्द्रीय संसद संविधान के विरुद्ध, विधि के द्वारा जो चीज होनी चाहिए थी, उसमें कोई रुकावट कर रही है। तो उसका निराकरण कैसे और क्या होना चाहिए, यह सोचने वाली बात है। माननीय झारखंडे राय जी के शब्दों में वह हायर्ड फार्म आफ स्ट्रगिल है। उनको गुस्सा बहुत काफी हो गया है और उन्होंने उसका काफी असर भी दिखा दिया है तो कम से कम वे अपनी सेन्ट्रल पार्टी के प्रस्ताव को ध्यान म रख कर इस सदन में कार्य करें तो ज्यादा अच्छा हो वरना उनकी पार्टी उन्हें खुद कहेगी। सी० पी० एम० कुछ कहती है, नक्सलबाड़ी वाली सी० पी० आई० दूसरी बात कहती है और राजेश्वर राव साहब और डांगे साहब दूसरी बात कहते हैं। यह तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि अगर कोई आदमी लाठी मारने के लिए लाठी उठाए तो मेरे सिर को बचाने के लिए मेरे ऊपर रिवाल्वर से प्रहार करें ताकि मैं गिर जाऊं। लाठी से बच जाऊं पर जान से जाऊं। इस बहस का कोई जवाब नहीं है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आन्दोलन चलाया। माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने यह बात सही मानी, लेकिन माननीय चौधरी साहब ने कहा कि यह हमने नहीं कहा। उन्होंने एक दल के नेता को यह कहा कि जो दफा १४४ तोड़ेगा, उसको मैं जेल में भेजूंगा और उन्होंने इलाहाबाद के एक नेता को लिखा भी कि दफा १४४ को जो तोड़ेगा उसे जेल में बन्द होना पड़ेगा जैसे कि कई विधायक जेलों में बन्द हैं। चौधरी साहब का मत रहा है कि दफा १४४ का तोड़ना दण्डनीय है। हमारे माननीय प्रभुनारायण सिंह जी और माननीय वर्मा जी जो विधान के बड़े ज्ञाता हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जगह उन्होंने ही ले ली है। सारी

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

बुद्धि माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय वर्मा के नाम के कुछ अंश प्रातः स्मरणीय नाम हैं, भगवान का भी नाम है, और राम का भी नाम है, अपने में मानते हैं वे अपने मन से कहें कि संविधान कैसा है, हम निर्णय करेंगे और फिर वे माननीय जैसवाल जी से भी कहलवायेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वहां यह भी लिखा हुआ है कि जब संविधान के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा। मैं तो समझता हूं माननीय प्रभु नारायण सिंह जी से और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी से अधिक तो विधि का ज्ञान उनके शैंडो को है। यह हमारा सौभाग्य है। उसने इनसे पैसा स्वीकार नहीं किया। निकाल कर उस को रिश्वत दे चुके थे गलत काम करने के लिये। उसने अपने अफसरों से पूछ रखा था। यह ईश्वर की कृपा है कि अभी तक जो राज्य की मशीन है उसमें इतनी बुद्धि बाकी है जो हमारे इस प्रदेश के मंत्रि परिषद् के कुछ मंत्रियों में गायब हो गयी है। सामान्य बुद्धि भी उनके पास नहीं है। लेकिन उनके शैंडो ने बुद्धि दिखाई। इन्होंने इनाम नहीं दिया बल्कि गलत काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया कि संघ शक्ति पर राज्य शक्ति रिवाल्वर चलायेगी। ऐसा इनाम देने वाला राजद्रोही है और मैं समझता हूं कि इन्होंने उस शैंडो को अपने भुलावे में डाल कर राजद्रोह के काम में इस मुल्क को नष्ट करने की जो प्रक्रिया शुरू हो सकती है उस में मदद करने के लिये आह्वान दिया, उसको उत्साहित किया और प्रोत्साहित किया।

अब यहां के जो आन्दोलनकारी हैं उनकी कथा सुनिये। माननीय राधेश्याम जी इसी सदन के सदस्य हैं। मैं उन से लखनऊ जेल में मिलने गया था, उन्होंने कहा कि भाई हम तो यहां हैं, हम तो जायेंगे नहीं, हम को छोड़ेंगे तो जायेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप की सरकार है जो हिन्दी आन्दोलन के पक्ष में है और माननीय प्रभु नारायण और माननीय रामस्वरूप जी कह रहे हैं कि आन्दोलन ठीक है। तो जब आप जेल आये तो जेलर ने आप को माला पहनायी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है। एक लड़का भगवती प्रसाद नाम का, जो गढ़वाल का है और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है...

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे कहते हुए शर्म मालूम होती है कि जो खुद मंत्री रह चुका हो वह इस प्रकार की झूठी बातें यहां पर करे कि उन्होंने मुझ से पूछा कि आप की यहां पर आरती उतारी गयी कि नहीं। इस प्रकार की कोई बात तो आप ने की ही नहीं थी, आप को शर्म आनी चाहिये ऐसी बात कहने में।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं सख्त लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन मैंने उनसे निश्चय कहा था। उस वक्त वह कुछ बीमार थे अस्पताल में थे इसलिये शायद स्मरण शक्ति में कुछ फर्क हो। लेकिन मैंने उनके सामने यह बात कही थी। और अगर वह समझते हैं कि उनको नहीं सुनायी पड़ा तो मुझे कोई उज्रदारी नहीं है।

श्री राधेश्याम कपूर—

श्रीमन्, मुझको कहते हुए दुख मालूम होता है कि मैं तो वहां एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा, इनको कैसे पता चल गया कि मैं अस्पताल में था? इस प्रकार की झूठी बातें यहां पर कहना इन को शोभा नहीं देती।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य शान्त होकर सुनें। और जहां तक व्यक्तिगत बातों का आदान प्रदान हुआ है वह आगे न हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय बहुगुणा जी आप विषय पर बोलें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, राधेश्याम जी को बहुत बुरा लगा मुझे अफसोस है। उनकी बाबत कुछ भी कहना बुरी बात थी, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन यह बात तो सच है कि जेल में गये उनकी आरती माला किसी ने नहीं उतारी क्योंकि वह मेहमान होकर गये थे, सरकार का आन्दोलन था, जैसा मंत्रियों ने कहा है।

एक भगवती प्रसाद नाम के लड़के ने लखनऊ जेल से एक खत लिखा। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐडवोकेट को लिखा। (व्यवधान) मैं इसके लिये तैयार हूं कि मैं यह खत आप की सेवा में भेज दूं। अगर सरकार यह कह दे कि यह खत झूठा है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा वरना जिस माननीय सदस्य ने यह कहने की हिम्मत की है वह खड़े होकर कह दें कि यह खत झूठा है।

एक सदस्य—

अभी-अभी माननीय राधेश्याम जी ने आप की बात का जवाब दिया और आप को झूठा साबित कर दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं इस तरह की बात में पड़ता नहीं। लिखा-पढ़ी की बात बदलना मुश्किल होगा। उन्होंने जिला जेल लखनऊ से १३ दिसम्बर, १९६७ को लिखा :—

> "पूज्य भाई जी व भाभी जी, सादर प्रणाम। मैं २ तारीख को इसी आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हो गया था। सरकार ने स्वयं आन्दोलन चलाया, स्वयं गिरफ्तार किया। अब स्वयं जब तक रिहा न करे, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बच्चों को प्यार।"

यह पत्र मैं आप की सेवा में भेज देता हूं, यह यहां मौजूद है। अब इसके पढ़ने से क्या प्रतिक्रिया होती है? यही न कि आम आदमी ने यह समझा कि सरकार आन्दोलन चला रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत बार कहा जा चुका है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहे हों तो बीच में आप तब तक न खड़े हों जब तक वह अपना स्थान ग्रहण न कर लें। अब मैं माननीय सदस्यों का पुनः ध्यान दिलाऊंगा कि बहुत शान्तिपूर्वक भाषण सुनें और उसका उत्तर देने में जितने विचार व्यक्त करना चाहें वह करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इसके अनुसार क्या स्थिति पैदा हुई जो इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मंत्रि परिषद् के सदस्य की इस कार्यवाही से संविधान के ऊपर चोट आयी है। कैसे चोट आयी? सारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जेल जाने वालों का यह खयाल है कि सरकार कह रही है कि शान्ति व्यवस्था भंग करो। बार बार यह कहा गया कि यह आन्दोलन बहुत अच्छा है। प्रभुनारायण जी ने बनारस में भाषण दिया। माननीय रामस्वरूप ने इलाहाबाद में कहा बहुत अच्छा किया लड़कों ने और आन्दोलन को समर्थन दिया। दिल्ली जाना कोई अलग चीज नहीं है। पहले तो उत्तर प्रदेश में आन्दोलन को समर्थन देना, उसके सम्बन्ध में लगी धारा १४४ को कभी किसी मंत्री या किसी उपमंत्री की पत्नी के एलान पर कि कल वह जेल जायंगे १४४ को वापस करना, किसी जगह १४४ लागू करके डंडे चलाना और किसी जगह १४४ वापस करना और तत्पश्चात् आन्दोलनकारियों को जेल में तरह तरह की यातनायें देना। आज

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

उत्तर प्रदेश का अजीब हाल है। सरकार के उपमंत्री कृष्ण बहादुर मिश्र जी ने कहा कि इस सरकार ने इस आन्दोलन को बुरी तरह कुचलने का कई जगह काम किया। अब मंत्री कहे कि सरकारी अधिकारी गलत काम कर रहे हैं और उसकी कोई जांच न हो तो क्या होगा? जो मंत्रि परिषद् अपने सरकारी कर्मचारियों को गलत काम करने से रोक नहीं सका वह मंत्रिपरिषद् अव्यवस्था कर रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया। लेकिन गांधी जी सत्याग्रह के समय लाठी भी नहीं लेते थे मगर हमारे माननीय प्रभुनारायण जी का निराला नक्शा था, दोनों तरफ रिवाल्वर, आगे सत्याग्रही। (व्यवधान)

मैं अपनी बात अन्त करने के पहले दो, चार बातें कहना चाहता हूं। मेरा चार्ज है कि उसकी बाबत कोई जांच या फैसला इस मंत्रि परिषद् ने नहीं किया कि उस उपमंत्री ने गलत कहा या सही कहा। इस मंत्रि परिषद् के दो मंत्रियों, माननीय प्रभुनारायण जी और माननीय रामस्वरूप जी ने जगह जगह जाकर आन्दोलनकारियों को उत्साहित किया और उनके कार्य को ठीक बताया और तदनुसार इस सरकार द्वारा लगायी गयी धारा १४४ में विरोधाभास पैदा किया। मेरा चार्ज है कि इन्होंने दिल्ली में जाकर संघीय शक्ति और राज्य शक्ति के बीच में संघर्ष उत्पन्न किया और जिसको ये सत्याग्रह कहते हैं वह उनका दुराग्रह था क्योंकि सत्याग्रही को न शैडो की जरूरत होती है और न रिवाल्वर की। पाकिस्तान भी तो ८ करोड़ की आबादी का देश है। हिन्दुस्तान के ऊपर हमला कर सकता है पश्चिमी पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में जो अव्यवस्था पैदा हो रही है और कहा जाता है कि संघीय शक्ति गलत काम कर रही है इसलिये राज्य मंत्री दिल्ली जा कर जिसे झारखंडेराय जी हायर फार्म आफ स्ट्रगल कहते हैं वह करने गये। फिर कहते हैं कि नागालैण्ड और तामिलनाड तो हमारे ही हैं। फिर कहते हैं कि अव्यवस्था होने से तो मुल्क बंट जायगा, लेकिन उसी सांस में उन्होंने कहा कि वहां जाने से अव्यवस्था नहीं हुई। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रभु नारायण जी ने और रामस्वरूप जी ने इस शासन की प्रतिष्ठा को एक माने में चुनौती पर लगा दिया। वह मंत्री होने के नाते हमारे और इस सदन के प्रतिनिधि हैं और जहां वह जाते हैं इस सदन की गरिमा को अपने साथ ले जाते हैं। मान लीजिये उनके साथ अन्याय हुआ और मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव के विरोध में बोलेंगे। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी संघीय सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा को ऐसी चुनौती दिलवा देना जिस पर हम कुछ कर न सकें राज्य शक्ति को कठिनाई में डाल देना होता है। फिर एक सिपाही उनके साथ दिल्ली भेजा गया, अगर वह नाकाफी हो तो सौ भेजें और सौ नाकाफी हों तो सारी पी० ए० सी० भेजें और वह भी नाकाफी हो तो नयी फौज बनायें।

अन्त में जवाहरलाल जी की बाबत रामस्वरूप जी ने कही। वर्मा जी मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, उनको हर बात में वजन रख कर बात करना चाहिये। जवाहरलाल जी १९ जून १९४६ को २-४५ बजे कश्मीर गये थे। उस वक्त कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान में था, बातचीत चल रही थी। १२ तारीख को, लगभग एक महीने बाद जवाहरलाल जी केन्द्रीय सरकार में गये। उस वक्त तो वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे। कश्मीर उस वक्त हिन्दुस्तान का इस तरह का हिस्सा नहीं था जैसा कि आज है। उस वक्त देशी रियासतों में राजाओं के कानून और नियम लागू होते थे और वह अपनी रियासत में किसी की एन्ट्री को रेगुलेट कर सकते थे। लेकिन आज सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही रेगुलेट कर सकती है। इस माने में मैं कहता हूं कि उस वक्त काश्मीर हमारी संघीय शक्ति के अन्तर्गत ऐसा नहीं था। फिर भी जवाहरलाल जी किसी एक राज्य शक्ति को किसी दूसरी राज शक्ति से चुनौती देने नहीं गये थे। जाते प्रभुनारायण जी और रामस्वरूप जी तो त्याग-पत्र दे कर जाते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद् की सत्ता को चुनौती पर लगा दिया है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चौधरी साहब की स्पष्ट राय आये, इस कार्यवाही की नैतिकता पर, इसके औचित्य पर और संविधान के अन्तर्गत इसमें उनका जो सिद्धान्त हो वह भी हमको जानने का हक है कि किन आधारों पर इन मंत्रियों ने ऐसा काम किया।

मैं यह कह सकता हूं कि इन मंत्रियों ने संविधान की हत्या की है। कुछ वोटों को पकड़ने के लिये कानून को तोड़ा है क्योंकि इनका संगठन हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में ही है। यह अपने दल के अस्तित्व के लिये किया है। यह नैतिक ठोकर है और राज्य सत्ता से संघीय सरकार को एक चुनौती दिलाई है जो अनावश्यक दिलाई है, जो अनावश्यक थी और जो नहीं होनी चाहिये थी। यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, इसलिये देश की एकता के लिये दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस पर विचार करना चाहिये। जिस तरह से प्रिविलेज के प्रश्न पर हाउस निश्चय करता है उसी तरह इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार के ऊपर हमला करने की नीयत है। यह एक मौलिक प्रश्न है। इस पर सदन को विचार करना है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री प्रताप नारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के ऊपर जो बहस हो रही है और विरोधी दल की ओर से जो बातें रखी जा रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि यह विधान सभा के अन्दर नहीं बल्कि पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। यह बातें और लपफाजी उधर से करने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान) कल हमारे मित्र माननीय कमलापति त्रिपाठी ने बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहीं, नैतिकता की बातें कहीं, देश की अखंडता और एकता की बातें कहीं तथा राष्ट्रीयता की बातें कहीं जिनको सुनते हुये मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है। इस को मैं हिन्दी में ही कहूंगा। कोई साहब वेद की रिचाओं की उपमा दे रहे हों, उनका उल्लेख कर रहे हों (व्यवधान) "प्यारे बैठो दिल थामकर हमारी बारी आई है"...

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, पहले मैं इस शेर को ठीक कर दूं। इससे पहले यह है कि जिगर थाम कर बैठो। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो मंत्री हैं या भूतपूर्व मंत्री हैं उनको ही १०, २०, ६० मिनट तक का मौका बोलने का मिलता है। लेकिन साधारण सदस्यों को मौका नहीं मिल रहा है। मंत्रियों को तो और भी भाषण देने का मौका होता है, लेकिन साधारण सदस्यों को कोई मौका नहीं है। चाहे हम पहले से लिस्ट दे दें या निवेदन कर दें। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या साधारण सदस्यों को भी मौका मिलेगा या केवल मंत्रियों को ही?

श्री रामनरेश शुक्ल—

मैं भी इनके साथ अपने को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि कल से वर्तमान और भूतपूर्व मंत्री ही बोल रहे हैं। अभी आपने तरक्की की कि चीफ ह्विप को बोलने दिया। क्या हम उनका तमाशा सुनने के लिये आये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाषण यहां हुये या जो बहस हुई उसको माननीय सदस्य यह संज्ञा दें कि हम तमाशा देखना नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि जो वक्तव्य वे देंगे वही वक्तव्य है। यह उनकी सदस्यों के प्रति सद्भावना की बात नहीं है। इतने समय में जो लोग बोल सकते हैं उन परिस्थितयों में उनके लिए बोलना जहां तक सम्भव है, मैं समय देने का प्रयास करूंगा।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की बड़ी दुहाई दी गयी। मुझे आश्चर्य होता है। जिन्होंने १५ अगस्त, १९४७ को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री प्रताप नारायण तिवारी]

इस भारतमाता के दो टुकड़े किये जिनके ऊपर देश के दो टुकड़े करने का पाप है आज वह देश की अखंडता की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर प्रान्तीयता और जातीयता के नाम पर देश के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी किस पर है (व्यवधान)। जिस प्रकार आयरलैण्ड और इंगलैण्ड है, उसी तरह से नागालैण्ड इस देश में है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई ब्रिटिश हुकूमत की सल्तनत का हिस्सा है और आज यहां पर नागालैण्ड किसने बनवाया है? देश के अन्दर उत्तर दक्षिण की भावना किसने पैदा की है? देश के अन्दर विभेद किसने पैदा किया है। पिछले दिनों पंजाबियों और अकालियों में झगड़ा करवाने की जिम्मेदारी किस पर है? इतिहास इस बात का साक्षी है। पिछले दिनों जब वहां पर गैरकांग्रेसी सरकार बनी, उसमें सारे अकाली, जन संघ, साम्यवादी, समाजवादी सभी लोग शामिल हुए तो उस समय जो जहर अकालियों और पंजाबियों के बीच कांग्रेसी हुकूमत के समय में पैदा हुआ था, खत्म हो गया और गांव गांव पंजाबी और अकाली एक हो गये। लेकिन आज फिर उस सरकार को गिरा कर विभेद पैदा करने की जिम्मेदारी किस पर है? मुझे एक कहानी याद आती है। काशी में एक घाट पर, मैं घाट का नाम नहीं लूंगा, एक बगला भगत बैठ गया। उसने कहा कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर जो प्रस्ताव है वक्ता महोदय उससे बहुत बाहर जा रहे हैं। प्रस्ताव में सीमित होकर वह बोलें।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

बहुत दिन तक मछलियों और मेढकों को यह विश्वास नहीं हुआ कि उसने सचमुच माला पहनी है और यह अपने को बड़े उच्च कुल का कहता है, बड़ा भगत कहता है और धर्म और मजहब की दुहाई देता है। लेकिन कुछ दिन तक जब वह बगला भगत बैठा रहा, चार छः दिन हो गये और उसने कहा कि चाहे मैं दुर्बल हो जाऊं लेकिन मैं मांसाहार नहीं करूंगा तो कुछ मेढकों और मछलियों को विश्वास हो गया। उसने कहा, आओ मेरे पास, हम वेद मंत्र देंगे और वहां बहुत-सी मछलियां और मेढक पहुंच गये। तो बगले का जो धर्म, स्वभाव, जो उसकी खाने की आदत थी उसके अनुसार उसने उन सब का भोग किया।

कल नैतिकता की बात कही गयी, कहा गया कि नैतिकता समाप्त हो गयी। कल हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि हमने शराब के खिलाफ पिकेटिंग की थी, मादक द्रव्यों के खिलाफ पिकेटिंग की थी। जरूर की थी और उसके लिये हम उनका अभिनन्दन करते हैं। लेकिन वह जो पिकेटिंग और शराब के खिलाफ खिलाफत थी वह कहां चली गयी? लखनऊ में कांग्रेस का कबाड़ा कैसे हुआ जहां शराब की भट्ठी चलाने वाले को टिकट दिया गया? क्या कांग्रेस यहां और पार्लियामेंट में हार नहीं गयी मैं पूछना चाहता हूं, हमें क्षमा करेंगे माननीय त्रिपाठी जी, क्या उनके ही परिवार में शराब की एजेंसी करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान) यह मैं इसलिये कहता हूं कि आप नैतिकता की बात न कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

(श्री एस० जी० दत्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दत्ता जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। जब आप स्वयं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे थे तो बार-बार दत्ता जी बीच में व्यवधान पैदा कर रहे थे । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या आपके बोलते समय किसी माननीय सदस्य को बोलना चाहिये?

(व्यवधान)

(श्री एस० जी० दत्त के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दत्ता जी, आप तशरीफ रखें।

मैं माननीय सदस्यों से अत्यन्त नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन को शोभा नहीं देता है कि इस तरह से यहां अशान्ति का वातावरण हो। उसके साथ ही साथ मैं किसी भी बोलने वाले माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे स्वतः अपने भाषण के समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप न करें और विषयान्तर अधिक न करें। विषयान्तर किसी बात पर बात करते हुए हो सकता है लेकिन उसका केवल इतना मतलब होना चाहिये कि अपने विषय को और भाषण को अच्छी तरह प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने का प्रयास हो, वह कोई दूसरा विषय न हो जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो भावना प्रकट की है मैं उसका समादर करते हुए और अपने को बहुत ही सीमित दायरे में रखते हुए बोलने का प्रयत्न करूंगा। मैं आपके माध्यम से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम यहां विधान सभा में बैठे हैं तो राजनीति के खिलाड़ियों को नैतिकता की दोहाई ज्यादा नहीं देनी चाहिये क्योंकि यह दुधारी तलवार है, यह आपके खिलाफ भी चल सकती है। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है लेकिन उसे किसी झंडे के नीचे, किसी राष्ट्रीयता, किसी अखंडता और किसी नैतिकता के झंडे के नीचे कहने से उसका कोई हल नहीं निकलता।

मैं आपके माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कोई एक भी ऐसा विश्व-विद्यालय है जहां के चांसलर को तनख्वाह द जाती हो? कहीं नहीं है लेकिन काशी विद्यापीठ के चांसलर को तनख्वाह देने का प्रस्ताव उसी मीटिंग के अन्दर पास किया गया जिस मीटिंग में चपरासी को निकालने का प्रस्ताव पास किया गया। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं किसी का लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी पिछले दिनों जब यहां लखनऊ में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ तो विशेषकर लखनऊ, में जो विधायक रहते हैं और कांग्रेस के नेता गण रहते हैं जिनको इस सरकार से चिढ़ है, उन्होंने अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन को उकसाने की कोशिश की और अपने गुर्गों द्वारा विश्वविद्यालय और हजरतगंज में इस सरकार के खिलाफ और चौधरी चरणसिंह की अर्थी जलवाकर सारे प्रदर्शन कराने की कोशिश की गयी, माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा और माननीय गुप्ता जी के आदमियों द्वारा यह सारे कृत्य किये गये, कमलापति जी के आदमियों द्वारा किये गये लेकिन जब हवा बदली तो इनके होश फाख्ता हुये। पहले तो यह समझते थे कि हम सरकार को बदनाम करेंगे और जो भूत इनके द्वारा चला वही इनके ऊपर उलटा, तब माननीय त्रिपाठी जी के यहां घर पर प्रदर्शन हुये और तब आवश्यकता हुई कि कहें कि विधान टूट रहा है, नैतिकता खत्म हो रही है और शान्ति और व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन यह सब करने की कोशिश पहले कहां थी।

ठीक है इसमें दो मत हो सकते हैं कि हमारे मंत्रियों ने वहां जाकर विधान तोड़ा या नहीं, लेकिन इस पर कोई संवैधानिक बात उन्होंने रखी नहीं है बल्कि जो भाषण हुये हैं उनसे केवल यह पता चलता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिये बातें की गयी हों, कांग्रेस क्या चाहती है

[श्री प्रताप नारायण तिवारी]

और कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस वाले हिन्दी के कितने समर्थक हैं। यह कहा गया है कि हमने कभी अंग्रेजी में दस्खत नहीं किये, टिप्पणी हमने हमेशा हिन्दी में लिखी लेकिन यह सारी बातें कहने के लिये यही अवसर उन्होंने ठीक समझा । आपका जो हिन्दी प्रेम है उसकी तो मैं सराहना करता हूं कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होने पर आपके यहां रहते हुये भी क्यों हिन्दी इस प्रदेश की राज्यभाषा नहीं बन पायी है और क्यों नहीं आने पा रही है। आज उत्तर प्रदेश में हिन्दी क्यों नहीं हुई । मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार यहां पर थी उसने हिन्दी के लिये क्या किया है । हो सकता है आपने दस्तखत हिन्दी में ही किया हो लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अन्दर राज्यभाषा हिन्दी नहीं हो पायी व्यवहारिक रूप में तब क्या समझा जा सकता है । आज जब आन्दोलन होता है तब आपने हिन्दी प्रेम की दुहाई देते हैं। इसलिये मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दी का प्रश्न है वह एक राष्ट्रीय प्रश्न है । उसको आप अपनी राजनीति के अन्दर ले जाकर गन्दा न करें ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

लगभग २० मिनट तक व्याख्यान आपका हो चुका । एक शब्द भी आपने जो विषय प्रस्तुत है उसके बारे में नहीं कहा है । मेरी व्यवस्था की बात यह है कि माननीय अध्यक्ष जी इनके इस वक्तव्य को कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

जो कल माननीय कमलापति जी ने भाषण दिया था उसमें कितने शब्द प्रस्ता के पक्ष में कहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय प्रतापनारायण जी, आप अपने भाषण को अब समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

उपाध्यक्ष जी, आज केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष की हिन्दी भाषी जनता चाहे उत्तर की हो चाहे दक्षिण हो उसके सामने यह बात स्पष्ट हो गयी है कि हिन्दी का गला घोंटनेवाले और हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को प्रतिष्ठापित करने वाली कौन सत्ता है और उस सत्ता ने किस प्रकार पंडित जवाहरलाल के नाम पर विधेयक को उपस्थित किया है, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की राष्ट्रीयता स्वाभाविक ही है हिन्दी भाषा के आधार पर। यह बात अवश्य है कि इस देश की जितनी भी भाषयें हैं सभी राष्ट्रभाषा हो सकती हैं लेकिन एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता है । कांग्रेस ने आज उस प्रश्न को पीछे ढकेल दिया है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता. और इन दोनों मंत्रियों ने जिन्होंने दिल्ली में जाकर धारा १४८ तोड़ा है उनको मैं इस बात के लिये बधाई देता हूं । (हर्षध्वनि) उन्होंने कम से कम हमारे विपक्ष में बैठनेवाले लोगों के अन्दर हिन्दी प्रेम जगा दिया, कम से कम राष्ट्रीयता की याद दिलादी, कम से कम अखंडता और एकता का स्मरण उन लोगों को करा दिया जो १९४७ से भूलकर बैठे थे । इस लिये मैं अपने मन्त्रियों को बधाई देता हूं और नेता विरोधीदल की ओर से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं ।

*श्री रामायण राय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान माननीय झारखंडे राय जी द्वारा प्रकट विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने इस संकल्प के सम्बन्ध में कहे हैं । उन्होंने कहा कि यह नई टैक्नीक की लड़ाई उन्होंने शुरू की है । इस नई टैक्नीक का क्या नतीजा होने वाला है यह मुझे माननीय मुख्य मंत्री को बताने की जरूरत नहीं है। वह सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में एक बुजुर्ग आदमी हैं । कम्युनिस्टों की टैक्नीक जो सारे संसार में चलती रही है ठीक उसी टैक्नीक के तहत में उन्होंने माननीय प्रभुनारायण सिंह जी के कृत्यों का समर्थन किया है । प्रभुनारायण सिंह की पार्टी की कथनी और करनी में क्या समानता है इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रभुनारायण सिंह जी की पार्टी का यह अखबार, जो इनके दल का विचार व्यक्त करता है, वह अंग्रेजी भाषा में सारे देश में प्रसारित किया जाता है । अंग्रेजी हटाओ आन्दोशन का नारा देने से अंग्रेजी यहां से जाने वाली नहीं है । प्रभुनारायण सिंह जी को यह ज्ञात होना चाहिये कि इधर बैठने वाले लोगों को और इस दल में छोटे आदमियों को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि काशी विश्वविद्यालय में सब से पहले थी जिससे हिन्दी में देने का साहस किया था । इस दल के वे लोग हैं जिन्होंने हिन्दी को मर्यादित किया और समूचे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है । मैं प्रभुनारायण सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रति आकांक्षा और उमंगों को लेकर देश के भीतर युवकों के दिल में जो आन्दोलन उठा उसके लिये हिन्दी और हिन्दी प्रेमी और मैं स्वयं उनका बड़ा भारी आभारी हूं । प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न इस बात का है कि जो उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर डाला गया है, जैसे ही आप मन्त्रिमंडल के सदस्य हो जाते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं । मन्त्री का बड़ा कर्त्तव्य होता है राज्यपाल को प्रशासन चलाने में सलाह देना । उसको सलाहकार की हैसियत उसी समय समाप्त हो जाती है, जिस समय कोई मन्त्री कानून की अवज्ञा करता है और उनका उल्लंघन करता है ।

मान्यवर, मैं माननीय प्रभुनारायण सिंह जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक ओर तो वह स्वयं १४४ का प्रतीकात्मक विरोध करते हैं और एक ओर वह स्वयं काशी के युवकों को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें आन्दोलन आगे बढ़ाना चाहिये । दूसरी ओर उन्हीं की सरकार ने अभी हाल ही में आदेश निकाला है कि हमारी पुलिस विद्या मन्दिरों में प्रवेश करेगी । मैं आशा करता था कि प्रभुनारायण सिंह जी जैसे ही चौधरी साहब ने इस तरह का आदेश निकाला था उस आदेश के विरोध में अवश्य इस्तीफा दे देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

इस्तीफा छोड़ कर और जो कहो दे देंगे ।

श्री रामायण राय--

मैं चौधरी साहब को भी आग्रह करना चाहता हूं कि यह अनेक रूप, यह अनेक तरीके क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं इस का नोटिस उन को होगा । आप को शायद न मालूम हो, माननीय प्रभुनारायण सिंह जी जिस दल से संबंधित हैं, उस दल के महा मंत्री इस बात का नोटिस हमारे जिले में बांटते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने एक लाख रुपया यहां के मिल मालिकों से ले कर किसानों का दो करोड़ रुपया कटवा दिया । रामेश्वर लाल जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के देवरिया जिले के मंत्री हैं उन की ओर से यह नोटिस निकाला जाता है कि चौधरी साहब ने किसानों के गले पर छूरी चलायी है । दो करोड़ रुपया किसानों का कटवाने के लिये १ लाख रुपया ले लिया है । श्रीमन, मैं यह नोटिस आप की सेवा में भेज रहा हूं और माननीय प्रभुनारायण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि क्या इसी अनोखी टेक्नीक से चला जायगा । राज्य सभा में राजनारायण जी ने कहा है कि संपूर्ण देश की जनसंघ पार्टी, जिस के वह बड़े हिमायती हैं वह अमरीका के पैसों से चुनाव लड़ती है और चलती है । (शेम शेम) इसी अनोखी रणनीति के चलते एक तरफ सत्याग्रह का नाम लिया जाता है, एक तरफ सविनय अवज्ञा की बात की जाती है और एक तरफ हिन्दी प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है और दूसरी तरफ जो दायित्व उन के कन्धों पर है, उस को निभाया नहीं जाता । मैंने मान्यवर, पहले ही निवेदन किया था कि हमारे संविधान की धारा २५६ के अनुसार राज्य सरकार के ऊपर संघीय सरकार का क्या भार है और संघीय सरकार की अधिकार सीमा कहां तक है, उस का कहां तक दायित्वों है, इस की व्यवस्था इस में की गयी है । मैं प्रभुनारायण सिंह जी से पूछना चाहता हूं.....

एक सदस्य--

इस में मिल मालिक कहां से आ गये ?

श्री रामायण राय--

मिल मालिकों के साथ आप हैं या कौन है यह कैसे पता चलेगा । धारा २५६ में लिखा है कि कोई भी राज्य सरकार या उस के मंत्री उसे यह अधिकार नहीं मिला हुआ है कि केन्द्र सरकार के बनाये हुये नियमों और उपनियम का वह उल्लंघन करे । (व्यवधान) मान्यवर, अभी यह कहा जा रहा था और वह उनके पाप को ढकने के लिये कहा जा रहा था कि हमने देश को दो टुकड़ों में बटवां दिया । राष्ट्रपिता की हत्या करने वालों का यह साहस आज होता है कि वे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं । हम इस को देश द्रोह मानते हैं ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी माननीय नेता विरोधी दल ने सदन में प्रस्ताव रखा है, उस पर आप ने प्रताप नारायण जी के बोलने पर व्यवस्था दी थी कि वे उस से अलग जा रहे हैं । क्या रामायण राय जी का भाषण उस के अन्तर्गत है ? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और मैं एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं कि क्या जैसा राजनारायण जीने राज्यसभा में कहा है, उस की नोटिस गुप्ता जी को मिली है या नहीं । जिस में कहा गया है कि पहले चुनाव में सी० आई० ए० ने पन्द्रह लाख रुपया गुप्ता जी को दिया था ।

श्री रामायण राय--

यह नोटिस तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय रामायण राय जी जिस नोटिस की चर्चा कर रहे हैं वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नोटिस नहीं है । वह फर्जी नोटिस है ।

श्री रामायण राय--

यह झूठ बोलते हैं । मैं आप के माध्यम से उग्रसेन को चैलेंज देता हूं । अगर यह नोटिस झूठी हो तो वह इस्तीफा दें और हम से चल कर चुनाव लड़ें । इसी बात पर आप में हिम्मत हो तो चलिये । अगर यह पोस्टर झूठा है तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । अगर हिम्मत हो तो इसे झूठ बताइये देवरिया के किसानों में ।

श्री उग्रसेन--

व्यवस्था का प्रश्न है । जिन मदों को उठा रहे हैं पैसा लेने की, घूस लेने की तो सी० आई० ए० का पैसा सबको मिला है--चन्द्रभानु गुप्त को भी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें । अभी माननीय चन्द्रशेखर जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसके बाद सदन में इतनी अशान्ति पैदा हुई कि उसको सुनना और उसका उचित उत्तर देना भी संभव नहीं रह गया । उन्होंने यह कहा कि मैंने प्रतापनारायण जी को यह कहा कि आप विषय के बाहर जा रहे हैं । वह शायद देखेंगे कार्यवाही को तो पता चलेगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने यह कहा कि जो भी सदस्य बोलें वह कृपा करके विषय को ध्यान में रखें । मैं तो अब यही कहूंगा कि पहले उनको समय केवल ५ मिनट का दिया गया था । समय समाप्त हो रहा था, उसकी लाल बत्ती जल रही थी और आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठा कर इतना समय सदन का ले लिया जो कि व्यय करना मुनासिब नहीं था ।

मैं रामायण राय जी से प्रार्थना करूंगा कि वह वक्तव्य जल्दी से जल्दी समाप्त करें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, बड़ा गम्भीर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी एक व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे चुका । उसके बीच में कौन सी ऐसी घटना हुई कि व्यवस्था की बात हो गयी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

माननीय रामायण राय ने ऐसी बातें कही हैं जिससे यह व्यवस्था का प्रश्न उठता है । कल भी एक माननीय सदस्य ने, गालिबन बनारसी दास जी ने कहा था कि हम लोग "गौडसेवादी" हैं, जिसका संबंधी गांधी जी की हत्या से था, और आज भी रामायण राय जी ने यह कहा कि "राष्ट्रपिता के हत्यारों के साथ संबंध" इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे । मेरा कहना यह है कि अगर इस प्रकार की बातें करेंगे जब कि हर प्रकार से गांधी जी के हत्यारे कौन थे यह बात पूरे तरीके से सिद्ध हो चुकी है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, यह मैं आपको बताये देता हूं. . . . .

[* * *] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त दुःख की बात है । जहां तक आपने प्रश्न उठाया कल की गौडसे कही जाने वाली बात उसका प्रश्न आज व्यवस्था के रूप में नहीं कहा जा सकता । कल जो बात कही गयी उसके संबंध में कोई भी प्रश्न कल ही उठाया जा सकता था । आज जहां तक रामायण राय जी ने कहा कि राष्ट्रपिता के हत्यारे के साथ सम्बन्ध है, तो आप अपनी बात को कहते हुये खुद कह चुके हैं कि राष्ट्रपिता के हत्यारे स्पष्ट हो चुके हैं । तो किसी के कहने से कोई लांछन या आरोप का प्रश्न नहीं है । मुझे बड़ा दुख है इस तरह की बातें सदन की शोभा को बढ़ाती नहीं हैं, अत्यन्त नीचे लाती हैं । मैं आप से प्रार्थना करूंगा और अत्यन्त विनम्र निवेदन करूंगा आपको एक दूसरे की बात को, वह चाहे कितनी ही कटु क्यों न हो, सुनने का प्रयास करना चाहिये, उसको सुनना चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये जो नियमों के अन्तर्गत हो, दूसरे की बातों का उत्तर भी नियमों के अन्तर्गत ही देना चाहिये और जो कुछ आप कहें वह ऐसे शब्दों में कहें जो दूसरों को प्रभावित कर सकें और उससे सदन की गरिमा बढ़े । (श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) मैं, उग्रसेन जी, आपसे निवेदन करूंगा कि ४ बजे तक इसे समाप्त होना है । अब प्रश्नकर्त्ता बोलेंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से बोलेंगे । अब मैं माननीय गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया बोलें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी माननीय गंगवार जी ने कुछ धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि "भुस भर दिया जायेगा ।" माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैंने देखा कि उन्होंने उनको उस वक्त रोका । मेरा निवेदन है कि यह निश्चित रूप से सदन का अवमान है । नियम ६८ के अन्तर्गत इसको लिया जाय क्योंकि यह सदन के समक्ष हुआ है । मैं तो चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस प्रश्न को उठाते । इस अवमान के प्रश्न को अविलम्ब लिया जाय ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मुझे यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार की भाषा शैली का यहां प्रयोग होता है उससे इस कदर दुख होता है कि जिसकी हद्द नहीं और भावावेश में आकर मैंने माननीय रामायण राय जी की बात का जवाब दिया, अगर उन बातों से दुख हुआ है तो उसके लिये मुझे खेद है (व्यवधान)

[* * *] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं नियम ७३ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक प्रकार से यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सदन का अवमान किया है। अब यह सदन पर छोड़िये कि उनको क्या दंड दिया जाय, अन्यथा मैं यह चाहूंगा कि उनको एक निश्चित शब्दों में खेद प्रकाश करना चाहिये और उसके बाद यह सदन उस पर विचार करे। इसलिये ऐसा प्रस्ताव मैं श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में मैंने अभी कहा है कि इस तरह की बातों से सदन की गरिमा कम होती है। माननीय हरीशकुमार जी ने भी खड़े होकर खेद प्रकाश किया, और कहा कि उन्हें खेद है। अब अगर ऐसी कोई बात आयी है जो आपत्तिजनक है तो उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में बैठकर बोलने का और सुनने का आनन्द और सुख उसी समय तक रहता है जब आप सीमा के अन्दर रहते हैं। सीमा के बाहर जाकर बोलने से बात बिखर जाती है और उसका प्रभाव नहीं रहता और बोलते हम हैं प्रभाव डालने के लिए। अब मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण जारी करें।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है। माननीय प्रभुनारायण सिंह जी श्रम मंत्री हैं। उन्होंने एक कमेटी में दिल्ली जाने से पहले "यू० पी० इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल", का प्रारूप अंग्रेजी में रखा है। उसकी प्रति यह है, मेरे पास। इस प्रकार के उनके काले कारनामे हैं। यहां पर अंग्रेजी में बिल प्रस्तुत करते हैं और दिल्ली हिन्दी के लिए सत्याग्रह करने जाते हैं। इसलिए मैं उनके इस काले कारनामे को यहीं पर जला रहा हूं।

(श्री चन्द्रबली ने विधेयक की कापी जलायी और जलते हुए विधेयक को सदन के बाहर लेते हुए गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली सिंह जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा काम आप सदन के अन्दर न करें। यह सदन की गरिमा के बिलकुल विपरीत है।

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

मान्यवर, स्पष्टीकरण के रूप में मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि कमेटी के अन्दर अंग्रेजी की प्रति दी गयी थी। मूल प्रति हिन्दी में ही थी। जो नया विधेयक औद्योगिक वाद विवाद के संबंध में श्रम स्थायी समिति में दिया गया था उसकी मूल प्रति हिन्दी में ही थी। अंग्रेजी की प्रति पुरानी थी जो उसके साथ थी। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह गलत-बयानी की है। वहां हिन्दी में ही प्रति दी गयी थी।

[श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें। मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मैं व्यवस्था के रूप में कुछ कहना चाहता हूं कि यहां जो निरन्तर वादविवाद हो रहा है जिसकी वजह से यहां बार-बार हुल्लड़बाजी होती है उस बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें। मैंने आपका आह्वान नहीं किया।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चन्द्रबली सिंह ने अभी एक बिल की प्रति जलायी। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि इस तरह की बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। इस समय मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि गुप्ता जी सब सुनने के बाद धन्यवाद का प्रस्ताव दें और मंत्रियों को बधाई का प्रस्ताव रख दें वर्ना प्रदेश की जनता.....

श्री उपाध्यक्ष—

राकेश जी आप अपना स्थान ग्रहण करें.... (व्यवधान)

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

हिन्दी के प्रति जो आस्था....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं.....

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अभी माननीय चन्द्रबली सिंह जी अंग्रेजी के साहित्य को जलाकर यहां से गये और अब मैं भी भाषा विधेयक और कद्रीय सरकार दोनों के पुतलों को जला रहा हूं।

(श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' ने सदन में कुछ पत्र जलाये।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन में इस तरह का व्यवहार सर्वदा अनुचित है जो कार्य करना बहुत कठिन हो उसको करके अगर आप दिखा दें तो वह एक ऐसा कार्य हो सकता है कि जिसको करके कोई सदस्य प्रशंसा का पात्र बन सकता है। परन्तु सदन में अव्यवस्था पैदा करना या शोर करना या किसी बिल की प्रति को जलाना कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो किसी के द्वारा आसानी से न किया जा सकता हो। ऐसे काम की करने वाले, ज्यादा खूबी से करनेवाले लोग सदन के बाहर बहुत बड़ी तादाद में हैं, इस तरह के कृत्य यहां सदन की गरिमा को बहुत नीच गिराते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न की जाय। अब मैं माननीय गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा वह कम से कम समय लेकर अपने प्रस्ताव पर जो कहना चाहें वह कहें।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है कि संविद के किसी भी सदस्य ने किसी बिल को या किसी कागज को यहां आग लगाई है जिससे इस सदन की गरिमा को आघात पहुंचा है। अपनी सरकार और इधर के सारे दल की ओर से मैं आपसे माफी चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं जो विचार माननीय नेता सदन ने अभी जो कृत्य सदन में हुआ उसके संबंध में व्यक्त किये हैं। मैं समझता हूं कि उन दोनों व्यक्तियों ने जिन्होंने यहां २ कागज जलाये, मैं नहीं जानता वे क्या-क्या कागज थे परन्तु ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा को भारी आघात लगाया है और सदन को इसका

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सीरियस नोटिस लेना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अवश्य प्रस्ताव पास करना चाहिए, ऐसे सदस्यों की कोई भी हरकत सदन स्वीकार नहीं करेगा।

(इस समय ३ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज का जो यह प्रस्ताव है वह भी इसी भावना से प्रेरित होकर लाया गया था, यदि इसी प्रकार की बात मंत्रियों क द्वारा चलेंगी तो अवश्य ही उनका असर बाहर के लोगों पर पड़ेगा। सारी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मैंने इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखने की चेष्टा की थी और यह आशा की थी कि सदन के माननीय सदस्य प्रश्न की गरिमा और गंभीरता पर विचार करके अपने स्वतंत्र विचारों को रखने की दिशा में कदम उठावेंगे। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इधर के और उधर के कई साथियों ने इस प्रस्ताव के बाहर की बातें इस सदन में रखने की अधिक चेष्टा की और जो खास चीज मैंने प्रस्ताव में रखी थी उस पर ध्यान नहीं दिया और झूठी, बेकार की मिथ्या बातों को यहां रखन की चेष्टा की। सावजनिक जीवन की जो परम्परायें हैं, यह उनके विपरीत हैं कि यहां पर सी० आई० ए० के विषय में कुछ कहा जाय। गृह मंत्री चव्हाण साहब के जिस खत की चर्चा यहां पर की गयी है, वह बनाया हुआ बताया है। मैंने इस विषय में चव्हाण साहब को, गिरि साहब को और इंदिरा जी को खत लिखे हैं परन्तु उनसे कोई उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जो बातें मेरी उनसे फोन पर हुयीं उनसे यह स्पष्ट हुआ कि यह फोर्ज्ड लेटर है और बनाया गया है और देश के सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति या राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं, उनको बदनाम करने के लिए यह किया गया है। अमरीकन प्रेस तथा रूसी प्रेस दोनों भी बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे उन बातों को यहां पर उठाने की चेष्टा न करें जो बातें बतला दी गयी हैं और जो मुझे देश वासियो ने कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए धन देने से इन्कार नहीं किया फिर मैं क्यों विषय की तरफ देखूं। यह दुख की बात है कि ऐसी बातों को वह कह कर यहां पर चिल्लायें।

मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा था उस पर माननीय नेता सदत के विचारों को सुनकर मैं अपने विचार फिर रखता। जहां तक मेरे विचारों का संबंध है जो विचार इसके संबंध में मैंने प्रारंभ में कहे उनमें मुझे कुछ जोड़ना नहीं है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं जिनके विचार से पहले भी मैं कभी सहमत नहीं रहा हूं। माननीय झारखन्डे राय जी अपनी नीतियों की फिलोसोफी की बात यहां पर करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वे और उनका दल धोखाधड़ी में इस सदन में आये हैं और अपनी नीतियों के अनुसार शपथ ले सकते हैं और वे उसी प्रकार से उनके ऐसे कार्य हैं जिनकी निन्दा मैं यहां और बाहर भी करता हूं। यह नहीं हो सकता है कि संविधान के प्रति शपथ लें और फिर उसकी आलोचना भी करें। हमारे संविधान में संशोधन उपस्थित किया जा सकता है लेकित संशोधन उपस्थित करने की विधि भी दी हुई है। संविधान में उन धाराओं का जिक्र है जिनके द्वारा उसमें तबदीली लाई जा सकती है। हिन्दी संशोधन विधेयक की बहुत-सी धाराओं के हम भी विरोधी हैं, जो हमें पसन्द नहीं हैं और हम भी चाहते थे कि वे बदली जावें और हमारी बिनती से, आग्रह से उसमें कुछ संशोधन भी किये गये हैं। कुछ ने हम संतोष दिया और कुछ ने हमें संतोष नहीं दिया है पर वह सब विधि के अनुसार किया गया है। इसके विपरीत यहां पर जो हमारे मंत्री लोग हैं वे जो हमारे संविधान की धारायें और उनके तौर-तरीके हैं, को पूरा न करके ऐसी चीजें करते हैं जो जनतंत्र के लिए बड़ी घातक हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से कार्य करने से देश का भला नहीं होने वाला है। हमारे मित्रों को चाहिये कि वे नये विचार जो प्रस्तुत करना चाहते हैं अवश्य वे समाज में लायें परन्तु इस ढंग से लायें जो कि गणतंत्र को मजबूती प्रदान करें और जिससे हमारे नवयुवकों की श्रद्धा गणतंत्र के प्रति बढ़ायी जा सके। हमारे पास के बहुत से देश हैं जहां पर गणतंत्र हमारी नजरों के सामने से विलुप्त होता जा रहा है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में गणतंत्र उठ जाय या उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाय? क्या इन मंत्रियों का यह कार्य अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला नहीं था।

माननीय चौधरी साहब हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने कांग्रेस में अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, उनसे मैं कभी यह आशा नहीं करता हूं कि वे इस प्रकार की परम्पराओं को हमारे नवयुवकों को सिखायेंगे जिससे हमारे देश के नवयुवकों में अनुशासनहीनता फैल जाय। हमारे नवयुवक चन्द्रशेखर जी की राय है कि मैं बुड्ढा हो गया हूं और मुझे कमंडल लेकर बनारस चले जाना चाहिए मैं उनके सुझाव को स्वीकार करूंगा। लेकिन जब तक अभी कमंडल मैंने सम्भाला नहीं है मैं अपना अधिकार मानता हूं उम्र और तजुर्बे के नाते भी ऐसे नवयुवकों को नई दिशा दिखाऊं जिससे वे उन उत्तरदायित्वों को संभालने में क्षमता दिखा सकें जिनको हमने गलतियों और कमजोरियों के रहते हुए संभालने की चेष्टा की है। और मैं अपने बुजुर्ग साथियों से आशा करता हूं कि वे इन गुमराह साथियों को रोशनी दिखायेंगे जिससे कि नया समाज बन सके, नयी गणतंत्र की परम्परायें समाज के अन्दर जागृत हो सकें। यह भावना मैं अपने अन्दर रखता हूं और इसीलिए इस प्रस्ताव को यहां रखा है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, न दल के हित की बात है। प्रत्येक को ईमानदारी से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कद्र में भी तो दल है, जो माननीय मंत्रियों ने बातें की हैं उनके ऊपर उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। जनसंघ के नेता ने भी इनके कृत्यों के प्रति विरोध में प्रकट किये हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने भी विरोध में प्रकट किया, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी विरोध में प्रकट किये हैं, पी० एस० पी० के नेताओं ने भी उनके लोगों के विरोध में प्रकट किये हैं। तो यह एक पार्टी का विषय नहीं है। यह इस सदन की गरिमा से संबंध रखने वाला विषय है और उस पर प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जब उत्तर देंगे तो उस बात पर अवश्य प्रकाश डालेंगे और मेरे उन विचारों का अनुमोदन करेंगे जो विचार उनके विचारों से अवश्य मिलते होंगे।

(श्री उदित नारायण शर्मा के खड़े होने पर)

श्री कृष्णानन्द राय—

हम माननीय मुख्य मंत्री, जो सदन के नेता हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से पूछ लिया है। वह जिस मिनिस्टर को उचित समझेंगे बोलने को कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस विषय पर यदि माननीय मुख्य मंत्री अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे तो यदि यह मेरी धृष्टता नहीं समझी जायेगी तो मुझे और मेरे साथियों को सदन का परित्याग करने की आप इजाजत देंगे क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर उन्हें सदन का नेतृत्व करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) माननीय मुख्य मंत्री, आपके बोलने से पहले मुझे एक प्रार्थना करनी है कि समय ४ बजे तक का है। और इसको समाप्त करना है।

श्री चरणसिंह—

मैं कोई समय लेने नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं अपनी विवशता अर्ज करने जा रहा था। मेरी तबियत आज अच्छी नहीं है और इस विषय का अध्ययन भी नहीं किया, इसलिए मेरी उनकी बातचीत हो चुकी है और वह बोलेंगे।

(माननीय उदित नारायण शर्मा के बोलने के लिए खड़े होने पर कांग्रेस दल के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे माननीय साथियों ने यदि कोई व्यक्ति उनकी बातों का जवाब देना चाहता था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि बाहर जाते हुए माननीय सदस्य शोर न मचायें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय विरोधी पक्ष के साथियों ने यह पसन्द नहीं किया कि जितनी वे बातें कह चुके हैं उनका उत्तर उनको मिले ।

यहां पर सबसे बड़ी दलील यह दी गयी है कि किसी आदमी ने १४४ धारा को तोड़ा है तो उसने संविधान का उल्लंघन किया है । मैं जिन लोगों का कानून का, न्याय का, जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होगा वही ऐसी बातें कह सकते हैं । इस देश के आजाद हो जाने के बाद इस तरह जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी १४४ को न तोड़ा हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां जितने लोग आन्दोलन करते रहे हैं वे क्या करते रहे हैं ? देश आजाद हो जाने के बाद संविधान के अन्दर विधि जरूर बनाई जाती है । लेकिन उसका कदापि यह मतलब नहीं होता कि १४४ अगर कोई तोड़ता है तो उसने संविधान को तोड़ दिया । हम कोई बहुत गलत काम करें और जो उधर लोग बैठे हैं उनको इस बात की जरूरत पड़ जाय कि १४४ को तोड़े तो जिस वक्त वह तोड़ेंगे तो क्या यह कहा जायगा कि वे संविधान तोड़ रहे हैं ।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी बात यह कही गयी कि मंत्रीगण जो यहां से गये थे उनको मंत्री रहते हुए यह काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था । एक ही बात मैं कहता हूं कि परसों जो यहां घटना घटित हुई उससे प्रजातंत्र और संविधान की हत्या हुई है और वह उस वक्त हुई जिस वक्त यहां यह ऐलान किया गया कि इस सभा की कार्यवाही यह कुर्सी नहीं चलायेगी, बल्कि उधर के लोग चलायेंगे । तो क्या वे इससे संविधान की रक्षा कर रहे थे ? मुझे अफसोस है कि वे मेरी बात सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

लाबी में हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

एक बात यह भी यहां देखने को मिली कि अगर कोई बात उनको पसन्द आ गयी तो वे दूसरों को मजबूर करेंगे वर्ना लड़ाइयां होंगी, घूंसे चलेंगे । वे सोच लें कि इस बात रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे । आप यह देखें कि मंत्री जी क्यों गये थे । यह ज्यादा मुनासिब था कि यहां पर सब लोग खड़े होकर संविधान तोड़ते, हल्ला करते, इस सदन की मर्यादा को धक्का देते और उनके नेता लाबी में जाकर बैठते या यह होता कि पहले उनके नेता उसे करते और फिर अपने साथियों से वैसा करने को कहते । इन मंत्रियों ने जो काम किया है वह उसके लिए बधाई के पात्र हैं । इन शब्दों के साथ मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं हुआ है जो हमारे साथियों ने किया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन को खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के दो माननीय सदस्यों, श्रम मंत्री श्री प्रभुनारायण सिंह एवं वित्त मंत्री, श्री राम स्वरूप वर्मा, ने पूर्व घोषणा कर, मंत्री रहते हुए दिनांक १२ दिसम्बर, १९६७ को दिल्ली जा कर शांति एवं व्यवस्था के लिए वह वहां लगी धारा १४४ का उल्लंघन कर संविधान और विधि की मर्यादा को अपूर्व क्षति पहुंचाई और स्वेच्छा से अपने विरुद्ध न्याया दण्ड का आह्वान किया। उक्त कार्य से जनतंत्र के मूल सिद्धांतों को भारी चोट पहुंची और जन साधारण की आस्था जनतंत्र में ही डिग गई।

सदन को यह भी खेद है कि इस प्रकार संवैधानिक निष्ठा एवं मर्यादा तथा जनतांत्रिक लोक व्यवहार की राजकीय एवं शासकीय परम्पराओं एवं मान्यताओं के उल्लंघन के बाद भी उक्त दोनों मंत्री प्रदेशीय सरकार में बने हुए हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नानक सागर बांध के टूटने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

नानक सागर बांध दुर्घटना से हम सबको जो अपार दुख और कष्ट हुआ है, और जन-धन की जो भीषण हानि हुई है, उसका मुझे और शासन को अत्यन्त दुख है तथा शोक है। इस दुर्घटना से जो लोग प्रभावित हुए हैं तथा जिनकी निजी संपत्ति की क्षति हुई है सरकार उनके पुनर्वास की यथा संभव व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

नानक सागर बांध ८ सितम्बर को सुबह १.३० बजे उसके पश्चिमी पार्श्व के १.५ किलो मीटर पर स्थानीय विभागीय अधिकारियों की पूरी कोशिश के बावजूद टूट गया।

बांध टूटने से करीब २५–३० फीट ऊंचा पानी का प्रवाह देवहा नदी में बह चला और कुछ ही घंटों में लगभग १५ वर्गमील क्षेत्र में फैल गया। बांध से निकलने वाला प्रवाह प्रायः १० घंटे में बहुत कम हो गया और जलाशय भी प्रायः रिक्त हो गया।

बाढ़ का पानी नैनीताल तथा पीलीभीत जिलों में लगभग १९७ गांवों में फैला। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जिला पीलीभीत में ४ तथा जिला नैनीताल में ४२ व्यक्ति मरे या लापता हो गये। जिला नैनीताल में ४२ व्यक्तियों में से २२ व्यक्ति केवल खमरिया गांव के थे जो बैलगाड़ियों पर निकलते समय धारा की चपेट में आ गये। नैनीताल जिले में ५६१ घर पूर्णतया तथा ३३१ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। बाढ़ के पानी से जिला नैनीताल में १३१ एकड़ भूमि कट कई तथा १२०८ एकड़ भूमि पर ६ इंच से ४ फीट तक रेत जम गई। बांध ६५० फीट लम्बाई में बह गया।

नानक सागर बांध का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६–५७ से लेकर १९६२–६३ तक मुख्यतया हुआ। ३६३ लाख रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य मुख्यतः जाड़ों की ऋतु में शारदा नहर में हो जाने वाली पानी की कमी को पूरा करना है। बांध की उपादेय जल सम्भरण क्षमता १ लाख एकड़ फीट है। इसके द्वारा ५३,५०० एकड़ रबी तथा ४३,२५० एकड़ खरीफ कुल ९६,७५० एकड़ वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

यह बांध जून, सन् १९६२ में सर्वप्रथम भरा गया। इस जलाशय का प्रस्तावित अधिकतम जलस्तर ७०६.० फीट है। जून सन् १९६२ के बाद सन् १९६७ तक यह जलाशय क्रमशः

वर्ष			प्रस्तावित अधिकतम जलस्तर
१९६२	..	..	६९२.८ फीट
१९६३	..	..	६९५.० फीट
१९६४	..	..	७००.० फीट
१९६५	..	..	६९५.० फीट
१९६६	..	..	७०१.६ फीट

तथा १९६७ में ७०५.३ फीट तक भरा गया था।

मैं ६ सितम्बर को अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पीलीभीत पहुंचने वाला था किन्तु मुझे उसी दिन तत्काल लखनऊ से आगरा, मथुरा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जाना पड़ा। वहां पर गोवर्धन ड्रेन में खादी हो जाने के कारण एवं हरियाना के अधिकारियों द्वारा कामा लेक से इस ड्रेन में अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी। इसी स्थिति के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्राम रसूलपुर वासियों पर गोली भी चलाई जा चुकी थी। अतएव उस क्षेत्र में जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। मैंने पुनः ७ सितम्बर को भी इसी क्षेत्र का दौरा केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री डा० के० एल० राव के साथ किया तथा उनके साथ भरतपुर में राजस्थान तथा हरियाना के मन्त्रीगण के साथ बाढ़ समस्या पर विचार-विमर्श किया। वहां से होते हुए मैं ८ सितम्बर को सुबह २.४५ बजे बरेली पहुंचा जहां मुझे नानक सागर बांध के टूटने की सूचना मिली।

बरेली में उपस्थित अधिकारियों ने बाढ़ के जल विस्तार का अनुमान उस समय मुझे बतलाया जिसके आधार पर सुरक्षा कार्यों का कार्यक्रम बनाया गया। कमिश्नर रुहेलखंड ने बांध टूटने के दो घंटे के भीतर ही नैनीताल, पीलीभीत, बरेली तथा शाहजहांपुर के जिलाधीशों से सम्पर्क स्थापित करके सहायता का कार्यक्रम निश्चित किया। रुड़की से १४ नावें मंगाई गयीं। खटीमा में मोबाइल वायरलेस सेट स्थापित किया गया। हेलीकाप्टरों से पानी से घिरे हुए गावों में १४ क्विंटल पूड़ियां पहुंचाई गयीं। सैकड़ों की संख्या में पी० ए० सी० के जवान बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंच गए जिन्होंने रस्सों तथा नावों की सहायता से पानी में घिरे हुए लोगों को निकाला तथा उनको कैम्पों में पहुंचाया। सिंचाई तथा विद्युत् विभाग के लगभग १५० स्थानीय एवं आसपास के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को यथासमय सहायता पहुंचाई गई। दूनी डाम पर तथा पीलीभीत और शाहजहांपुर के निचले भागों में जनता को हटाने के लिए अधिशासी अभियन्ता मय अपने कर्मचारियों के साथ तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने दवा तथा इलाज का प्रबन्ध किया।

रेड क्रास तथा सूखा सहायता कमेटी ने भी वस्त्रों तथा मुफ्त राशन के वितरण का प्रबन्ध किया। मैं सरकार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कमिश्नर रुहेलखंड से मिलकर मैं स्वयं दुर्घटनास्थल पर पहुंचा और वहां पहुंचकर सुरक्षा प्रबन्धों की स्वयं जांच की। इसी समय बांध के टूटे हुए स्थानों के दूसरी तरफ नानकमत्ता में श्री रामचन्द्र जी विकल, वन मन्त्री भी पहुंचे गए और उन्होंने भी उस समय सहायता कार्य का प्रबन्ध किया। श्री प्रतापसिंह जी स्वास्थ्य मन्त्री भी वहां पहुंचकर यथासम्भव सहायता कार्य में लग गए।

८ सितम्बर को लौटते हुए मैंने पीलीभीत की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा रात्रि को करीब १० बज शाहजहांपुर पहुंचा और वहां की सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया।

९ सितम्बर को मुख्य मन्त्री श्री चरणसिंह ने मुख्य सचिव के साथ वायुयान द्वारा बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। सिंचाई विभाग के मुख्य तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तथा अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहले से ही पहुंच गए थे।

१० सितम्बर को मैंने पुनः केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री डाक्टर के० एल० राव, सिंचाई सचिव, मुख्य तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया।

बांध टूटने के कारण—

यद्यपि बांध के टूटे हुए स्थान पर २६ अगस्त, १९६७ से रिसाव तथा बालू पानी मिश्रित उबाल (ब्वायलिंग) होने लगे थे तथापि स्थानीय अधिकारियों को यह आशंका ७ अगस्त, १९६७ तक भी नहीं हुई कि सुरक्षा के उपायों के बावजूद भी बांध टूट सकता था। वे २६ अगस्त से बराबर इन उबालों को काबू करने के लिए इनवर्टेड फिल्टर, लोडिंग तथा पानी के दबाव को कम करने के लिए प्रशर रिलीफ वैल बना रहे थे और इस स्थान पर चौबीस घंटे निगरानी रख रहे थे। अधिशासी अभियन्ता ने ७ सितम्बर को ३–३० बजे शाम को स्थिति को खतरनाक समझ कर बांध के पानी को स्लिपवे द्वारा रिक्त करना प्रारम्भ कर दिया था किन्तु तब भी उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि बांध टूटने से बचाया नहीं जा सकेगा। जलाशय के पानी को रिक्त करने का उद्देश्य केवल ऊपर की ओर से पानी के दबाव को हल्का करना था ताकि इन्वर्टेड फिल्टर इत्यादि अधिक सुगमता से कार्य कर सकें। अधिशासी अभियन्ता ने ७ सितम्बर को ९–३० बजे स्थिति संकटपूर्ण समझी और अधीक्षण अभियन्ता से परामर्श करके स्लिपवे को उसकी पूरी ५०,००० क्यूसेक क्षमता से जारी कर दिया। स्लिपवे को ५०,००० क्यसेक्स से जारी होने के कारण, देवहा की घाटी में बाढ़ की आशंका से, अधीक्षक अभियन्ता ने नैनीताल तथा पीलीभीत के जिलाधीश को सुरक्षा कार्य के प्रबन्ध के लिए सूचना भेजी और बरेली से बांध स्थल को चल पड़े जहां वे ८ सितम्बर को सुबह १ बजे पहुंचे। उस समय स्थिति काबू के बाहर हो चुकी थी और डेढ़ बजे बांध टूट गया। प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय जनता ने बांध के टूट जाने की सम्भावना के बारे में कोई सूचना शासन को नहीं भेजी। अतएव यह कहना उचित नहीं है कि बांध के टूटने की आशंका पहले से ही पैदा हो गई थी। यदि अधिकारियों को एसी आशंका हो गई होती तो वे सुरक्षा उपायों में न लगे रहते तथा स्थानीय जनता पहले ही से सतर्क हो जाती और गांव खाली हो जाते।

यह बात सर्वथा निराधार है कि भयंकर परिस्थिति होते हुए भी किसी भी अधिकारी को या मुझे नानकसागर बांध को पूरा-पूरा भरा देखने की इच्छा थी और इसी कारण बांध टूटा। हम सबका केवल यही क्यास था कि प्रदेश के सभी बांध अपनी क्षमता पर भरे जायं। और उनसे पूरी सिंचाई हो क्योंकि इनमें उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई लगी है और जल प्राप्त करके ही यहां के कृषक अन्न की उपज बढ़ा सकते हैं।

यह कहना कि स्थानीय जनता की ओर से बांध की कमजोरी के बारे में सूचना मिल जाने पर भी फाटक खोलने इत्यादि का प्रबन्ध नहीं किया गया, यह बात सर्वथा निराधार है।

बांध की कमजोरी बालू पानी मिश्रित उबालों के पैदा होने से ही प्रकाश में आयी। यह बांध १२ मील लम्बा है और इसमें कई स्थानों पर इस प्रकार के उबाल पैदा हुए जिन्हें सफलतापूर्वक काबू कर लिया गया था। शारदा सागर बांध में ऐसे उबाल सफलतापूर्वक ठीक कर लिये गये थे और किये जा रहे हैं। अतएव स्थानीय अधिकारियों ने इस बांध पर होने वाले उबालों से कोई संकटपूर्ण या असाधारण परिस्थिति नहीं देखी और उनकी आवश्यक मरम्मत करते रहे। यदि उन्हें इनके द्वारा बांध टूटने की आशंका होती तो वे फाटक खोलकर पानी निकालते तथा नीचे के गांवों में खतरे की सूचना भेजते। अल्पमत बुद्धिवाला अधिकारी भी बांध टूटने की

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

भयंकरता से उदासीन नहीं रह सकता था। ऐसी दुर्घटना की सम्भावना से सर्वथा आशंकित होने के कारण ही स्थानीय अधिकारियों ने मुख्य अभियन्ता तथा सिंचाई मन्त्री को सूचित नहीं किया। संयोगवश मैं ८ सितम्बर को सुबह २.४५ बजे बरेली पहुंच गया था जहां मुझे इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद जोर के साथ सहायता का प्रबन्ध किया गया, अतः मेरा इस सम्बन्ध में उदासीन रहने का आरोप सर्वथा निराधार तथा अनुचित है।

इस दुर्घटना के बारे में मौके का निरीक्षण करके केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री डा० के० एल० राव, जो कि बांधों के माने हुए विशेषज्ञ भी हैं, ने यह मत प्रकट किया कि बांध का डिजाइन एवं कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी किन्तु यह ऐसी भूमि पर बना था जहां से रिसाव होने लगा जिसके कारण बांध की नींव कमजोर हो जाने के कारण टूट गई।

जांच कमेटी की नियुक्ति--

शासन ने इस दुर्घटना की जांच के लिए राजाज्ञा सं० ५७६/६७-२३ आ० ई० बी०, दिनांक ४-१०-६७ द्वारा ३ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दी है। इसके अध्यक्ष अवकाश प्राप्त जिला जज श्री हरिश्चन्द्र सिंह, एम० एल० ए० हैं तथा श्री जगदीश प्रसाद, भूतपूर्व इंजीनियर-इन-चीफ सार्वजनिक निर्माण विभाग और श्री पी० एस० माने मेम्बर, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् परिषद्, सदस्य हैं।

माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी, माननीय राममूर्ति जी के और हम सबके पुराने सहयोगी हैं और वे इन सब योजनाओं से पूर्णतया विज्ञ हैं। उनके विषद् न्यायिक ज्ञान, गम्भीर चिन्तन और परिश्रम के कारण उन्हें सरकार ने इस योग्य समझा है। न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस दुर्घटना का सम्बन्ध गम्भीर तकनीकी मामलों से है। तकनीकी समस्या की जटिलता को समझते हुए ही इस जांच कमेटी ने एक अन्य उच्चस्तरीय तकनीकी कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा है।

उपरोक्त जांच कमेटी निम्नलिखित तथ्यों की जांच करेगी--

(१) बांध टूटने के कारण क्या थे, क्या बांध की नींव में कोई त्रुटियां थीं?

(२) क्या बांध को टूटने से बचाया जा सकता था?

(३) क्या बांध के निर्माण के प्रारम्भ से अब तक उसके निर्माण तथा रख-रखाव के सम्बन्ध में किसी अधिकारी का दोष था?

(४) क्या विभागीय कर्मचारियों ने बांध टूटने की सम्भावना को जानते हुए भी शासन को तथा अन्य उच्चाधिकारियों से इस बात को छिपाया?

(५) बांध के पुनर्निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा जाय कि भविष्य में दुर्घटना न हो?

जांच कमेटी ने २६-१०-६७ को बांध-स्थल का निरीक्षण करके निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए--

(१) बांध की मरम्मत का कार्य जनहित की दृष्टि से शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

(२) कमेटी के विचारार्थ विषय नं० ५ को समाप्त करते हुए शासन से अनुरोध किया जाय कि मरम्मत के कार्य तथा वांछनीय सुरक्षा के उपायों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की नियुक्ति की जाय।

जांच कमेटी की संस्तुति के अनुसार शासन ने राजाज्ञा संख्या १४०८–डी० ओ० (बी) -६७/६२३–आई० बी०, दिनांक २३–११–६७ के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की––

(१) श्री ए० सी० मित्र, भूतपूर्व इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग, सदस्य।

(२) श्री पी० एस० माने, सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, सदस्य।

(३) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, सदस्य।

यह समिति परिस्थिति का अध्ययन कर रही है तथा उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

बांध की मरम्मत का प्रबन्ध किया जा रहा है। मिट्टी ढोने वाली मशीनें बांध-स्थल पर पहुंच चुकी हैं तथा पानी की धारा को मोड़ने के लिए कौफर डैम का निर्माण कार्य प्रायः पूरा हो चुका है। बांध की मरम्मत जून, १९६८ तक कर देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बाढ़ पीड़ितजनों को मकान, बीज इत्यादि के प्रबन्ध के लिए उचित तकावी दी जा रही है। जिन लोगों की भूमि खेती योग्य नहीं रही उन्हें बांध के अन्दर उतनी ही भूमि चालू रबी के लिए खेती के लिए प्रदान कर दी गयी है।

इस घटना के फलस्वरूप हमने बहुत कुछ सीखा है। हम पुराने बांधों का विशेषज्ञों द्वारा फिर से विस्तृत निरीक्षण करवा रहे हैं और उनकी सुरक्षित क्षमता का पुनः आकलन किया जा रहा है जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि इस बांध से पानी रसने की हालतें २४ अगस्त से शुरू हो गयी थीं और लगातार वहां के लोग इंजीनियर्स को इस की शिकायत करते चले आ रहे थे और ३० अगस्त से विधिवत् लिखकर देना शुरू कर दिया था। उसके बावजूद, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर वहां सात मर्तबा गए और उन्होंने हालात को देखा और इसकी गम्भीरता को देखते हुए कि यह बांध पूरी लेविल तक भरा गया है और कोई भी इस वजह से नुकसान हो सकता है लेकिन फिर भी जो उनसे ऊंचे अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर थे या जो इसके एक्सपर्टस् थे किसी को कोई खबर नहीं दी, इन हालात के खराब होने के सम्बन्ध में?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

वहां के इंजीनियर्स ने इस प्रकार की सूचना प्राप्ति से इंकार किया है। परन्तु उनसे यह अवश्य जानकारी की जायगी कि यदि उनके सामने गम्भीर समस्या थी तो उन्होंने अपने सीनियर लोगों को इत्तला क्यों नहीं दी। मैं इसका आश्वासन देता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब ७ तारीख को करीब-करीब इंजीनियर साहबान को यकीन हो गया था कि वह उस बांध को बचा नहीं सकते, इसके बावजूद भी पुलिस और सीनियर अथारिटी को कोई सूचना इस बात की नहीं दी गयी?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद––

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि स्पील जब पूरी सीमा पर खुला तो देहवा इतनी छोटी नदी में ५० हजार क्यूसेक्स पानी से ही भीषण बाढ़ आ जाने की सम्भावना हो सकती थी इसलिए उन्होंने स्पील खोलने के साथ ही साथ जिला पीलीभीत के कलेक्टर को सूचना दी कि देहवा नदी में भीषण बाढ़ आने की सम्भावना है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांध टूटने के उपरान्त न तो आज तक माननीय मन्त्री ने वहां के इन्चार्ज इंजीनियर का वहां से ट्रांसफर किया और न आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही की, इसका क्या कारण है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह बात तो तथ्य से परे है, वहां पर तो बहुत से अधिकारी हैं, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का किसकी तरफ इशारा है। लेकिन इतना मैं बतला दूं कि सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सजग है और वहां पर पुनर्निर्माण की व्यवस्था फिर से हो रही है।

श्री नेकराम शर्मा--

जो इंचार्ज इंजीनियर्स थे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनके खिलाफ न तो कोई कार्यवाही की गयी और न उनका वहां से ट्रांसफर ही किया गया है, इसका क्या कारण है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जिनका नाम लिया गया है उनसे तत्काल चार्ज दूसरे इंजीनियर को दे दिया गया और अब वह काम उनके चार्ज में नहीं है।

श्री अख्तर अली खाँ (जिला रामपुर)--

मुझे मालूम हुआ है कि वहां के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिवर्ट कर दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में इन्क्वायरी के बाद उनको रिवर्ट किया गया है या किसी और कारण से उनको रिवर्ट किया गया है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक सम्बद्ध बात है, इसको आप मेरे ऊपर छोड़ें।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

मेरा मतलब है कि यह मामला अभी अदालत में चल रहा है, इस पर अभी कुछ कहना ठीक न होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या सम्बन्धित अधिकारियों में से किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन को ज्ञात ही है कि वहां के दोनों अधिकारी रिवर्ट हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि दूसरे अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य हो रहा है और जांच के बाद सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जो उचित कार्यवाही समझी जायगी वह की जायगी।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों से आपने चार्ज ले लिया है, उनका तबादला वहां से करने में आपको क्या कठिनाई है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जब शासन उपयुक्त समझेगा, उनका तत्काल तबादला कर देगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

माननीय सिंचाई मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं मिली। जनता ने इस बात की शिकायत की कि बांध टूटने की सम्भावना है, यह देखते हुए भी इस सदन के एक माननीय सदस्य और दो और महानुभाव उसकी जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान यह बात सम्भवतः सामने आयी कि वहां के इंजीनियर्स ने लापरवाही की और इस लापरवाही की सबसे बड़ी सम्भावना इस बात से है कि जब जनता द्वारा खतरे की सूचना उनको दी गयी तो भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने उनके सम्बन्ध में जो अपनी धारणा बना ली है वह किस आधार पर बना ली है जबकि अभी उनकी जांच हो रही है?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अपने दोस्त से मेरी दरख्वास्त है कि सारा मामला कमेटी के विचाराधीन है, इसलिए रिस रहा था या नहीं रिस रहा था, कब से रिस रहा था और किसका फर्ज था, वगैरह वगैरह सिलसिल में सवाल न किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि उसका जवाब देना इस वक्त पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने जो बात कही वह आपके लिए सलाह रूप में महत्व रखती है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिस तरह की कमेटी जांच कर रही है, उससे कोई चीज प्रज्युडिश परिभाषा में नहीं आती। आप कोई जानकारी करें तो उस जानकारी के लिए यह सदन उस कमेटी से भी ज्यादा सक्षम है किसी बात की छान बीन करने के लिए।

श्री चरणसिंह—

मैंने यह अर्ज नहीं किया कि यह सब्ज्युडिश होगा। फिर भी गवर्नमेंट या पब्लिक इन्टरेस्ट में इस तरह के सवालों का उत्तर देना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

जरा मैं स्पष्ट कर दूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह नहीं कहा और न मैंने यह कहा कि सब्ज्युडिश है। मैंने अपनी तरफ से कहा कि यह उस दर्जे पर नहीं आता है जैसे सब्ज्युडिश कोई मामला हो तो उस पर बात करना उचित नहीं होता है। मुख्य मन्त्री जी के चाहे जो विचार हों मैं समझता हूं सदन इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करने का अधिकारी है और उससे कोई प्रभाव उस जांच कमेटी पर नहीं पड़ सकता।

आचार्य दीपंकर—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय नेता सदन ने जो बात कही उसे मैं क्षणिक रूप में स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं तब तो यह प्रश्न आकर खड़ा होगा कि उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन सिंचाई मन्त्री जी ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर मेरा प्रश्न है। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जो बड़ी मुख्य बात आ गयी है, जो बड़ी कन्ट्रोवर्शियल है कि वहां की जनता ने वहां के निवासियों ने बांध के लीकेज की कोई सूचना नहीं दी वहां के अधिकारियों को।

श्री अध्यक्ष—

आप कहना क्या चाहते हैं।

आचार्य दीपंकर—

मैं चाहता हूं आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो वक्तव्य दिया गया है वह वक्तव्य अधिकृत माना जाय, क्योंकि इस वक्तव्य से उस जांच कमेटी के काम में रुकावट आएगी।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सब कुछ कहने के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। मैं नेता सदन की इस राय से सहमत नहीं हूं कि एक कमेटी हो रही है, इसलिए माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपकी आपत्ति तो निराधार है।

श्री चरणसिंह—

मैंने बाद में यह अर्ज किया कि कमेटी के सामने है, इसलिए गवर्नमेंट इस मसले पर किसी प्रश्न का जवाब देना जनहित में नहीं समझती।

श्री अध्यक्ष—

सरकार जनहित में नहीं समझती तो उसको कहेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं श्रीमन्, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपका एक निश्चय हो गया तो क्या मुख्य मंत्री जी को उस रूलिंग के सम्बन्ध में या उसके विरोध में चर्चा करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में यह कह दूं नेता सदन ने मेरी रूलिंग पर कोई आपत्ति नहीं की है। उनका कहना है कि सरकार यह समझती है कि यह जनहित में नहीं है कि इस पर कुछ बात कही जाय। पहले जो मेरी व्यवस्था हुई थी वह तो यह थी कि एक कमेटी जो बैठी हुई है इसलिये सदन को यह अधिकार नहीं है उस बारे में जानने का, मैंने उसपर व्यवस्था दी थी। अब वह दूसरी बात कहते हैं कि सरकार समझती है जनहित में इसका उत्तर न देना तो ऐसी बात बहुत समय से होती रही है और सरकार को यह कहने का अधिकार है। अब १ मिनट रह गया।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, इस दुर्घटना के बारे में आपको मालूम है कि सैकड़ों आदमी मर गये, करोड़ों रुपयों का नुक्सान हुआ और कितने लोग उद्वासित हो गये तो अगर कुछ बात हो जाती तो सरकार को भी ऐडीशनल मालूमात हो जाती और उससे उनकी कमेटी को भी मदद मिल जाती।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आज सुबह आप इस सदन में थे जिस वक्त इस विषय में संकल्प आया था और उसमें आपने भी खामोश रहकर अपनी सहमति दी कि जो बिजीनेस ऐडवाइजरी कमेटी का निश्चय हो उससे यह सदन सहमत है।

श्री राममूर्ति—

नहीं, मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं और वह यह है कि जो सवालों का वक्त था वह तो इसी बहस मुबाहसे में खत्म हो गया। सवाल दो तीन से ज्यादा नहीं हो पाये। अगर आप मुनासिब समझें तो किसी रोज इस पर मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये आप उठाइयेगा तो देखेंगे। इस समय साढ़े चार बज चुके हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आप अपने पीछे की घड़ी देखें। उसमें एक मिनट बाकी हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, एक मिनट में आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि यह बांध का किस सन् में निर्माण हुआ और किस मंत्री जी के काल में हुआ ? इसका इन्क्वायरी से सम्बन्ध नहीं है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने विस्तार से सूचना दे दी है कि किस सन् में निर्माण हुआ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

किस मंत्री क जमाने में हुआ यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना शायद उनके पास न हो।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

अभी पूरा उत्तर तो मुझे मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जवाब देना तो मंत्री जी के अधिकार में है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं प्रश्न तो कर रहा हूं कि किस मंत्री जी के जमाने में उस बांध का निर्माण हुआ ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

सूचना तो है नहीं सम्भवतः राममूर्ति जी उस समय मंत्री थे।

श्री राममूर्ति—

सिंचाई मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैंने तो यह कहा है कि मेरे पास सूचना नहीं है कि कौन मंत्री जी थे उस समय, सम्भवतः राममूर्ति जी रहे होंगे और अगर वह अपने ऊपर ले गये तो वही रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह बात गलत हो तो ठीक है क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे सूचना नहीं है, उन्होंने कहा कि सम्भवतः आप थे, आप तो सम्भवतः नहीं थे।

श्री राममूर्ति—

सदन में इस तरह से बताना यह मेरे ऊपर एक प्रकार से रिफ्लेक्शन था।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या आप मंत्री उस समय थे ?

श्री राममूर्ति--

मैं था तभी तो मैं कहूंगा । (हंसी)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है तो आप कहें ।

श्री राममूर्ति--

१९६२-६३ में वह बांध बना । तब से बराबर पानी भरता था लेकिन उसकी मरम्मत होती जाती थी लेकिन जब इनके जमाने में मरम्मत ही नहीं होगी और वैसे ही छोड़ दिया जायगा तो यही होगा ही ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर) आपने तो अपने वक्त में कुछ छोड़ा नहीं है, विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे दिया है ।

प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज मेरे पास तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं । एक माननीय गेंदासिंह जी का है । इसमें माननीय राजाराम जी पांडेय, माननीय रामलखनसिंह, माननीय धनुषधारी जी, माननीय चन्द्रबलीसिंह जी और बहुत सारे नाम हैं जो घसीट में लिखे हैं वह मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं । यह मेरे पास आया है । इस पर चर्चा कल सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर हो सकती है । आज हम और कामरोको प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं । इसके महत्व को देखते हुये मैंने इसको सम्बन्धित मंत्री के वक्तव्य के लिये कल के लिये रख दिया है । वह इस प्रकार है :

"राज्य सरकार के अत्यन्त व्यापक तथा अवांछनीय हस्तक्षेप के कारण प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल के मालिकों से गन्ना का उचित मूल्य मिलने में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है । प्रदेश के अधिकांश किसानों को १२ रुपये प्रति क्विंटल अपना गन्ना बेचने को लाचार होना पड़ रहा है जब कि १७ रुपये और १८ रुपये क्विंटल का बाजार हो गया है । इसी के फलस्वरूप पूर्वांचल की मिलों को किसान विवश होकर गन्ना सप्लाई नहीं कर रहे हैं । कुछ मिलें बन्द भी हो गई हैं । शक्कर उत्पादन घटेगा और कीमत बेतहाशा बढ़ने का भय है ।"

मेरे पास माननीय चन्द्रबली सिंह जी का कल भी एक कामरोको प्रस्ताव आया था । उसमें भी गन्ने का किस्सा था लेकिन उसमें उनकी शिकायत और थी कि देवरिया में २६, २७ नवम्बर को १ लाख रुपये माननीय चरणसिंह ने लेकर ४।। रुपया मन गन्ने का दाम जिलाधीश देवरिया द्वारा घोषित कराने एवं मेरठ में गन्ने का दाम छः रुपया मन से ज्यादा दिलवाने की सरकार की प्रक्रिया से देवरिया के किसानों को असन्तोष है । कल इसको अस्वीकार कर दिया था क्योंकि दूसरा स्वीकार कर लिया था । आज आपने पुनः भेजा है । मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा इसको भी वह इसमें शामिल कर लेंगे । यह आदेश मैंने कर दिया है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि केवल उद्योग मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दे दें इससे काम नहीं चलेगा । यह इतना बड़ा प्रश्न है कि प्रदेश की ५० मिलों को लाखों मन प्रतिदिन

गन्ना जा रहा है। उनको ३, ४, ५ रुपया क्विंटल कम मिल रहा है। इसके लिये दलील उस तरफ से दी जा रही है कि कई फैक्टरी बन्द हो गई है किसान मजबूर हैं। मैं समझता हूं कि चाहे वह मेरठ की फैक्टरी हो चाहे देवरिया की हो। उनकी लाचारी है। इसको इस सदन में सुनने का मौका मिलना चाहिये और सरकार को भी उस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिये। केवल वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस महत्वपूर्ण कामरोको प्रस्ताव पर जो माननीय गेंदासिंह जी ने प्रस्तुत किया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। अगर श्री गेंदासिंह कृषकों को संगठित करें तो मैं उनको इधर के लोगों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि, कृषकों को उचित मूल्य दिलाने में पूरा सहयोग देंगे। भारत सरकार ने ४० प्रतिशत चीनी खुले में बेचने की छूट दी है। इसलिये हमें किसानों को अच्छे दाम दिलाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप मैरिट पर जा रहे हैं। इसलिये इजाजत नहीं देता। यह विषय महत्वपूर्ण अवश्य है लेकिन मेरी कठिनाई समय के लिये है। समय इतना टाइट है कि जो स्वीकार किया जा चुका है उसके लिये थोड़ा समय बाकी रह जाता है। तो उस पर चर्चा का समय नहीं है फिर भी आपकी इच्छाओं का आदर करते हुये मैं कुछ प्रश्न करने की इजाजत दे दूंगा।

अन्ट्रेंड अध्यापकों की छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव त्रिवेणीराय जी का आया है जो शिक्षा विभाग ने अन्ट्रेन्ड अध्यापकों की छटनी की है उससे प्रदेश में बड़ा क्षोभ तथा असन्तोष है। इसको भी कल शिक्षा मंत्री जी देखकर स्थिति बतला दें तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब एक नियम ५१ में मेरे पास माननीय मदन मोहन मिश्र, रायबरेली का आया है जो कर्मचारियों के विषय में है। इसको अस्वीकार कर दिया है। एक माननीय चन्द्रबलीसिंह का आया है जो स्थानीय घटना से सम्बन्ध रखता है उसको भी मैंने अस्वीकृत कर दिया है लेकिन आवश्यक जानकारी तथा कार्यवाही के लिये माननीय सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दिया है।

गंगा नदी पर पुल निर्माण सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय कृष्णानन्दराय जी का है। इसको भी मैंने सम्बन्धित मंत्री जी के पास भेज दिया है कि वह सदन को पूरी सूचना देने की कृपा करें। इस के अतिरिक्त माननीय नाथू राम शिक्षक जी का है। इस को मुझे अस्वीकार करना पड़ा इसलिये कि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है और कल सप्लीमेंटरी बजट में इस पर चर्चा हो सकती है।

टांडा में चेचक से मौतों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दफा ५१ में एक प्रस्ताव दिया था। हाल ही में टांडा में चेचक से करीब ३,००० मौतें हो चुकी हैं। सरकार का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया गया लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया नहीं। यह बड़ा महत्व का विषय है और इस पर सदन में विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको स्वास्थ्य मंत्री को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है और यह भी उसको लिख दिया है कि इस विषय में सदन को भी वे अवगत करायें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, दफा ५१ में मैंने १८ तारीख को भी आपके सामने इस विषय को रखा था और कल वह समाप्त कर दिया गया। नहीं आ सका। आज पुनः मैंने उसे दिया। वहां पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है, ३ साल का बकाया लगान.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा। बात यह है कि मेरी तो इच्छा रहती है कि माननीय सदस्य प्रश्न उठायें उस पर यहां ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके, लेकिन आप मुझे मेरे कमरे में आ कर ऐसी शिक्षा दीजिए कि जिस के द्वारा मैं अपनी इस इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर सकूं।

प्रदेश में भाषा विधेयक सम्बन्धी आन्दोलन से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश में भाषा विधेयक के संबंध में हाल ही में हुए आन्दोलनों के फलस्वरूप जो लाखों रुपये की जन संपत्ति एवं जनक्षति हुई है इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के उद्देश्य से यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।

मान्यवर, ३० नवम्बर को इस प्रदेश में हिन्दी सेना के नाम से एक संगठन प्रामिनेंस में आया। श्रीमान्, वह इसलिये आया कि जो भाषा विधेयक संसद में प्रस्तुत होने वाला है उसका विरोध किया जाय। एक उद्देश्य श्रीमान्, यह हो सकता है। दूसरा उद्देश्य श्रीमन्, यह भी हो सकता है कि ९ महीने के उपरान्त यह नान-कांग्रेस गवर्नमेंट असफल हुई है प्रदेश को शान्ति और व्यवस्था देने में और अपने १९ सूत्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। तो जब जनता इस नान-कांग्रेस गवर्नमेंट की असफलताओं की चर्चा करने लगी तो सरकार ने जनता की भावनाओं को, जनता की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिये खास तौर से जनसंघ और उस के पश्चात् एस० एस०पी० ने इस आन्दोलन को चलाया। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि ३० तारीख को जब यहां हिन्दी सेना की तरफ से आंदोलन की घोषणा की गयी तो लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर महोदय ने या जिलाधीश ने यहां १४४ धारा लगा दी। श्रीमन्, ३ तारीख को श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी लखनऊ आते हैं और एक सभा करना चाहते हैं। अधिकारी सभा की आज्ञा नहीं देते और इस लिये नहीं देते कि उन के सामने यह हिन्दी सेना और विद्यार्थियों के आन्दोलन की घोषणायें और

धमकियां आ चुकी थीं। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम अटल बिहारी बाजपेयी को मीटिंग की आज्ञा देंगे तो उस के तीन परिणाम हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि विद्यार्थियों पर और हिन्दी सेना पर उनके भाषण का प्रभाव पड़े और आन्दोलन तीव्र हो जाय।

श्रीमन्, संविद के मंत्रिगणों के प्रेशर से डिप्टी कमिश्नर १४४ लगी होते हुए भी उनको आज्ञा दे देते हैं। मीटिंग होती है और उसमें भी अटल बिहारी बाजपेयी जी का जो भाषण हुआ उसका यह प्रभाव पड़ा कि आन्दोलन तीव्र होना चाहिए और जब वह यहां से लौट कर जायेंगे तो संसद में भी ज्यादा उग्र कार्य करेंगे और भाषा विधेयक में कोई आश्चर्यजनक चीज लायेंगे। उसके पश्चात् आन्दोलन शुरू हुआ। पोस्ट आफिस जलने लगे, रेलगाड़ियों के डिब्बे जलने लगे। उसके बाद लोग साइनबोर्ड तोड़ने लगे, कार्स की नम्बर प्लेटों को पोता जाने लगा और १ तारीख से ९ तारीख तक जोरों से यह चलता रहा। ४ तारीख को कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी थे। एक प्रस्ताव आता है और उसमें कहा जाता है कि १४४ धारा वापस होनी चाहिए। यही नहीं, मुख्य मंत्री जी पर प्रेशर डाला जाता है कि वह धारा १४४ हटवा दें वह एक स्टेटमेंट दें और भाषा विधेयक जो प्रस्तुत होने वाला है उसको कंडेम करें। ४ तारीख को मीटिंग होती है। ४ या ५ तारीख को सुबह डिप्टी कमिश्नर के पास टेलीफोन जाता है और १४४ विद्ड्रा कर ली जाती है। उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री जी का एक प्रेस स्टेटमेंट निकलता है जिसमें भाषा विधेयक को कंडेम्न किया जाता है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने १४४ को वापस करने का तीव्र विरोध उसका किया होगा लेकिन एस० बी० डी० की कैबिनेट के बन्धन में "ही है ज बिकम ए प्रिजनर" वे कैदी हो गये हैं। आज उसक सबूत सदन में मिला कि जब माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मुख्य मंत्री जी की इस विषय में क्या राय है जोकि २ मंत्रियों ने १४४ धारा तोड़ी, तो वह बड़े ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं, वह अवश्य कहते खड़े होकर कि गलत किया, लेकिन उनको कहना पड़ा कि मैं बीमार हूं, भाषण नहीं दे सकूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से छीटाकशी व्यक्तिगत न हो।

श्री नेकराम शर्मा—

१ तारीख से ९ तारीख तक आन्दोलन होता है जोरों से। पुलिस सोचती है कि जब संविद के मंत्रिगण ही उस आन्दोलन को चला रहे हैं तो उनकी हिम्मत हस्तक्षेप करने की नहीं पड़ी है। पुलिस के सामने दूकानें लुट रही हैं या किसी का साइन बोर्ड उतारा जा रहा है या पोस्ट-आफिस जलाये जाते हैं और वह पुलिस खड़ी देखती रहती है। इसका क्या कारण है? एक सीनियर पुलिस आफिसर ने नैशनल हैराल्ड के रिपोर्टर से कहा कि हमें हिदायत या आदेश यह है कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते। अगर यह गलत है तो १० तारीख का रोमर ने नैशनल हराल्ड म लिखा है मुख्य मंत्री जी को कांट्रेडिक्शन कर देना चाहिए था। यह नहीं हुआ। इसके माने यह हैं कि यह सही है। ९ तारीख को प्रेस कान्फरेंस होती है मुख्य मंत्री जी के सामने तो, जैसा नैशनल हेराल्ड में छपा है, तो उसमें उन्होंने जो कुछ कहा उसपर नेशनल हेराल्ड में छपा—

"He has got full sympathy for and appreciation of the sentiments and fully supports basic objectives of the demonstrators."

माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण सहानुभूति है और प्रदर्शनकारियों के जो बेसिक आब्जेक्टिव्स हैं उनको वे सपोर्ट करते हैं।

मुख्य मंत्री जी का इस तरह से प्रेस स्टेटमेंट आ जाय और संविद के नेतागण और माननीय मंत्री इस आन्दोलन को चलायें तो निश्चय हो जाता है कि सरकार की इसमें आन्दोलन चलाने के लिये सम्मति है उस सरकार की सहानभूति है और सरकार ऐसा चाहती है।

[श्री नेकराम शर्मा]

तो आन्दोलन का उग्ररूप धारण कर जाना स्वाभाविक है और आन्दोलन बढ़ गया और करोड़ों रुपये की लगभग सम्पत्ति नष्ट हुई, पुलिस ने भी अत्याचार किया, पुलिस भी पिटी, उसको पीटा भी गया और एक प्रेस रिपोर्टर ने जब माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा कि कितना लास हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जो सूचना है श्रीमन्, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि करीब एक करोड़ का नुकसान हुआ है, अगर यह गलत हो तो माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें तो सही फीगर्स बतायें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह एक करोड़ के नुकसान की सूचना आपको किस आधार पर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका प्रश्न क्या है, शिकायत क्या है? क्या यह शिकायत है कि पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया गया या यह शिकायत है कि पुलिस अधिक इस्तेमाल किया गया क्योंकि पहले आपने कहा कि इतना पुलिस का इस्तेमाल किया, फिर कहा पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ९ दिसम्बर का अपना स्टेटमेंट देखें तो उस से उनको पता चल जायेगा। उन्होंने जो कहा है उसके बारे में नेशनल हेराल्ड में लिखा है "हि हैज नाव गिवेन इंस्ट्रक्शन्स टु दि पुलिस एन्ड दि डिस्ट्रिक्ट अथारिटी टु टेक स्ट्रिक्ट एक्शन"। यानी यह ९ तारीख को उन्होंने कहा है, इसमें शब्द "नाव" पर आप ध्यान दीजिये। ९ तारीख तक वे चुप रहे और आन्दोलनकारी मनमानी करते रहे।

श्री अध्यक्ष—

उसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

उन्होंने अब पुलिस तथा जिला अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये हैं। इसके अलावा श्रीमन्, दिल्ली के पेपर्स ने तो यहां तक लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई प्रदर्शनकारी कोई प्रापरटी आदि को लूटता है तो वह काग्नी-जेबिल आफेन्स है ही नहीं। अब जब प्रदर्शनकारियों को यह विचार पढ़ने को मिले, लोग इसे पढ़ेंगे तो वे लूटपाट खुलकर नहीं करेंगे? अगर प्रदर्शनकारियों को यह पता चल जाये कि संविद के मंत्री लोग ही इस आन्दोलन को चला रहे हैं, तो श्रीमन्, उसका क्या असर होगा?

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रस्ताव के पार्टनर्स बहुत से हैं, आप समय का ध्यान रखें। वैसे जो १० मिनट लेट से जो कार्यवाही शुरू हुई है वह समय मैं दे दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह संविद सरकार के मंत्रियों का रोल क्या है। एक तरफ वे शासन भी करेंगे दूसरी तरफ वे आन्दोलन भी करायेंगे। धारा १४४ को तोड़ेंगे। कल माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार तो संविधान की हत्या करने जा रही थी, हमने उसे बचा लिया। श्रीमन्, मैं केन्द्रीय सरकार का कृतज्ञ हूं और उसको धन्यवाद देता हूं कि उसने देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिये यह कदम उठाया। (व्यवधान) जनसंघ के मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बटवारा किया, (व्यवधान) मैं कहता हूं देश . . . (व्यवधान) को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिये जो भी कदम उठाये हैं उसके लिये केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। वर्तमान मंत्रीगण के कार्य देश के विघटन, केन्द्र व प्रदेश में झगड़े कराने के लिये हैं। अतः मंत्रियों

के इस प्रकार के कार्यों की निन्दा होनी ही चाहिये, यदि यह सही है। अतः मैं वर्तमान मंत्रि-परिषद् को सारे आन्दोलन को बदल देने के लिये उत्तरदायी ठहराता हूं। । भदौरिया जी ने कहा था कि उनकी पार्टी के वर्कर्स मदरास में सत्याग्रह करने के लिये जावेंगे। तो वहां भी रावण सेना तैयार हो रही है जो हिन्दी सेना को जवाब देगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यहां से अंग्रेजी हटाओ सेना जायगी और उसे हटवायेगी, हिन्दी लादने नहीं जायेगी। वहां टैमिल, तिलगू चले।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय उग्रसेन जी जावें और वहां राजी से हिन्दी चलवायें, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या यह सही नहीं है कि माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने संविधान की कसम नहीं तोड़ी है और उसकी हत्या नहीं की है? आप संविधान का शेड्यूल ३ देखें। मेरे पास हिन्दी का संविधान नहीं है। कृपा कर आप आज्ञा दें अंग्रेजी से पढ़ने की .....

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

जो किताबें अंग्रेजी में हों उनकी जगह हिन्दी में भी हों तो हिन्दी की किताब से ही उद्धरण होना चाहिये। अंग्रेजी से उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक संविधान का संबंध है, उसमें चन्द्रबली जी ने जो कहा वह ठीक है।

श्री उग्रसेन--

जो मे साहेब ने वह किताब लिखी है संसदीय परम्पराओं की, उसका हिन्दी में अनुवाद कराके हम लोगों को बंटवा दें। आपका सचिवालय उसका अनुवाद करावे।

श्री अध्यक्ष--

आप अनुवाद करा दीजिये, मैं शासन को किसी न किसी तरह राजी कर लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, ये मेरे पास इसी सरकार के जमाने के निकाले हुये एक अंग्रेजी का आर्डिनेंस है और एक विधेयक है। यह विधेयक है पब्लिक मैन इंक्वायरी वाला।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा निश्चय लिया जा चुका है कुछ दिन पहले, कि उसके बाद कोई चीज अंग्रेजी में नहीं छपेगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं उनको उत्तर दे रहा हूं जो यह कहते हैं कि यह सरकार हिन्दी की बड़ी प्रेमी है। इसके जमाने में ही एक आर्डिनेंस और एक अध्यादेश अंग्रेजी में छपे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मेरे स्पष्ट आदेश हैं कि माननीय सदस्यों में वितरण के लिये कोई विधेयक या उपनियम अंग्रेजी में नहीं छपेगा। न छपता है न वितरित होता है। अगर आप कहीं से ऐसी कापी ले आये हों जो कहीं को भेजने के लिये ट्रांसलेशन हो, तो मैं नहीं जानता।

श्री नेकराम शर्मा—

एस० वी० डी० के मंत्रिगण जो हिन्दी का अपने को इतना प्रेमी कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उनके समय में भी .....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

शर्मा जी बार-बार यह कह रहे हैं कि एस० वी० डी० के लोग हिन्दी का प्रचार करने जा रहे हैं। वे अंग्रेजी का खात्मा करने जा रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

जब उन्होंने मंत्रि-पद की शपथ ली थी तो यह भी शपथ ली थी कि हम देश की अखंडता को छिन्न-भिन्न नहीं होने देंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि जब धारा १४४ तोड़ने के लिये गये तो वह देश की अखंडता के लिये गये या विखंडता के लिये। क्या मंत्री का यह कर्तव्य है कि १४४ तोड़े? क्या यह उचित है कि जो कानून के प्रोटेक्टर हैं वही उसके तोड़ने वाले हो जावें? उन्होंने कसम को भंग किया है जो उन्होंने ली थी कि देश की अखंडता की रक्षा करेंगे।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की संविद की सरकार ने तय किया था कि कहीं गोली नहीं चलेगी लेकिन बनारस में गोली चली। पोस्ट आफिस जलाये गये, रेल की बोगी जलायी गई। कितना नुकसान हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बयान में बतलावेंगे। अगर उन्होंने यह तय किया है कि अपनी असफलता को छिपाने के लिये जनता का ध्यान इधर लगाये रखें, तो उन्हें मुबारक हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने कामरोको प्रस्ताव दिये हैं मैं उनको अवसर दूंगा। आने वाले वक्ताओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया ५ मिनट से अधिक न लें।

श्री उग्रसेन—

आपने कहा था कि हमको भी बोलने का अधिकार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवश्य मिलेगा।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

आज भी कामरोको छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष—

उसे आप इस में क्यों मिला रहे हैं।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो कल का प्रस्ताव नेता विरोधी दल का था उसमें भी लगभग वैसे ही विचार थे। इसलिये जो लोग उसमें बोल चुके हैं उनको अवसर न दे कर नये लोगों को अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, मैं देखूंगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

दो दिन से लगातार बहस हो रही है और उसमें नीति संबंधी प्रश्न निहित हैं। हम सब लोग विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। उन पर विभिन्न पार्टियों की नीति रखने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि बोलने के लिये आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि या तो निगाह उधर ही ज्यादा जाती है.....

श्री अध्यक्ष—

अब इस समय, समय बहुत कम है। मेरे सामने केवल दो पार्टियां हैं, एक शासक पार्टी और दूसरी विरोधी दल। फिर भी, मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक आपको संतोष हो। लेकिन कामरोको प्रस्ताव में पहले उन लोगों को अवसर दूंगा जिनके कामरोको प्रस्ताव हैं।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे समय देने की कृपा की।

मैं यह विश्वास करता हूं कि सचमुच आज समय आगया है जब कुछ प्रश्नों पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। उनमें से एक तो प्रश्न इस प्रदेश की शासन व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था और प्रदेश में नियम और विधि का पालन और अनुशासन से संबंधी प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न सूचक चिह्न के रूप में प्रदेश की जनता के सामने उपस्थित हैं।... सौभाग्य से आज मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं और उनके सामने चन्द सवाल रख रहा हूं और चाहूंगा कि वे ही उनका उत्तर दें। जरा विचार करें १९६७ के चुनावों के बाद हम लोग कहां आ गये हैं। आप मुझे क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि जिस प्रकार का वातावरण इस सदन में व्याप्त है, क्या ऐसा वातावरण कभी इस सदन में इस से पूर्व रहा था क्या माननीय मुख्य मंत्री स्वयं एक व्यक्ति के नाते यह निर्णय नहीं दे सकेंगे कि आज जैसा शान्ति व्यवस्था का विरोधी वातावरण है, वैसा वातावरण कभी पहले था? मैं इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि भाषा संबंधी विवाद आज किस स्थिति में आ गया है।.....

श्री अध्यक्ष—

आपस में बातचीत बहुत हो रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर, इधर-उधर दोनों ओर के माननीय सदस्य सदन में बैठकर बातचीत न करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह कह रहा था कि यह भाषा संबंधी विवाद हमें कहां ले आया है। यह कोई अलग घटना नहीं है। भाषा संबंधी विवाद एक निमित्त है लेकिन मूलतः हमें जिस चीज को देखना है वह यह है कि हमारी शान्ति और व्यवस्था कहां पहुंच गयी है। उस पर कुठाराघात करने वाली जो बातें हैं उनकी ओर मैं इंगित करना चाहता हूं। मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कितना नुकसान हुआ, नुकसान कितने प्रकार का हुआ। लेकिन इस नुकसान में सार्वजनिक संपत्ति जलाई गयी, रेल के डिब्बे फूंके गये, स्टेशन जलाये गये, मोटरें और बसें जलायी गयीं, साइन बोर्ड्स उतारे गये, दूकानें लूटी गयीं। आखिर यह सब किस लिये? क्या इन परिस्थितियों में यहां के शासक वर्ग ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। मैं एक घटना की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे निश्चित सूचना है कि गोरखपुर में सरसैयाघाट में रेल के डिब्बों को जलाया गया और बाद में वहां के प्रिंसिपल और विद्यार्थियों की मिलकर एक कमेटी हुई जिसमें इस सदन के एक बहुत ही जिम्मेदार सदस्य जिनका संबंध सरकार से भी है, वह उसमें उपस्थित थे और उसमें रेल के डिब्बे जलाने वाले को साधुवाद

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

दिया गया । एक ओर १४४ दफा लगी हुई थी और दूसरी ओर उप मुख्य मंत्री जी की पत्नी सत्याग्रह करने की धमकी दे रही थीं, दूसरी ओर राजनारायण सिंह जी धमकी दे रहे थे और यहां के मंत्री १४४ को तोड़ने के लिये दिल्ली जा रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

उपमुख्य मंत्री जी की पत्नी की बात आप किस आधार पर कर रहे हैं । उनका तो खंडन हो चुका है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

कदाचित उन्होंने अपनी पत्नी से बिना पूछे हुये ही खंडन कर दिया हो मैं कह रहा था कि.....

श्री चरण सिंह--

जैसा कि पंजाब में हुआ कि वहां के एक बहुत बड़े मंत्री की धर्मपत्नी बरसों तक गवर्नमेंट से वेतन लेती रहीं और बाद में मालूम हुआ कि यह जरूरी नहीं था कि यह बात पति को मालूम होती ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

वह सब माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है । मैं यह अर्ज कर रहा था कि आखिर यह चीज हमें कहां ले जायेगी । मैं मुख्य मंत्री जी से प्रश्न करूंगा कि वह बतायें कि जिन लोगों ने उस सम्पत्ति को जलाने में हिस्सा लिया तो क्या उनकी जानकारी में यह बात नहीं थी कि १४४ नहीं है और क्या १४४ के न होते हुये उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि सम्पत्ति को जलाना कोई कागनिजेबिल आफेन्स नहीं है । अन्त में मैं केवल इतना कहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन से निवेदन करूंगा कि कृपा करके यह विचार कर लें कि यदि जनतंत्र को इस तरह से हमने समाप्त किया तो जनतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और उसके लिये हम और उधर के सभी लोग सम्मिलित रूप से जिम्मेदार होंगे और इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा ।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी चाहता था ।

श्री अध्यक्ष--

जानकारी करने का समय ११ और १२ बजे के बीच होता है ।

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले मैं आचार्य जी को .....

श्री अध्यक्ष--

मैं आरम्भ में ही आपका ध्यान दिला दूं कि आप अपनी बात बिना भूमिका के आरंभ कर दें क्योंकि केवल ५-७ मिनट ही हैं ।

श्री उग्रसेन--

तो मैं मथुरा के आचार्य जी को बतलाना चाहता हूं कि इस से जनतंत्र को कोई खतरा नहीं है, मथुरा में निश्चिन्त बैठें और चैन से रहें । दूसरी बात उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार ने दफा १४४ बनाई थी और उसको नियमित किया था तो वह धारा ही अनियमित और असंवैधानिक थी । आप मुलाहिजा फरमायें : संविधान की यह धारा १३(२) है जिसमें लिखा है कि "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक

शून्य होगी।" लेकिन इस धारा को बनाया गया। इसके अलावा धारा १९ में भी लिखा है कि "सब नागरिकों को वाक्स्वातंत्र्य और अभिव्यक्तिव्य स्वातंत्र्य, शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा। "यह धारा ही इन धाराओं के खिलाफ है और अगर मंत्री जी द्वारा इस तरह की धारा तोड़ी गयी तो इसमें कौनसी गलत बात हो गई? मैं इस सरकार से कहूंगा कि वह इसको हटाने की सोचे और केन्द्रीय सरकार से मांग करे कि वह इस दफा को ही उड़ा दे। आप यह सवाल कर सकते हैं कि गैर कांग्रेसी सरकार रहते और संविद के महा-मंत्री रहते इस गैर कांग्रेसी सरकार ने दफा १४४ क्यों लगाई।

दूसरे मुझे बहुत तकलीफ है, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं आचार्य जी जो शायद कभी झांसी, हमीरपुर, बांदा से नीचे दक्खिन की तरफ कभी नहीं गये, वह दक्खिन की बात तो उठाते हैं लेकिन उन्होंने बम्बई, तामिलनाद, आन्ध्र देखा नहीं। मैं पारसाल मुंबई गया था, गुजराती में मुंबई कहते हैं। वहां पर श्री च्वहाण जी शिवाजी जयंती में बुलाये गये थे। उन्होंने शिवा जी के संबंध में उस सभा में बोलते हुये कहा था वह मुझे याद है। मुझसे भी कुछ मराठी दोस्तों ने बोलने के लिये कहा, मैंने कहा था कि मैं तो मराठी नहीं जानता जो टूटी फूटी बोल सकता हूं वह बोल लूंगा। तो च्वहाण जी ने कहा था कि –आमंचि शिवाजी महाराज ची प्रतिमूर्ति आहे। मैंने भी वहां सभा में कहा था कि यहां च्वहाण काय बद्दल शिवाजी महाराज प्रतिमूर्ति। यहां शासन मद्दे लद्दाख गेले कैलाश के गेले मानसरोवर गेले। तो ये दक्षिण गये नहीं। मैं रवि बाबू के साहित्य से बड़ा प्रभावित हूं। यद्यपि मुझे बंगला नहीं आती लेकिन मैं उससे प्रेम रखता हूं। जब तामिलनाड में हिन्दी का विरोध हुआ तो श्री सुब्रामनियम ने इस्तीफा दे दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जब यहां पर भाषा विधेयक का विरोध हुआ तो इंदिरा जी ने क्यों अपना त्यागपत्र नहीं दिया। कांग्रेस में अकेले सेठ गोविन्द दास जी हैं जिनकी भावनाओं को मैं जानता हूं। आप पंडित जवाहर लाल जी की भावनाओं को जानते हैं। सेठ गोविन्ददास जी ने कहा:

"जदि तोमार डाक शूने केउ ना आशे
तबु तुई एकला चलो, एकला चलो रे"।

सेठ गोविन्द दास साहब ने अपने को अकेला महसूस किया। हमारे लोहिया जी भी इसी विचार के थे। हम नहीं चाहते कि तामिलनाड की राज भाषा तामिलनाड न हो। हम चाहते हैं कि केरल की भाषा कन्नड हो। बंगाल की राज भाषा बंगला हो। गुजरात की राज भाषा गुजराती हो। हमारे देश में प्रभाकर माचवे और बाबू राव विष्णु ने हिन्दी की जितनी सेवा की है वह अकथनीय है, हमारी लड़ाई आज किसी प्रदेश की भाषा से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वह अंग्रेजी भाषा से है। हमारी लड़ाई अंग्रेजी के लेखकों शेक्सपियर आदि से नहीं है। हमारी लड़ाई तामिलनाड से नहीं है। लेकिन हमारे भाइयों को तकलीफ है दक्षिण के लोगों के लिये। १९४२ में जब थाने फूंक दिये गये, और जब जवाहर लाल जी जेल से छूटे तो उन्होंने निकलते ही यह कहा कि १९४२ हमारा था। यह सुनते ही हम चौंक गये।

जहां तक बोर्डों का प्रश्न है हमने कहा कि या तो इन्हें बदल दो अन्यथा हम कालिख से पोत देंगे लेकिन इस से हमने कोई हिंसा का मार्ग तो नहीं अपनाया। हमारे मंत्रीगण जो दिल्ली गये, उन्होंने भी वहां पर जाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। सहारनपुर में ११७ आदमी पकड़े गये, देवरिया में छात्र संघ के अध्यक्ष पकड़े गये हैं। यहां पर भी छात्र संघ के अध्यक्ष पकड़े गये हैं। हमारी कमेटी इन मामलों में छानबीन करेगी और उसके उपरान्त पुलिस के जो अधिकारी दोषी होंगे, उनके बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। हमने भी पुलिस के अधिकारियों की मार खायी है। कमेटी की रिपोर्ट में जो बात जायज होगी उसे यह सरकार मानेगी आप लोग हिन्दी की बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। मैं दक्षिण के सभी प्रान्तों में गया

[श्री उग्रसेन]

हूं और जानता हूं कि दक्षिण के लोग बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं। वहां पर हिन्दी के प्रचार का काम बहुत अधिक हो रहा है। आपको तो शर्म से गोमती में डूब कर मर जाना चाहिये कि आपने राष्ट्र भाषा के लिये कुछ नहीं किया है और आप केवल दिखावे के आंसू बहा रहे हैं।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव था उस बहस को भी हमने दिन भर सुना और यह जो काम रोको प्रस्ताव है यह भी हमारे सामने आज पेश है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उसकी मुख्य भावना थी उससे अलग जा करके जो खास उसका लक्ष्य था उसको भूल करके बिल्कुल दायें बायें की बातें की गयीं। उस प्रस्ताव के बाद नेता विरोधी दल ने मांग की कि मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य इस पर दें तब सरकार की नीति उस पर स्पष्ट होगी। लेकिन जैसा देखा गया है कि शहनाई का अच्छा बजाने वाला जो होता है वह अपने साथ एक भोंपू रखता है जब वह आरम्भ करना चाहता है तो वह बराबर भोंपू बजा करता है। तो उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि एक चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के उन्होंने अपनी शहनायी तो बजायी नहीं और भोंपू इस सदन में बज गया।

उसी तरह से यह जो काम रोको प्रस्ताव है उस पर भी हिन्दी हो कि न हो, हिन्दी राष्ट्र भाषा है, दक्षिण के लोग नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजी रहे, उत्तर के लोगों का क्या धर्म और कर्त्तव्य है यह माननीय उग्रसेन जी ने बताया। प्रश्न आज सामने यह है कि इस प्रदेश में हिन्दी आन्दोलन के संबंध में जितनी राष्ट्रीय संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति की हानि हुई है उसके लिए इस सदन को रोका जाय। सरकार ने यह क्षमता नहीं दिखाई कि उस सम्पत्ति को बचा सके। यह सच है कि सरकार के चलाने वाले काफी लोग जो यह चाहते थे कि इस प्रकार की घटनायें घटें और सरकार में वह कायम भी रहें। आज भी उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इस सदन में चर्चा हुई कि मंत्रीगण जो दिल्ली गये थे वह इस्तीफा देकर जाते तो अच्छा था। मैं इस को इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब मंत्री ही कोई आन्दोलन कर रहा है तो उसकी प्रेरणा से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संपत्तियों को क्षति हुई। यदि वह इस्तीफा दे दिये होते, लेकिन मुझे जान पड़ता है अध्यक्ष महोदय, कि डर यह था कि कहीं दो दिन के लिए अगर इस्तीफा दे दिया तो उसी पार्टी का कोई खिसक कर उस पर न बैठ जाय, तो इसी लिए इसी डर के मारे नहीं इस्तीफा दिया। वरना यदि वह इस्तीफा दे कर जाते और चाहे लौट करके फिर भी मंत्री हो जाते तो इस बीच में जो डर था इसी कारण से नहीं दिये, और अगर दे कर जाते तो हिन्दी जगत में उनका और मान और सम्मान होता।

आज जो अपार संपत्ति की हानि हुई है उसके रोकने में सरकार असमर्थ हुई है उसका एक कारण यह था कि संविद चलाने वाले जो लोग थे एक तरफ कानून लगाते थे, एक तरफ तो मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश जाता था और दूसरी तरफ जो नये-नये जिलाधीश आज जिलों में बन गये हैं, जिनके आदेश पर जिला मैजिस्ट्रेट रह सकता है, चल सकता है, ठहर सकता है, बदल सकता है, मुअत्तल हो सकता है, या मुअत्तल न हो तो धमकी दी जा सकती है, वह उन आन्दोलनों को चला रहे थे। मने बहुत जगह पर देखा अधिकारियों को कि जब लोग तोड़ रहे थे और पूछे जाने पर यह होता था कि कैसे हम बचा सकेंगे, बचाना तो चाहते हैं, हम तो संपत्ति को बचा लें लेकिन हम को कौन बचायेगा। जब यही सरकार को चलाने वाले लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं इस प्रकार से काम किया जाय, आज यह पेंचीदा सवाल अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मुख है और इसकी सारी जिम्मेदारी इस सदन की है और इस सरकार को चलाने वाले संयुक्त विधायक दल की है। यह क्या तरीका है। अगर वह हिन्दी के इतने प्रेमी थे तो सरकार को छोड़ देते कि अब हम नहीं चला पायेंगे, हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन को नहीं रोकेंगे। ऐसी घटनायें हुयी हैं, ऐसी घटनायें पिछले दिनों में हुई हैं जब सरकारें चलायी जाती थीं और उससे मतभेद हुआ और छोड़ा गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जमाने की बात आपको याद होगी। कांग्रेस सरकारों ने सारे भारतवर्ष में व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया। सिम्बल के तौर पर अपने आदमियों को केवल गिरफ्तार कराना था युद्ध का विरोध करने हेतु लेकिन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और आन्दोलन जारी रहा। लेकिन जो नीति इस सरकार ने अपनाई है इससे कोई भी आन्दोलन नहीं चल पायेगा क्योंकि यह कोई मामूली घटना नहीं है। जहां तक यह कामरोको प्रस्ताव है मुझे यह निवेदन करना है कि प्रजातंत्र में केवल बहुमत के आधार पर ही सरकार चलती है लेकिन १०, १२ का ऐसा बहुमत नहीं होता है जिसको बहुमत कहा जाय। इस प्रकार आधे सदन की भावनाओं को न समझा जाय यह उचित नहीं होगा। जो कुछ निर्णय हो वह मेरी राय है कि सारे सदन के समझौते से हो। तो इसमें बड़ी भूल की गयी है जो एक नीति को स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री अख्तर अली खां (जिला रामपुर)--

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ५ बज कर २० मिनट पर रोजे का वक्त हो जाता है। मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से इस बात को चाहूंगा कि इस समय वोटिंग न करायें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बातचीत करके निर्णय कर लें और जो आपका निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर मंत्रियों द्वारा १४४ तोड़ने के विषय में और यहां राष्ट्रीय संपत्ति एवं जन संपत्ति की क्षति की बड़ी चर्चा की गयी और इस संबंध में उग्ररूप तब और अधिक हुआ जब लोक सभा में भाषा विधेयक पर पेम्फलेट फेंकने का जिक्र आया। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि यह संसदीय परम्परा के मुताबिक नीतियां नहीं हैं। लेकिन मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे भी यह महसूस करें कि जन संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति पर कामरोको प्रस्ताव का एक रूप यह था जिसमें यह कहा गया कि प्रदेशीय सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर सकी वहां दूसरी ओर कामरोको प्रस्ताव का यह रूप भी था कि प्रदेशीय सरकार ने निरंकुशता और बरबरता बरती। लाठी चार्ज किया और गोली चलाई और लोगों की जानें गईं। भाषा विधेयक का विरोध करने के लिए मंत्री लोग केंद्र तक गये। होना तो यह चाहिए था कि यह विधान सभा उन मंत्रियों का अभिनन्दन करती, उनका स्वागत करती लेकिन हुआ यह कि निन्दा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। सदन के लोग ही इस पर विचार करें। मुझे यह कहना है कि एक ओर कहा जाता है कि लाखों की क्षति हो गयी, जानें चली गयीं और यह सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकी। दूसरी ओर कहा जाता है कि सरकार ने बर्बरता बरती, लाठी चलाई और गोली चलाई। अगर एक मां का बेटा मारा जाता है गोली द्वारा तो वह दुबारा जिन्दा नहीं हो सकता और अगर माली नुकसान हो जाता है तो उसे पूरा किया जा सकता है। गोली चलने से जो मां का बेटा मरा उस संबंध में कामरोको प्रस्ताव नहीं आया।

कहा गया कि धारा १४४ तोड़ी गयी तो संविधान का उल्लंघन हुआ। माननीय त्रिपाठी जी ने निश्चित रूप से स्वीकार किया कि अब तक बराबर पिछली सरकार संविधान का उल्लंघन करती रही, मैं कहूंगा कि संविधान की हत्या पिछली सरकार ने की। देश के

[श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']--

टुकड़े हुए तो क्या संविधान की हत्या नहीं हुई ? बेरूबारी का समझौता क्या संविधा की हत्या नहीं थी ? नेफा और लद्दाख में जो हुआ क्या उससे संविधान की हत्या नहीं हुई इसके लिए प्रस्ताव आता तो अच्छा होता। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी उसमें सभी कुछ आ गया। मैं आज भी कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री से उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जानें गयी हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं और केवल इसलिए कि अंग्रेजी हटा दी जाय। मैं लम्बा व्याख्या नहीं देना चाहता कि अंग्रेजी क्यों जानी चाहिए, वह तो तमाम सदस्यों ने बताया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज प्रदेश और देश की जो परिस्थिति है उसमें जब कभी-कभी इस तरह के सवाल उठते हैं तो कहते हैं कि संसदीय पद्धति क्या है, कभी-कभी भारत बनाने की बात कही जाती है, कभी-कभी गांधीजी के चरणों में बैठकर शिक्षा पाने की बात कही जाती है। गांधी जी ने यह भी तो कहा था कि अगर मैं तानाशाह होता तो एक कलम से हिन्दी ला देता और अंग्रेजी को खत्म कर देता। लेकिन अंग्रेज दादा चले गये, उसके बाद चाचा आये, चाचा गये तो रानी भी नहीं दासी को यहां बिठाया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं गुप्ताजी को भी कि कम से कम यह तो सोचें कि जो सामाजिक जीवन है, जो राजनैतिक जीवन है, क्या आप समझते हैं कि फैक्ट्री के कोने में होता हुआ मजदूर यह नहीं समझता है कि अंग्रेजी से उसका शोषण होता है खेतों में काम करने वाला किसान यह नहीं सोचता कि अंग्रेजी से उसका शोषण होता है, क्या कोई ऐसी कर्मचारी जो अंग्रेजी नहीं जानता उसको अंग्रेजी में कोई बात बता दी जाती है उसका शोषण नहीं होता ? जिस तरह से कमाल पाशा ने टर्की में किया था अगर एक कलम से यह कर दिया जाता है कि अंग्रेजी को हटा दिया जाय जैसा कि सन् ४२ में हुआ था तो कौन-सी बेजा बात होगी। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि उस क्षति की ओर दृष्टिपात न करिए बल्कि सबको निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करना चाहिए।

जहां तक जनतंत्र की मान्यताओं का सवाल है, मैं कहता हूं कि जनतंत्र की निश्चित रूप से हत्या वहां होती है जहां ९८ प्रतिशत लोगों की बात को न समझते हुए केवल २ प्रतिशत लोगों की बात को माना जाता है। मैं फिर भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हिन्दी का विरोध करते हुए आप प्रदेश के कोने-कोने में जायें निश्चित रूप से बगावत की आशंका और मैं इस बात के लिए सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि चाहे सदन की मर्यादायें रहें या न रहें लेकिन अगर प्रदेश के कोने-कोने में गोलियां चलती हैं तो सदन की कार्यवाही भी सुचारु रूप से चल नहीं पायेगी। भावनात्मक एकता की बात वहां होती है जहां जनता के आधार पर लोग कुछ किया करते हैं। एक बात यह भी कह दूं कि माननीय त्रिपाठी जी अगर यह प्रस्ताव लाये होते तो मैं उसका समर्थन भी करता। गुप्ताजी ने तीन तीन बार स्टेटमेंट दिया अंग्रेजी में और हिन्दी के विरोध में और आज कामरोको प्रस्ताव आ जाता है नेकराम जी शर्मा की तरफ से कि ट्रेन रोक दी गयी, बड़ा नुकसान हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

केवल एक मिनट का समय और दे दीजिए और वह भी इसलिए कि तीन दिन से लगातार कामरोको प्रस्ताव आ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो वैसे ही दस मिनट का पांच मिनट में बोल गये। खैर, बोलिये आप।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो सदन में प्रस्ताव आया है और जितने नुमायन्दे इस भावना का समर्थन करने वाले आये हैं और इन भावनाओं का समर्थन न करने वाले आये हैं उनको इसके

बारे में फैसला करना चाहिए था। यह केंद्र का सवाल नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय भाषा का सवाल है। कोई भी हिन्दी विरोधी नहीं हो सकता, जहां जनतंत्र की भावनायें टूट रही हैं और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिये सदन को दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर निश्चय करना चाहिए था। मैं मुख्य मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि तमाम प्रदेश के लोगों को छोड़ दिया जाय और जो जुलाई में फैसले किये थे उनका सच्चाई के साथ पालन किया जाय। जो छात्रों ने आन्दोलन किया है उनका इस तरह से दमन नहीं किया जाना चाहिए। आज भी छात्र गिरफ्तार हो रहे हैं और रोज होते हैं। उनको निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि सदन में कल जो प्रस्ताव आया था उस पर बहस करते हुये और आज भी हम समझते हैं कि सदन के प्रत्येक सदस्य ने जो अपने विचार सदन में रखे हैं, उन्होंने माना है कि भाषा का सवाल राष्ट्रीय सवाल है और इस पर अगर कोई बात होती है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे देश में जब एक-एक वर्ग अपने वर्ग स्वार्थों के लिए लड़ता और झगड़ता है उस समय नौजवान तबका राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए, राष्ट्रीय प्रश्न के लिए जो भाषा का प्रश्न है और जिस पर भाषण देते हुए माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि भाषा का सवाल, राष्ट्रीय एकता का सवाल ऐसे हैं जिन पर सबसे अधिक महत्व देना पड़ता है। अगर इस राष्ट्रीय सवाल पर नौजवान कुछ कार्य करता है तो मैं समझता हूं कि वह बधाई का पात्र है। अगर देश में ऐसे सवाल पर भी नौजवान नहीं जागते हैं तो यह उनका एक दुर्गुण है। इसलिए उनमें जागृति होना स्वाभाविक है और मैं उनको बधाई देता हूं।

यह कहा जाता है कि मंत्रियों ने धारा १४४ तोड़कर संविधान का उल्लंघन किया है। इस धारा के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त है कि यदि वह आवश्यक समझे तो संविधान में दिये हुए मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैजिस्ट्रेट १४४ धारा का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। शांति का खतरा न भी हो तो भी इसको लगा सकता है। यह तो उसको निषेधात्मक अधिकार दिया गया है। मैजिस्ट्रेट की आज्ञा का उल्लंघन क्या संविधान का उल्लंघन हो गया? संविधान ने राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया है और उन्होंने आदेश दिया था कि परसों बजट पेश होगा तो उसकी अनुमति का उल्लंघन करने वाले और यह कहने वाले कि सदन को नहीं चलने देंगे क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? सवाल यह नहीं है बल्कि सवाल यह है कि अगर अपने देश से १५ साल में अंग्रेजी समाप्त हो गयी होती तो यह आन्दोलन न करना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आप भूल गये कि मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा विवाद में वहां के नौजवान आन्दोलन में थे। वह नौजवानों का आन्दोलन नहीं था, वह आन्दोलन उन बुजुर्गों ने किया था जो शांति-व्यवस्था का उपदेश देते हैं। वहां कौन सी चीज नहीं हुई, जो आज यहां सदन में उपदेश देते हैं अगर हमारा कोई बच्चा घर में लालटेन तोड़ देता है तो उसकी सजा क्या दी जायगी? घर में लालटेन की जो हैसियत होती है वही हैसियत राष्ट्र के जीवन में किसी रेल के डिब्बे की है। अगर कोई बच्चा प्रदर्शन करता है तो एक उसका तरीका होता है। बच्चा गलत ढंग से करेगा तो बच्चे का पिता उसको सही ढंग से क्यों नहीं करता? बड़ों ने सही ढंग से अंग्रेजी को नहीं हटाया इसलिए बच्चों को आगे आना पड़ा, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। मुझको इससे शिकायत नहीं है। मुझको शिकायत इससे है--देश में जब आन्दोलन होता है तो जो बदमाश लोग होते हैं उनको कुछ मौका मिल जाता है।

[श्री अश्वनी कुमार]

सहजनवा में ट्रेन का डिब्बा जला दिया गया। उसे जलाने का काम किसी विद्यार्थी ने नहीं किया। जब डिब्बा जलाया गया तो एक फर्लांग की दूरी पर एक आदमी गिरफ्तार हुआ जो विद्यार्थी नहीं था। मैं चाहता हूं कि सरकार उसकी जांच करवाये। लेकिन एक दस वर्ष के विद्यार्थी को रात में जगा कर घर से पकड़ा गया। वह अंडरवियर और बंडी पहने हुए सोया था। ३६ घंटे तक उसको बन्द रखा गया। खाने-पीने को नहीं। मुझ को शिकायत इस चीज की है। यह बदमाशी उन अफसरों की है जिनकी आदतें आपने बीस वर्षों में बिगाड़ दी हैं। इसी तरह से गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर सिटी मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार होना चाहते हैं वह रुक जायं बाकी लोग चले जायं। जब छात्र नेता रुक गये तो उनको अपनी कस्टडी में लेकर बेरहमी से पीटा गया। वह पीटने वाला कौन है? वही अफसर है जिसकी आदतें आपने बीस वर्षों में खराब कर दी हैं। इसी तरह से बड़हलगंज में झोपड़ी जला दी गयी। झोपड़ी जलाने, ढेले फेंकने के सिलसिले में जिन विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हुयी उनकी जमानत के लिए एक आदमी आया। जब वह जमानत करके जा रहा था, तो इसलिए कि उसने जमानत क्यों की, बड़हलगंज के थाने में पीटा गया। इसकी शिकायत मुझे करनी है। इसकी जांच होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में भाषा विधेयक में जो आन्दोलन नौजवानों और विद्यार्थियों ने किया उनको बधाई देता हूं। जनतंत्र में यदि आन्दोलन नहीं होंगे तो जनतंत्र सो जायगा। समन्वय समिति ने फैसला किया है कि छात्रों को छोड़ दिया जाय। मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी छोड़ दिया जाय। दस वर्ष के बच्चे को शिनाख्त की कार्यवाही में डाल दिया गया है इसलिए उसकी जमानत नहीं हो सकती है। सोचने की बात है कि एक रेल के डिब्बे को कितने आदमी जलायेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी छात्र जेल में बन्द हैं उनको रिहा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर उन नौजवानों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस आन्दोलन को चलाया।

(इस समय ५ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री चन्द्रबली—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन के सिलसिले में जो कुछ नुकसान हुआ है इतने बड़े आन्दोलन को चलते देख कर वह नुकसान कुछ नहीं है। ऐसे आन्दोलनों में इस प्रकार के नुकसान होते हैं और होंगे। जब गन्दी नाली साफ की जाती है तो इसके पहले बदबू नहीं रहती है। मन में रहता है कि नाली गन्दी है और जब नाली की गन्दगी को साफ किया जाता है तो उससे करारी बदबू निकलती है और उसका जो नतीजा होता है। वह सब के सामने होता है। उसी तरह से अगर अंग्रेजीनुमा कूड़े को हटाने में कुछ ज्यादा बदबू निकलती है या कुछ टूट फूट की गयी तो उस टूट फूट की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिये। और उसके नाम पर जो आज छात्रों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं, जो उनको पीटा गया है, जैसा कि अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा—उनके भाषण से मैं अपने को जोड़ता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया में एक रेल का डिब्बा जलाया गया लेकिन जिस वक्त डिब्बा जलाया गया उस वक्त किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बाद में दूकानों और घरों से छात्रों को पकड़ कर लाया गया और उनको पीटा गया और फिर उनको जेलखाने में बन्द किया गया। बस्ती जिले के सेक्सरिया कालेज में जहां छात्र बैठे हुए थे, वहां जाकर पुलिस वालों ने पहले तो प्रिंसिपल को पीटा, फिर अध्यापकों को पीटा और फिर छात्रों को पीटा। उन पीटने वालों के खिलाफ बस्ती के जिलाधीश की सदारत में प्रस्ताव पास किया गया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से और इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिये न्यायिक जांच बैठावें।

बस्ती के सिलसिले में, देवरिया के सिलसिले में, गोरखपुर के सिलसिले में और वाराणसी के सिलसिले में न्यायिक जांच करावें। वाराणसी में तो जानें तक गयी हैं। इसके लिये समन्वय समिति द्वारा जांच कराने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। समन्वय समिति तो

केवल समन्वय का ही काम करेगी, उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। माननीय मुख्य मंत्री ने आज जो अहिंसा का बहाना लेकर बेचारे छात्रों को जेलखानों में डाल रखा है, अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन के सिलसिले में या कांग्रेस सरकार को हटाने के सिलसिले में उन सबको छोड़ दीजिये और उन सब पर से मुकदमे वापस लीजिये। मैं नहीं समझता कि समन्वय समिति इस मामले में क्या कर सकती है इसीलिये उनकी न्यायिक जांच हो। छात्रों ने, सोशलिस्ट पार्टी ने और संसोपा के लोगों ने अंग्रेजी हटाओ के सिलसिले में जो भी काम किये हैं, वे बधाई के पात्र हैं। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है जो हमारे सर पर बैठी हुई है। जरूरत थी कि जो विधेयक लोक सभा में आया है वह न आकर अंग्रेजी के स्थान पर जनता की क्षेत्रीय भाषायें बैठ जातीं और जनता का राज्य जन भाषा में चलता और उससे मुझे खुशी होती लेकिन दुख है कि यह सरकार अहिंसा की भाषा को समझ नहीं रही है। ऐसे अहिंसा के जरिये ही सारी सरकारें बनी हैं चाहे, संविद की सरकार हो, चाहे केन्द्र की कांग्रेस सरकार हो लेकिन वे अहिंसा की भाषा को समझती नहीं हैं। आज दफा १४४ लगवा कर छात्रों को पिटवाया जाता है और फिर समन्वय समिति द्वारा जांच की बात की जाती है। समन्वय समिति तो समन्वय करदेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी आज अन्याय हो रहा है और सारे सूबे में अन्याय हो रहा है और खास करके इलाहाबाद, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी के लोग तो तबाह हो गये हैं, उनको बड़ी बुरी तरह से पीटा गया है।

मैं आपसे कहूंगा कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर से एकदम मुकदमा उठा लिया जाय और उनको तुरन्त छोड़ दिया जाय और उनके साथ पुलिस वालों ने जो ज्यादतियां की हैं उनकी जांच हो और उनको सजा दी जाय और साथ ही जिनका नुकसान हुआ है, जिनके प्यारे लूटे गये हैं उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की जाय। अगर ऐसा हीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक तरफ आपके मंत्री लोगों ने केन्द्र में जाकर अनुशासनहीनता का काम किया है कि संविधान के प्रतिकूल काम किया है और दफा १४४ को तोड़ा लेकिन जब आपके मैजिस्ट्रेट ही गलत काम करते हैं और छात्र दफा १४४ को तोड़ते हैं तो फिर दूसरी तरफ उन पर मुकदमा क्यों चलाया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उन पर से तुरन्त मुकदमे वापस लिये जायं और उनकी न्यायिक जांच हो और जिन पुलिस वालों ने व अन्य अधिकारियों ने ज्यादती की है उन पर मुकदमा चलाया जाय।

*श्री महेश कुमार—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो काम रोको प्रस्ताव आया है, वास्तव में चन्द्रबली जी जो उनकी बगल में बैठे ह उनको समझाया होता तो अच्छा हुआ होता और नेकराम जी ने भी कोई नेकी का काम किया होता तो ठीक हुआ होता और आज यह काम रोको प्रस्ताव के बजाय बधाई का प्रस्ताव आया होता तो सुन्दर हुआ होता। जब हमारी सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसकी बुराई करना विरोधी दल अपना कर्तव्य समझता है। जब सदन में शिक्षा मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि छात्र के लिये हिन्दी या अंग्रेजी भाषाओं में से कोई एक भाषा लेना जरूरी होगा तो उस समय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने उसका बड़ा विरोध किया था कि हिन्दी का तो गला घोंट दिया गया है और जिस दिन शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर गया और सब लोगों ने उनका ध्यान दिलाया तथा उन्होंने अगले दिन घोषणा कर दी कि हम हिन्दी कम्पलसरी कर रहे हैं तो उस दिन भी इन भाइयों के पेट में मरोड़ हो गयी और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री नवलकिशोर ने कहा कि दक्षिण का क्या होगा, वहां के लोग नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप दक्षिण की चिन्ता क्यों करते हैं। इधर और कुछ उधर के साथियों ने कहा कि संसोपा के लोग दक्षिण में क्यों नहीं जाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम पहले यहां पर ही अंग्रेजी की गुलामी को दूर भगाएंगे, फिर हम दक्षिण में और केरल में भी जाएंगे और वहां के लोगों से जाकर प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महेश कुमार]

के लिए आप भले ही हिन्दी न पढ़ें किन्तु अंग्रेजी तो अवश्य छोड़ दें, तामिल पढ़ें, मलयालम पढ़ें कुछ भी पढ़े लेकिन अंग्रेजी त्याग दें। कहा गया कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन करते थे अब वह नहीं उस तरीके से होना चाहिये। क्या महात्मा गांधी ने जो अनशन किया था देश के आजाद होने के बाद वह विदेशी शासन के खिलाफ क्या था। उन्होंने पाकिस्तान का रुपया दिलवाने के पक्ष में अनशन किया था। तो महात्मा गांधी जी यदि आज जिन्दा होते तो आज जो काम प्रभुनारायण सिंह और रामस्वरूप वर्मा जी ने किया है वह काम महात्मा गांधी ने इन्दिरा सरकार के सामने किया होता। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि ये बोर्ड स उतारे जा रहे हैं वह तख्ते पोते जा रहे हैं ये बात उचित नहीं है यह सारा कार्य कांग्रेस के छिपे हुए लोगों ने कराया है।

मेरे मुरादाबाद जिले में विद्यार्थियों का जुलूस निकल रहा था, सम्भल में जुलूस निकल रहा था, तो वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने जाकर विद्यार्थियों को उकसाया और कहा कि यह देखो कि चरणसिंह की सरकार कैसी है और इनके खिलाफ हिंसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। यही लोग लखनऊ में बैठकर सरकारी कर्मचारियों को उकसाते हैं और यूनिवर्सिटीज में तथा जगह-जगह पर चरणसिंह जी का जनाजा जलाया जाता है। डाकखाने और रेल के डिब्बे इन्हीं कांग्रेसियों ने जलवाए हैं। इनकी दो जबानें हैं, एक ओर तो इनके सदस्य जैसे त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से यह आन्दोलन न हुआ होता, यदि ये विद्यार्थी निकले होते जैसे सन् ४२ की क्रान्ति में निकले थे तो यह सुधार विधेयक में न हुआ होता। हमारे दिमाग यहां गुलाम हो गए हैं। छोटे-छोटे दुकानदार भी अंग्रेजी में बोर्ड लगाना चाहते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग उनकी दुकान में सामान लेने जाते हैं तो क्या वे अंग्रेजी के बोर्ड की वजह से जाते हैं? जैसे यहां पर भी लोगों के दिमाग में अंग्रेजी भरी हुई है कि हिन्दी के बजाए यहां पर अंग्रेजी में छपी किताबें पेश की जाती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज उनको बड़ी तकलीफ क्यों हो रही है, हमारे आचार्य जी को बड़ी तकलीफ हो रही है वह इसलिये हो रही है कि जब वह कोर्ट में अंग्रेजी में बहस करते हैं, तो उनका मुवक्किल समझता है कि हमारा मुर्गा, हमारा वकील खूब बोल रहा है। लेकिन जिस समय हिन्दी बोलने लगेंगे तो मुवक्किल समझने लगेगा कि हमारा मुवक्किल ठीक बोल रहा है या गलत और इसीलिये उनको मरोड़ है कि अब क्या होगा।

आज जो हमारे नेताओं को डर हो रहा है वह यही है कि उनके लड़के बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिये, उनके कुत्तों को पढ़ाने के लिये क्योंकि इनके कुत्ते भी अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी के ट्यूटर रखे जाते हैं। तो आज इनको तकलीफ इस बात की है कि अब किसान और मजदूर का बेटा भी पढ़ेगा और हिन्दुस्तानी में, हिन्दी में मुकाबला होगा तो वह आगे निकल जायगा। वह भले ही अंग्रेजी में गिट पिट गिट न बोल सकता हो लेकिन वह दिन सब के सामने आयेगा चाहे ये कांग्रेस के लोग कितना ही रोकें अंग्रेजी को यहां से जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मेडिकल कालेज में वे हिन्दी में शिक्षा दिलवायेंगे, उसको शीघ्रतिशीघ्र लागू कराया जाय यही मेरी प्रार्थना है। मैं कहता हूं कि जिस समय उत्तर भारत में हिन्दी पूरी तरह से कर दी जायगी उसी समय दक्षिण भारत में हिन्दी जल्द से जल्द हो जायगी। इंदिरा जी ने भाषा विधेयक के बारे में कहा था कि हम इसमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे मगर हमारे इन दोनों मंत्रियों के विरोध, विद्यार्थियों की जागरूकता ने, तरुणाई की शक्ति ने इन्दरा जी को समझाया कि केन्द्र में भी गुप्ता जी की तरह से गद्दी कांग्रेस की खिसकी और इसलिये चुपके से कह दिया कि हम संशोधन माने लेते हैं। यह हिन्दी सेना की विजय है और यह ऐसी विजय है जो दक्षिण भारत तक जायगी और वहां भी आगे चल कर अंग्रेजी का जनाजा उठेगा।

श्री राम नरेश शुक्ल—

आचार्य जी तो चले गये हैं, लेकिन तलवार साहब तो हैं।

श्री महेश कुमार—

ठीक है, उन्होंने भी मेरी बात सुन ली है और वे मेरे पक्ष में हैं।

*श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को मैं अधिक देर से सुन रहा हूं। मेरे बहुत से मित्रों ने शायद यह समझा है कि इस काम रोको प्रस्ताव के द्वारा विद्यार्थियों की निन्दा की गयी है या अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन की निन्दा की गयी है। यह जो काम रोको प्रस्ताव आया है वह इसलिये कि धारा १४४ लगाई गई, विद्यार्थियों पर लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, लोगों के घर लूटे गये...

श्री चरणसिंह—

आपकी इजाजत से, मेरे मित्र जरा यह बतादें कि बनारस को छोड़ कर और कहां-कहां गोली चली?

श्री राजाराम—

गोली चली मैंने कहा है, लाठियां तो इलाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया में चली। तो यह सरकार असफल रही है जनता को सुरक्षा देने में जिसका उसके ऊपर भार है और जो सरकार को करना चाहिये था, जनता को जो सुरक्षा उसकी सम्पत्ति के बारे में मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पायी, विद्यार्थियों को भी सुरक्षा नहीं मिल पायी। घटनायें स्पष्ट बताती हैं कि जोरदार आवाज में विद्यार्थियों के जो हिमायती बनते हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया, और दूकान तक ले गये और दुकानों को लुटवाया और जब उन लड़कों पर लाठियां बरसीं और जब लाठियों के शिकार हुये तो खिसक लिये। इस तरह की घटनायें हुईं।

मैं देवरिया की बात कहना चाहता हूं। माननीय उग्रसेन जी जानते हैं कि गोरखपुर में रामब्रिज सिंह जो हिन्दी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका भाई देवरिया स्टेशन पर विद्यार्थियों को समझा रहा था। विद्यार्थी उनकी बात मान रहे थे फिर भी पुलिस वालों ने उनको पीटा। वहां पर उनको परेशान किया गया। उग्रसेन जी जानते हैं कि उनको कोई राहत नहीं मिली। उल्टे उनको हवालात में जाना पड़ा। बाद में उनको छुड़ाया। लोगों को इस तरह से ले जाते थे और छोड़ देते थे। किसी तरह से बाद में मुक्त कराया गया लेकिन उनको पहले कोई राहत नहीं मिली। इस तरह से जुल्म हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल हिन्दी और अंग्रेजी हटाओ के नाम पर बहुत से स्थानों पर विद्यार्थियों को आगे करके पिटवाया गया। विद्यार्थी पूछते थे कि यह जो आन्दोलन चल रहा है तो क्या इससे यूनिवर्सिटी के अन्दर लेक्चर का माध्यम अंग्रेजी हो जायगी तो उनसे कहा गया कि नहीं यह तो भाषा की बात है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ पत्र-व्यवहार करने की बात है लेकिन इसमें विद्यार्थियों को माध्यम बनाया गया इसलिये कि अच्छे स्वेटर, घड़ियां, और साइकिल प्राप्त हो सकें। इसी कारण से स्टेट के अन्दर उपद्रव यह किये गये।

हमारे मित्र राकेश चतुर्वेदी जी ने बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने जितनी देर तक व्याख्यान दिया शायद हमारे इधर के भाई कुछ समझ नहीं पाये कि उन्होंने क्या कहा। इतनी बात उन्होंने जरूर कही कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वह अच्छा किया है और उन्होंने भी उसकाने की बात कही यदि इस तरह से उकसाने की बात सदन के अन्दर कही जाती है तो बाहर जाकर ये बदलने वाले लोग जो एक जगह एक बात कहते हैं और दूसरी जगह दूसरी बात कहते हैं वह वहां बाहर जाकर लोगों में उत्तेजना पैदा करते हैं। लोगों के ऊपर लाठी चलवाते हैं। लाठियों से विद्यार्थियों को पिटवाया जाता है और लुटे हुये दुकानदार और लुटे हुये लोगों को राहत दिलवाने के बजाय, उनको मदद दिलवाने के बजाय कहते हैं कि तुमने हिन्दी के लिये बड़ी कुरबानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजाराम]

की है। इससे काम चलने वाला नहीं है। व्यापारियों को भी बहुत क्षति पहुंची है। इन सब बातों का ही जिक्र इस काम रोको प्रस्ताव के अन्दर किया गया है। इस तरह से लोगों को बन्द किया गया है और ट्रकों में लादकर दूसरी जगह छोड़ा गया है। इस तरह से कितनी बड़ी मुसीबत का सामना स्टेट को करना पड़ा है। केवल इस झूठे आन्दोलन को चलवाकर इसको अंग्रेजी हटाओ का नाम देकर अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिये कुछ वोट पाने के लालच से दिल्ली जाकर १४४ को तोड़ा गया है। इस तरह से उनका नाम इस स्टेट में प्रसिद्ध हो चुका है कि सब जान गये हैं। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और वित्त मंत्री किस तरह से अपना नाम पैदा कर रहे हैं यह सब जान गये हैं। यह सब जान गये हैं कि इस प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या काम किया है और किस तरह से पाकिट बनाया है या सांठगांठ की है। इस कालिख का उनके ऊपर कलंक आ गया था जिसके कारण वह कहीं पर जा नहीं सकते थे। न किसी गांव में वह जा सकते थे कि जाकर कोई मीटिंग करें। यह बहाना लेकर यहां पर लोगों को उकसाया गया। आचार्य दीपंकर जी ने कहा कि यदि उनको १४४ तोड़ना था तो जहां पर विद्यार्थियों की पिटाई हो सकती थी वहां पर जाकर तोड़ना चाहिये था। जहां पर विद्यार्थियों के ऊपर लाठी पड़ रही थी वहां पर जाकर उनका साथी होना चाहिये था लेकिन वह लाठी के साथी नहीं हुये और जेल जाने के साथी नहीं हुये। यह उनके माथे पर कलंक था जिसके कारण उनको दिल्ली जाकर यह काम करना पड़ा। क्यों नहीं मंगलदेव जी विशारद गये? वह भी तो संसोपा के सदस्य हैं।

हम लोगों को भी हिन्दी से बड़ा प्रेम है। जब से जन्मते हैं और जब तक मरते हैं हिन्दी हमारे साथ लगी हुई है। लेकिन यह सारी चीजें इसलिये हुईं कि उनके ऊपर जो भार था उसकी तरफ से ध्यान बंटाने के लिये उन्होंने दिल्ली में जाकर संविधान के खिलाफ काम किया, कानून तोड़ा। चन्द्रबली जी जो कह रहे थे कि संसोपा ने बहुत उत्तम काम किया, इस तरह का उनका कार्य बड़ा सराहनीय रहा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन शायद वह कबीरदास जी की बाणी में बोल रहे थे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी संपत्ति को क्षति हुई है, जिन विद्यार्थियों की घड़ियां और पुस्तकें खोयी हैं, और यह सब जिन व्यक्तियों ने लम्बे-लम्बे भाषण देने के नाम पर कराया है उन्हीं लोगों से इस क्षति की पूर्ति भी करायी जानी चाहिये। चाहे यह सरकार की ढिलाई हो अथवा सरकार के अफसरों की, यह काम किसी की भी ढिलाई से हुआ हो, लेकिन इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को क्षति पहुंची है उनकी क्षति पूर्ति की जानी चाहिये, यही बातें मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(श्री भगवतीसिंह विशारद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आपने अश्विनी कुमार राकेश के बाद अश्विनी कुमार का नाम पुकारा था इसलिये मैं समझ रहा था कि श्री राजाराम पांडेय के बाद अब रामसुन्दर शास्त्री का नाम पुकारा जायगा। आप कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

मान्यवर, भाषा संशोधन विधेयक संसद में पास होने के बावजूद उसकी प्रतिध्वनि जब हमारे सदन में हो रही है और सारा देश और प्रदेश उससे इस समय आन्दोलित हो रहे हों और उस भाषा विधेयक के कारण जब हमारे मंत्री दिल्ली गये हों और वहां धारा १४४ तोड़ने के बाद प्रदेश में आये हों और यहां जब उनके अभिनन्दन समारोह मनाये जा रहे हों, उस समय जब नेकराम शर्मा जी इस प्रकार का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत करते हैं तो हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना ही पड़ता है।

मान्यवर, जिस तरह से लाठियां और गोलियां चली हैं। वह उचित नहीं है, जिस तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की गयी, वह उचित नहीं है, लेकिन मान्यवर, हम को यह विचारना पड़ता है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। आप जानते ही हैं और मनोविज्ञान के अनुसार जब जनसाधारण की वह आकांक्षायें जिनको बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिये पूरी नहीं होतीं हैं तो वह पहले जन मानस को आन्दोलित करती हैं और आन्दोलन होने के बावजूद भी जब उनको यथा स्थान प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है तो उसका आक्रोश बढ़ता है और इस तरह की घटनायें उस समय हो जाना स्वाभाविक है। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारी केन्द्रीय सरकार पर है। केन्द्रीय सरकार ने अगर हिन्दुस्तान की आम जनता की इस आशा को, हिन्दुस्तान की आम जनता की इस भावना को यदि यथास्थान प्रतिष्ठित किया होता तो इस प्रकार की कोई घटनायें न घटी होतीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे केन्द्र की जो सरकार है और माननीय नेकराम जी, मैं नहीं जानता कि जिस पार्टी की हुकूमत केन्द्र में है उस पार्टी के वह सदस्य हैं भी या नहीं, अगर वह सदस्य बन गये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अहिंसा की भाषा नहीं समझती है। मैं उदाहरण के तौर पर उन्हें यह बतलाना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आन्ध्र प्रदेश बनने का सवाल था, वहां की आम जनता ने आन्दोलन किया। लेकिन केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की मांग स्वीकार नहीं की। जब वहां के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता ने अपने जीवन की बाजी लगा दी, उन्होंने अपना बलिदान किया तब वहां पर आन्ध्र प्रदेश बना। वहां पर रेलगाड़ियां फूंकी, तरह-तरह की घटनायें हुईं और इस प्रकार वह आक्रोश प्रकट हुआ। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश की स्थापना हुई। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान महाराष्ट्र की ओर ले जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र समिति ने वहां पर आन्दोलन करके वहां की जनता की भावनाओं को व्यक्त किया था, लेकिन जब तक वहां पर गोलियां नहीं चलीं, लोगों ने बलि प्रदान नहीं किया तब तक महाराष्ट्र कायम नहीं हो सका। तो मान्यवर, जब केन्द्र की सरकार अहिंसा की भाषा नहीं समझती, वह हिंसा की भाषा समझती है तो देश के लोगों में उसका एक प्रभाव पड़ता है कि इस सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिये हिंसात्मक तरीके को अपनाओ।

यह प्रवृत्ति केन्द्र की ही सरकार ने पैदा की है और इसकी जहां तक निन्दा की जाय वह कम है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र और मैसूर का विवाद है। इसमें आपको स्मरण हो, मैंने समाचारपत्रों में देखा कि विधान सभा के सदस्यों ने और यदि मैं भूलता नहीं हूं तो उपाध्यक्ष महोदय तक ने रेल की पटरियों में बैठ कर रेलगाड़ी को नहीं आने दिया था। आज हमारे गुप्ता जी एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं मंत्रियों के ऐसे व्यवहार के लिए कि उन्होंने १४४ तोड़ कर संविधान का उल्लंघन किया है। वह उन्होंने क्यों रखा है? वह रखा है माननीय रामस्वरूप वर्मा और मंत्री रामस्वरूप वर्मा में भेद करने के लिए। साधारण नागरिक प्रभुनारायण सिंह और श्रम मंत्री प्रभुनारायण सिंह में अन्तर करने के लिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री रामस्वरूप वर्मा और माननीय रामस्वरूप वर्मा में कोई अन्तर नहीं है। मानव स्वभाव संवेदनशील होता है। वह हर चीज को ग्रहण करता है। जब किसी आदमी के ऊपर कोई गुरुता का भार आता है तो यह संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। तो अगर एक साधारण नागरिक होने के कारण वह महसूस करते थे कि वहां पर जाकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए तो मंत्री होने के नाते भी उनको हक था कि वहां जाकर अपनी बात कहते और उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था कि गुप्ता जी को प्रस्ताव पेश करने की जरूरत आती।

हिन्दी भाषा के प्रति सभी राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका निभाई है। पी० एस० पी०, एस० पी०, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ सभी ने। यद्यपि भाषा संशोधन विधेयक संसद में पास हो गया है फिर भी प्रजा सोशालिस्ट पार्टी ने हिन्दी की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संविधान में परिवर्तन करने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है धारा ३४५ और ३४८ के संशोधन के बारे में, जो हिन्दी की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक हैं।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने नेकराम जी से पूछा कि १ करोड़ रुपये की क्षति कैसे हुई ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा हमारे माननीय गुप्ता जी के दरबार के नवरत्न हैं । एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दिल्ली में कितने कौवे हैं ? तो बीरबल ने उत्तर दिया १ लाख । तो अकबर ने कहा कि अगर कम या ज्यादा होंगे तो तुम्हें फाँसी लगवा देंगे । बीरबल ने कहा कि गिना लीजिये । तो नेकराम जी ने भी उड़ा दिया कि १ करोड़ रुपये की क्षति हुई है । मुख्यमंत्री जी तुलवाते रहें, हर चीज को नाप-जोख करवाते रहें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस प्रकार का प्रस्ताव होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार अहिंसा की भाषा और जनतंत्र की भाषा समझे और हिंसा की नीति को छोड़े ।

*श्री राम सुन्दर शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, भाषा विधेयक के संबंध में जो आन्दोलन हुए हैं उन्होंने हमारे देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत ही मोड़ दिये हैं । आप देख लीजिये, भाषा विधेयक के संबंध में हमारे प्रदेश के दो मंत्रियों ने दिल्ली में जो काम किया तो हमारी असेम्बली के दायरे के भीतर ही उसकी प्रतिक्रिया हुयी । विधान परिषद् में वह प्रस्ताव पास हो गया और यहां विधान सभा में पलायन कर गये । तो साथी झारखंडे राय जी ने ठीक ही कहा था कि आज की मौजूदा हालत में पुरानी मान्यता और लीकें टूट रही हैं और कोई आदमी हमारे संविधान को शाश्वत मान कर चलने की कोशिश करे तो नहीं चल पायेगा । शाश्वत है भी नहीं, इसीलिए वह संशोधित होता रहता है और आगे भी जनता के हित में उसमें संशोधन होंगे ।

भाषा विधेयक के संबंध में जो चीजें भी गुजरी हैं उसको साफ तरीके से यह हाउस को देखना चाहिए । भाषा विधेयक के संबंध में हुये आन्दोलन से पहले क्या हो रहा था । उर्दू आन्दोलन चल रहा था । एक तरफ लोग कहते थे उर्दू को दूसरी भाषा करो या मरो, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि उर्दू दूसरी भाषा नहीं बनायी जा सकती । मगर मैं पूछता हूं कि क्या किसी ने उर्दू के एक भी बोर्ड को हटाया ? नहीं हटाया । अब यह भाषा विधेयक के संबंध में जो आन्दोलन शुरू हुआ, वह क्यों हुआ ? हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । २० साल के अन्दर जो काम नहीं हो पाया, वह काम ८–१० दिन के अन्दर इस आन्दोलन के कारण हो गया । जिस दिन हमारे यहां आन्दोलन होने वाला था, उसके एक दिन पहले ही सब लोगों ने अंग्रेजी के बोर्ड हटा दिये थे या उन पर कागज चिपका दिये थे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक ही तीर से दो शिकार मत करिये । माननीय नेकराम जी ने एक तरफ कहा कि विद्यार्थियों की निन्दा की कोई बात नहीं है, दूसरी ओर वे यह प्रस्ताव लाये । अगर उनको विद्यार्थियों की तारीफ करनी थी तो वैसा ही उनकी तारीफ का प्रस्ताव वे लाते ।

अब एक शिकायत मुझे अपने सूबे की सरकार से करना है । इससे पहले भी हमारे जिले में गाजीपुर में जिलाधीश के बंगले के सामने १५ दिन तक गंगा पर पक्का पुल बनाने के संबंध में दिये गये आश्वासन को लेकर प्रदर्शन हुआ था । वहां पर जितने भी मिनिस्टर जाते थे जनता के समय यह आश्वासन देते थे कि उनकी वहां पर पुल बनाने की मांग आयी है, और वह बनेगा । मगर जब वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो आन्दोलन किया गया, उसके बाद सरकार ने आवश्यक कदम उठाये । तो यह आन्दोलन तो होते हैं, मगर उसमें जो अवांछनीय तत्व काम करते हैं ऐसे आन्दोलनों के पीछे, सरकार को उन तत्वों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने चाहिये ।

मान्यवर, गाजीपुर में दफा १४४ नहीं लगायी गयी थी और वहां एक भी अवांछनीय घटना नहीं घटी । लेकिन जहां पर पुलिस वालों ने छेड़खानी की वहां पर कुछ घटनायें घटीं । मैं समझता हूं कि हमारे यहां कहीं भी दफा १४४ नहीं लगनी चाहिये थी और इस आन्दोलन में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिये थी। खैर, जो हो गया सो हो गया, मैं अब चाहता हूं और मेरी संविद की सरकार से प्रार्थना है कि वे सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ दे, उन पर से मुकदमें वापस लिये जांय, और अवान्छनीय तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। हमारे देश और प्रदेश में एक नया जीवन, नयी जिन्दगी, नयी चेतना राजनैतिक जीवन में आयी है और जनता ने इस मामले में पहल की है। इन शब्दों के साथ मैं इस कामरोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय नेकराम जी से अनुरोध करता हूं कि इसे उनको किसी दूसरे रूप में ही लाना चाहिये

*श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी और साथियों, हमें अफसोस है कि हमें शिकायत प्रभुनारायण सिंह जी और राम स्वरूप वर्मा जी से नहीं है। हमें शिकायत यह है कि जब माननीय मंत्री जी बाहर निकलते हैं तो मालाओं के बीच में अपने को इतना विभोर पाते हैं कि वे समझने लगते हैं कि उनका मूल्य अब बढ़ गया है और माननीय प्रताप सिंह जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या हिन्दी हमारी भाषा नहीं है। हिन्दी उत्तर प्रदेश के रहने वाले जन जन की भाषा है। शिकायत यह है कि मंत्री जी वहां गये तो क्यों गये। वह कवल पोलीटिकल स्टन्ट था। जनसंघ वालों का नाम होता देखकर सोशलिस्ट पार्टी वालों ने सोचा कि चलो हिन्दी के नाम पर अपना नाम कर लिया जाय। यह बात मैं इसलिये कहता हूं कि इलाहाबाद में माननीय कल्याणचन्द्र मोहिले हाईकोर्ट में गये और वहां जाकर यह कहा कि आफिसों को बन्द कर दो, यह हमारी पार्टी का सवाल है इसलिये यह उत्तर प्रदेश और हिन्दी का सवाल नहीं था, केवल अपनी-अपनी पार्टी का सवाल था। हम कांग्रेसी न गायों के दुश्मन हैं और न हिन्दी के, लेकिन चौधरी साहब यह तमाशा कर रहे हैं। कभी गायों के नाम पर और कभी हिन्दी के नाम पर आप वोट मांगते हैं। कभी झारखंडे राय जी को सरकार से बाहर किया जाता है और कभी फिर उनको अन्दर लेने का आश्वासन दिया जाता है। दिल्ली में इस विधेयक के पक्ष में १२६ और विरोध में ७० वोट पड़े। जय प्रकाश नारायण और विनोबा जी ने तो इसके बारे में सही बातें कीं लेकिन और किसी ने नहीं कीं। हम तो तब जानते जब आप मंत्री बन कर साधारण नागरिक की तरह से रहते। अपने साथ में शेडो और सिपाहियों की फौज को लेकर न चलते, कृपा करके उनको वापस कर दीजिये। तब तो संवैधानिक रूप से वहां जाने में और सत्याग्रह करने में कोई रुकावट न होती। माननीय प्रभुनारायण सिंह दिल्ली में क्या कहते थे।—डाक्टर लोहिया बोल रहा है, इन्दिरा का शासन डोल रहा है। इसलिये मैं इस बात को बिलकुल पौलीटिकल स्टन्ट ही मानता हूं। यहां बहुत से बहरूपियें इकट्ठे होकर तरह तरह का नाटक कर रहे हैं और कांग्रेस वाले जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनके बड़े-बड़े नेता हिन्दी के लिये त्याग तपस्या कर रहे थे, उनको बदनाम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय प्रभुनारायण सिंह जी का स्वागत किसने किया? राजबहादुर चतुर्वेदी जी ने। यही एक बड़े भारी हिन्दी के प्रेमी थे न।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में है इसलिये हिन्दी के बारे में हम लोग उनसे अधिक बात समझते हैं। लेकिन हमारे माननीय मित्र, श्री चन्द्रशेखर जी, जो बड़ी तेजी से बोलते हैं और गाल फुला कर बोलते हैं, और डाटते भी हैं, बाहर भी और भीतर भी, हम उनसे कहते हैं कि वे सबका मूल्य अगर बराबर समझते हैं तो यह गलीचा जो यहां बिछा है उसको उठवा दें और इसको ऐसा न बनाते जो आपने बना दिया है। उस मर्यादा को रखने के लिए आपने संविधान को जोड़ा है तो उसको चलाने के लिये संयम क्यों नहीं बरता जाता। क्यों आप की हालत उस सपेरे की सी हो गई है जो पिटारी में सांपों को नहीं रख पा रहा है। यह सब क्या था केवल एक पोलिटिकल स्टंन्ट था। वह एक राजनैतिक चेतना हिन्दी के नाम पर अपने दल के लिये लाना चाहते हैं। यह बिलकुल गलत चीज है। लड़कों ने जो आन्दोलन किया उसे मास्टरों ने कराया वह मास्टर चाहते थे कि किसी तरह से हमारा ऐसा दौर बन जाय जिससे हमारी भी पहुंच हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं नेकराम जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आप उधर की तरफ के दो दो सदस्यों को बुलाने के बाद इधर से एक को बुलाते हैं जबकि दोनों तरफ से एक-एक को ही बुलाया जाता तो उचित होता ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं जैसे उचित समझता हूं उस तरह से बुलाता हूं । उसी हिसाब से बुला रहा हूं ।

श्री एस० जी० दत्त—

कोई तरीका होता है और उस के हिसाब से ही चलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गंगा राम (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेक राम जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने कुछ चार्जेज लगाये हैं । एक चार्ज तो उन्होंने भारतीय जनसंघ के खिलाफ लगाया है और दूसरा संयुक्त सोशलिस्ट दल के खिलाफ लगाया है और तीसरे में यह कहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक प्रिजनर कि तरह हो गये हैं । मैं इसका उत्तर इस तरह से दूंगा कि माननीय नेकराम जी ने श्री अटल बिहारी बाजपेयी के विषय में कहा कि उन्होंने एक सभा को एड्रेस किया लेकिन मैं उन को यह चेलेंज करता हूं कि श्री अटल बिहारी जी ने आज तक किसी भी अपने भाषण में कभी भी कोई ऐसी अनबलेन्स्ड बात कही हो । इस सभा की ही बात मैं नहीं कहता, कहीं भी किसी सभा में वह बतायें कि कोई बात उन्होंने कही हो । वह तो बहुत ही बैलेन्स्ड व्यूज के व्यक्ति हैं । हो सकता है कि उन्होंने सरकार को चैलेन्ज किया हो कि वह ऐसा विधेयक न लाये क्योंकि उससे एजीटेशन होने का डर है । लेकिन उन्होंने कभी भी कहीं भी विद्यार्थियों को इनसाइट नहीं किया । मैं इस तरह की उनकी बात नहीं मान सकता और चैलेन्ज करता हूं कि उन्होंने कोई इस तरह की बात कही हो । एस० एस० पी० का उत्तर तो उन्हें मिल चुका है, भारतीय जनसंघ के बारे में भी उन्होंने कहा उसका भी उत्तर मिल चुका है लेकिन मैं भी इतना अवश्य कहूंगा कि आज जहां तक भारतीय जनसंघ के लीडर्स और वर्कर्स का सवाल है उन्होंने हर विद्यार्थियों के एजीटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है और कोई ऐसी बात कहीं ऐसी नहीं पैदा होने दी है जिससे वायलस या इन्सटीगेशन हुआ हो । बल्कि कानपुर की मैजिस्ट्रेसी ने तो पोलिटिकल दलों की दाद दी है कि विद्यार्थियों के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डील किया । जगह-जगह जहां-जहां भी यह मूवमेंट चला उन्होंने भारतीय जनसंघ की दाद दी है कि उन्होंने वायलेंस को न फैलने में बहुत बड़ा काम किया है और कोई गलत काम नहीं होने दिया है । अगर कोई एजीटेशन हुआ है तो वह किसी दल की वजह से नहीं हुआ है । दलों ने तो उसको और कंट्रोल ही किया है वह सारा एजीटेशन तो इन्सपानटेनियस था । विद्यार्थी समझते थे कि इस विधेयक से अंग्रेजी को परिश्रय मिलेगा और हिन्दी पीछे रह जायगी, ऐसा उनको अन्देशा था ।

ला सेक्शन में मैं ३७ वर्षों से स्टुडेंट कम्युनिटी के कन्टैक्ट में रहा हूं और मैं आपको बतलाऊं कि हमारे विद्यार्थी बड़े परेशान हैं । उनकी समझ में अंग्रेजी में लिखी हुई ला बुक्स नहीं आती हैं । वे २ जुमले भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं । जब मैं उनसे इसका कारण पूछता हूं तो वे कहते हैं कि वे हिन्दी के माध्यम से पढ़ कर आये हैं । तो जब उन्होंने देखा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा बिल पेश किया तो स्टूडेंट एजिटेशन हुआ है जो अब धीरे-धीरे ठीक हो जायगा और कांग्रेस सरकार भी समझने लगी है कि कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि इस से काम चलेगा कि हिन्दी को किस प्रकार से बढ़ाया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

एक बात यहां पर यह कही गयी कि चौधरी साहब तो प्रिजनर हो गये हैं। मैंने उनसे परामर्श किया है। जहां तक मैं समझता हूं हो सकता है कि उसमें कुछ डिफरेंस हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी साहब ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया है उसकी कांस्टीटयूशनल जस्टिफिकेशन मैं आपके सामने पेश करूंगा। यह कैबिनेट का फैसला जिसमें उन्होंने इस बिल का विरोध किया है यह आर्टिकिल ३४३ के अन्तर्गत किया है। उसमें यह दिया हुआ है :

"(१)

"The Official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script"

(१) संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

आगे सब सेक्शन ३ में यह लिखा हुआ है कि,

(3) Notwithstanding anything in this Article, parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years of
(a) the Engliah language,or
(b) the Devanagari form of numerals for such purposes as may be specified in the law.

इसका मतलब यह है कि अगर इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में इस आर्टिकिल में यह भी है कि १५ वर्ष की कालावधि तक के लिए राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी लेकिन उस के बाद भी इजाजत दी है कि अंग्रेजी को रखें लेकिन अगर हम संविधान की धारा ३४६ देखें तो हम पायेंगे कि जो कानून इस वक्त बना है वह कितना गलत बना है। धारा ३४६ में लिखा हुआ है

"The language for the time being authorised for use in the Union for Official purposes shall be the Official language for communication between one State and another State and between a State and the Union"

अर्थात् संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी :

अब हमारी केन्द्रीय सरकार ने सेक्शन ३ को अमेंड कर दिया है। जो १५ साल वाली बात थी उसे सेक्शन एक कर दिया है और उस के बाद २, ३, ४ और ५ कर दिया है। जो अमेंडमेंट किया गया है उस में यह है कि लेजिस्लेचर्स को पूरी पावर होगी और जब तक प्रान्त की विधान सभायें एक ऐसा प्रस्ताव पास नहीं करेंगी कि अंग्रेजी जबान हटा दी जाय तब तक वह नहीं हटेगी। तो इस प्रकार से उन्हें एक विटो पावर दे दी है कि जब तक लेजिस्लेचर परमिट नहीं करेगी तब तक हिन्दी नहीं आ पायेगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट से पत्र-व्यवहार करने में और केन्द्र से पत्र-व्यवहार करने में।

हिन्दी का जो कम्युनिकेशन होगा उस के साथ इंग्लिश का ट्रांस्लेशन होगा। इस के माने यह हैं कि हिन्दी की एक इन्फीरयिर पोजीशन हो जायगी और जब ऐसा होगा तो इंग्लिश को बढ़ावा मिलेगा, जो विधान के मुताबिक नहीं है। विधान में साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को पावर है, लेजिस्लेचर्स को पावर नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई अपनी पावर रिनाउन्स करती है तो वह भी गलत है, ऐरोगेट और रिनाउन्स करना दोनों गलत हैं।

[श्री गंगाराम]

इसलिए कैबिनेट का डिसीजन बिल्कुल ठीक था और माननीय चौधरी साहब कोई प्रिजनर नहीं थे, बल्कि उन्होंने जस्टिफाइयेबिल ग्राउन्ड्स पर उसको अपोज किया।

(माननीय चरणसिंह के खड़े होने पर)

श्री एस० सी० दत्त--

मुझसे आपको कोई दुश्मनी है जो मुझे बोलने का मौका नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो कहा उसको वापस लें। जब नेता सदन खड़े होंगे तो मुझे उन को बोलने के लिए कहना पड़ेगा और भविष्य में ऐसी शब्दावली का आप प्रयोग न करें।

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो घंटे जो इस विषय पर चर्चा हुई है...

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान माननीय मुख्य मन्त्री के स्वास्थ्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी जब एक प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से यहां पर लाया गया था...

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री धर्मवीर--

उस समय माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि आज मैं अस्वस्थ हूं और मैं किसी प्रकार का वक्तव्य देने के लिए असमर्थ हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन को गुमराह करने की बात की है। पहले बोलने को खड़े नहीं हुये स्वास्थ्य की बात कह कर और अब वक्तव्य देने के लिए खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते बोलने के लिए।

श्री धर्मवीर--

जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था उस पर वह नहीं बोले और अब बोल रहे हैं। अब स्वस्थ हो गये। यह पूरे प्रदेश को गुमराह करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

मुझे भी इस विषय पर आपत्ति है। मैंने एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया था.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माननीय नेता सदन बैठना नहीं चाहते हैं.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं भी नहीं बैठूंगा। यह गलत बात करते हैं। वी विल नाट लिसिन टु यू। जैसा चाहते हो वैसा करते हो, माननीय चरण सिंह।

(नेता विरोधी दल कांग्रेस दल के साथ सदन त्याग कर चले गए।)

श्री धर्मवीर--

मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने जो प्रश्न उठाया था.....

(व्यवधान)

मैं सदन से नहीं जाने वाला हूं। मैं न्याय चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मवीर--

मैं स्थान नहीं ग्रहण करूंगा। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, मेरा अधिकार है कि मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अपने अधिकार का प्रयोग करूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो व्यवस्था उठायी उस पर बात हो चुकी है।

श्री धर्मवीर--

मेरी व्यवस्था पर आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दी कि आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री धर्मवीर--

जो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह पूरे प्रदेश के हित में है लिहाजा माननीय नेता सदन उस पर विचार करें।

श्री चरणसिंह--

मैं जवाब दे दूंगा। आप बैठ जायें।

श्री धर्मवीर--

यह बात बड़ी गैर मुनासिब है कि जब माननीय नेता विरोधी दल खड़े हों तो माननीय नेता सदन उनको बोलने न दें।

(श्री चरणसिंह के बैठ जाने पर)

अब माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठ गए हैं। मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष --

आप स्थान ग्रहण करें। आप इस प्रकार सदन की मान मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर—

माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठ गए हैं। अब मुझे अधिकार है कि मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जब खड़ा हूं तो आप मेरी बात सुन लें। उसके बाद जो कहना चाहें कहें।

श्री चन्द्रबली—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से यहां कोई बात कही जाय और उसकी उपेक्षा करते हुए आप अपनी बात कहते रहें तो यह न सदन की गरिमा के अनुकूल है और न उसकी परम्पराओं के अनुकूल है। आपको धर्मवीर जी इस तरह से नहीं करना चाहिए।

(श्री धर्मवीर के बोलते रहने पर)

यह विवाद दो घंटे के लिए था और अब ६ बज कर ४० मिनट हो चुके हैं। समय समाप्त हो गया है। इसलिए अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० दिसम्बर, १९६७।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

नाम	विभाग	पदनाम	वसूल किया गया जुर्माना
१—श्री प्रेम सिंह ..	हाईडिल श्रीनगर, गढ़वाल।	ड्राइवर ..	इन दोनों व्यक्तियों से कुल ५० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
२—श्री शेर सिंह ..	तदेव	तदेव	तदेव
३—श्री भीम बहादुर..	ई—काम ५८, जी० आर० सी० जमुनीपर, देहरादून।	नायब-सब ..	५० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
४—श्री आर० बी० गिडियन।	एफ०आर०आई० देहरादून।	डाक्टर ..	१०० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
५—श्री भीम बहादुर	यू०पी० बटालियन एन० सी० सी० रानीपुर।	हवलदार ..	२५ रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
६—श्री एस० गंगूली	आर्डिनेन्स फैक्ट्री रायपुर, देहरादून।	मेजर ..	९० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
७—श्री बी०बी० चौधरी	पुलिस विभाग, बरेली।	सब-इन्सपेक्टर	इन तीनों व्यक्तियों से कुल मिला कर १,००० रुपए की धनराशि ली गई। ये तीनों व्यक्ति एक साथ पकड़े गए।
८—श्री जी०डी० ध्यानी	गन्ना विभाग ..	डेवलपमेंट इन्सपेक्टर।	
९—श्री अब्दुल हबीब	सिंचाई विभाग, नैनीताल।	टंडेल	
१०—श्री लक्ष्मण सिंह	परिवहन विभाग, नैनीताल।	ड्राइवर ..	५० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।
११—श्री रतन सिंह ..	रेलवे, झांसी ..	लोको इन्सपेक्टर	७५ रुपए
१२—श्री हंस राज	तदेव ..	स्टेशन मास्टर जेतवारा।	इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध जांच अभी चल रही है।
१३—श्री मलहोत्रा ..	तदेव ..	सहायक अभियन्ता, सेन्ट्रल रेलवे।	
१४—श्री मेजर कुमार	भारतीय सेना, झांसी।	मेजर ..	२० रुपए लेकर मामले को अभिसंधान कर दिया गया।

नाम	विभाग	पदनाम	वसूल किया गया जुर्माना
१५--श्री मुस्तफा हुसैन	सिंचाई विभाग, मिर्जापुर।	अधिशासी अभियन्ता।	९५० रुपए। अभी जांच जारी है।
१६--श्री आर० के० जैन	तदेव ..	तदेव ..	तदेव
१७--श्री ए० एस० बघेल	योजना विभाग, उत्तर प्रदेश।	उप-विकास आयुक्त	कुछ नहीं। जांच करने पर इनके विरुद्ध कोई सबूत न प्राप्त हो सका अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०४ पर)

बैंकों में नामांकन किये गये लोगों की सूची

क्रम-संख्या	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	नामांकन के आदेश के सम्बन्ध में शासन पत्र संख्या एवं दिनांक	नाम व पता सदस्य जिनका नामांकन किया गया
१	२	३	४
१	गढ़वाल ..	संख्या ३६३/१२–सी० ए०-६७, दिनांक २२–५–६७	(१) श्री सुखवीर सिंह भंडारी, एडवोकेट, लैन्स डाउन, जिला गढ़वाल।
			(२) श्री नरेन्द्र अग्रवाल डाकखाना कोटद्वारा, जिला गढ़वाल।
२	चमोली ..	संख्या ३६३/१२–सी० ए०-६७, दिनांक २२–५–६७	(१) श्री शेर सिंह दान, एडवोकेट, कर्ण प्रयाग, जिला चमोली।
			(२) श्री प्रताप सिंह पुष्याना, ऊसीमठ, चमोली।
३	सहारनपुर ..	संख्या ३६३/१२–सी० ए०-६७, दिनांक २२–५–६७	(१) श्री सीताराम जी द्वारा मेसर्स भक्त राम गोधोमल पंजाबी मार्केट सहारनपुर।
			(२) श्री परमेश्वरी दास जी एडवोकेट राठ की, जिला सहारनपुर।
४	झांसी ..	संख्या ३६३/१२–सी० ए०-६७, दिनांक २२–५–६७	(१) श्री नन्द किशोर दोवेरिया, डाकखाना तथा ग्राम गुरसहाय, झांसी।
			(२) श्री प्रभाकर राव परोलकर, ग्राम व पोस्ट बरुआ सागर, झांसी।
५	रायबरेली ..	संख्या सी ३५३/१२–सी० ए०-६७, दिनांक १७–५–६७	(१) श्री राम अम्बिका नाथ सिंह, नाईन भवन, रायबरेली।
			(२) श्री राजकुमार अवस्थी, एडवोकेट, रायबरेली।
६	प्रतापगढ़ ..	संख्या सी-३५३/१२–सी०ए०-६७, दिनांक १७–५–६७	(१) श्री बाबू लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, प्रतापगढ़।
			(२) श्री राम सेवक त्रिपाठी, एडवोकेट, प्रतापगढ़।

१	२	३	४
७	पिथौरागढ़ ..	संख्या सी-३५३/१२—सी०ए०-६७, दिनांक १-५-६	(१) श्री प्रेम सिंह सेन, वकील, पिथौरागढ़। (२) श्री जगरसिंह चौहान, पिथौरागढ़।
८	हल्द्वानी (नैनीताल)	संख्या सी-३५३/१२ सी०ए०--६७, दिनांक १-५-६	(१) श्री ओम प्रकाश सारस्वत, रामनगर, नैनीताल। (२) श्री सूर्य प्रकाश अग्रवाल, अग्रवाल स्टोर, हल्द्वानी, नैनीताल।
९	जौनपुर ..	संख्या सी-३३९/१२-सी०ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री बैजनाथ ओलरगंज, जौनपुर (२) श्री उमा नाथ सिंह, महदूपुर, जौनपुर।
१०	देवरिया ..	संख्या सी-३३९/१२-सी०ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री राममेश्वर सिंह, प्राध्यापक, यू० एन० इन्टर कालेज पडरौना, जिला देवरिया। (२) श्री धर्मनाथ सिंह, पिपरालार, जिला देवरिया।
११	सीतापुर ..	संख्या सी-३३९/१२-सी०ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१ श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम तथा डाकखाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर। (२) श्री भोला नाथ गुप्त, वकील, सीतापुर।
१२	टेहरी-गढ़वाल	संख्या सी-३३९/१२-सी०ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री सोमवारी लाल उनियाल, ग्राम सकलाना, डाकखाना जाडगांव, जिला टेहरी-गढ़वाल। (२) श्री देवेन्द्र भट्ट, ग्राम तथा डाकखाना कुइला, जिला टेहरी-गढ़वाल।
१३	देहरादून ..	संख्या सी-३३९/१२-सी० ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री प्रतीतत लाल तुलसी, देहरादून। (२) श्री भीष्मदेव नौटियाल, देहरादून।
१४	मुजफ्फरनगर	संख्या सी-३३९/१२ सी० ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री बाबू राम सगल, ९८, घेरा कालाराम, जिला मुजफ्फरनगर। (२) श्री जगदीश प्रसाद बन्धु, कुन्दनपुर, जिला मुजफ्फरनगर।
१५	फतेहपुर ..	संख्या सी-३३९।१२-सी० ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री रक्षपाल सिंह, एडवोकेट, फतेहपुर। (२) श्री उमाकान्त बाजपेयी, माजमाबाद, फतेहपुर।

१	२	३	४
१६	इलाहाबाद ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री हीरालाल पांडे, ९०, विवेकानन्द, प्रयाग। (२) श्री श्रीनाथ द्विवेदी, ९०, विवेकानन्द, प्रयाग।
१७	हमीरपुर (महोबा)	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री दयाराम मिश्र, एडवोकेट, डाकखाना धवरा, जिला हमीरपुर। (२) श्री श्रीराम गुप्ता, महोना, जिला हमीरपुर।
१८	बांदा ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री रमाशंकर पालीवाल, बांदा। (२) श्री राम रतन शर्मा, बरौत, जिला बांदा।
१९	बस्ती ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री मोरध्वज सिंह, महरीपुर, बस्ती। (२) श्री बूज बिहारी लाल चिताही, डुमरियागंज, बस्ती।
२०	बुलन्दशहर ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री सुखबीर सिंह, ग्राम बनैल, डाकखाना खुर्जा, जिला बुलन्दशहर। (२) श्री वीरेन्द्र स्वरूप, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर।
२१	आगरा ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री महेश चन्द तिवारी, एडवोकेट, सूर्यनगर, आगरा। (२) श्री भगवान शंकर रावत, एडवोकेट, कचहरी, आगरा।
२२	मथुरा ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री रामेश्वर दास अग्रवाल, एडवोकेट, मथुरा। (२) श्री विजेन्द्र सिंह, विसावर, सादाबाव, मथुरा।
२३	मैनपुरी ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री वीरेन्द्र प्रकाश मिश्र, भारत मेडिकल स्टोर्स, स्टेशन मार्ग, मैनपुरी। (२) श्री कौशलेन्द्र सिंह, एडवोकेट, मैनपुरी।
२४	अलीगढ़ ..	संख्या सी–३३९/१२–– सी० ए०–६७, दिनांक १५–५–६७।	(१) श्री ज्योति प्रसाद राष्ट्रीय, अलीगढ़। (२) श्री लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, नगलाजा, डाकखाना गुरसेनी, जिला अलीगढ़।

१	२	३	४
२५	इटावा ..	संख्या सी–३३९/१२ सी० ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एडवोकेट, इटावा। (२) श्री रतीराम, विधूना, जिला इटावा।
२६	अल्मोड़ा ..	संख्या सी–३३९/१२ सी० ए०–६७, दिनांक १५–५–५७	(१) श्री प्रकाश चन्द्र शाह, एडवोकेट, अल्मोड़ा। (२) श्री प्यारेलाल शाह, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।
२७	बदायूं (इस्लामनगर)	संख्या सी–३३९/१२ सी० ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्त, सहसवान, जिला बदायूं। (२) श्री मंगलदेव सांधर, इस्लामनगर, बदायूं।
२८	बहराइच ..	संख्या सी–३३९/१२ सी० ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री दूगराज सिंह, विधायक, बहराइच। (२) श्री हनुमान प्रसाद, कपड़े की दूकान बहराइच।
२९	गोरखपुर ..	संख्या सी–३३९/१२ सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री बलेन्द्र सिंह जी, पिपरासन्डी, गोरखपुर। (२) श्री राज किशोर पांडेय, चौरी-चौरा, जिला गोरखपुर।
३०	बलिया ..	संख्या सी–३३९/१२ सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७,	(१) श्री बैजनाथ सिंह, मु० व पो० बांसडीह, बलिया। (२) श्री देवेन्द्र नाथ आर्य, ग्राम तथा डाकखाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया।
३१	वाराणसी ..	संख्या सी–३३९/१२ सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री रामदेव अम्बष्ट वकील, कानपुर, वाराणसी। (२) श्री प्रधानी, वकील, वाराणसी।
३२	गोंडा ..	संख्या सी–३३९/१२ सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम तथा डाकखाना बुझनी, जिला गोंडा। (२) श्री रामदुलारे तिवारी, बलराम-पुर, गोंडा।
३३	आजमगढ़ ..	संख्या सी–३३९/१२ सी०ए०–६७, दिनांक १५–५–६७	(१) श्री सभाजीत सिंह, वकील, आजमगढ़। (२) श्री जगत भूषण, कोट, आजमगढ़।
३४	मिर्जापुर ..	सी-३३९/१२ सी० ए० –६७ दिनांक १५–५–६७	(१) श्री त्रिलोकी नाथ पुष्कर कटरा बाजीराव, मिर्जापुर। (२) श्री रमाशंकर सिंह, वकील, मिर्जापुर।

१	२	३	४
३५	गाजीपुर ..	सी-३३९/१२ सी० ए०-६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री कमला कान्त चौब वकील, मिर्जापुर। (२) श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव, सैदपुर, गाजीपुर।
३६	मुरादाबाद	सी-३३९/१२ सी० ए०-६७ दिनांक १५-५-६७	(१) श्री महेन्द्रपाल सिंह, ग्राम अवका-डिलारी, डा० सास, जिला मुरादाबाद। (२) श्री सत्यदेव गुप्त, ग्राम पिसाला, जिला मुरादाबाद।
३७	मेरठ ..	सी ३३९/१२-सी० ए० -६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री वेद प्रकाश कौशिक, पवाना मेरठ। (२) श्री दिनेश चन्द्र गर्ग, गाजियाबाद, मेरठ।
३८	हरदोई ..	सी-३३९/१२-सी० ए० -६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री रमेश चन्द्र शुक्ला, एडवोकेट, हरदोई। (२) श्री उदय प्रताप सिंह, ग्राम बड़ा-रतीपुर, जिला हरदोई।
३९	मोहनलाल गंज	सी-३३९/१२-सी० ए० -६७, दिनांक १५-५-६७	(१) श्री राजकुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, मशकगंज, लखनऊ। (२) श्री गिरिराज शरण रस्तोगी, बाग मक्का, राजाबाजार, लखनऊ।
४०	फर्रुखाबाद ..	सी०-३०६(१)/१२-सी० ए०-६७-१४ (१)-६७, दिनांक ९-५-६७	(१) श्री दयाराम शाक्य, एडवोकेट फर्रुखाबाद। (२) वीरेन्द्र सिंह कटियार ग्राम चारासी फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद।
४१	जालौन	सी-११६ (३)/१२-सी० ए०-६७ वि० २८-४-६७	(१) श्री द्वारिका प्रसाद तिरलौलिया, वकील उरई जिला जालौन। (२) श्री वीर सिंह, ग्राम बड़ौना, ब्लाक प्रमुख कदौरा, जिला जालौन।
४२	फैजाबाद ..	१७०९-१२ सी० ए० -१४(१) ६७, दि० मई, १९६७	(१) श्री स्वामी रामानुजाचार्य उर्फ बाटोतादर मठ अयोध्या, जिला फैजाबाद। (२) श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम जनौरा, फैजाबाद।

१	२	३	४
४३	लखीमपुर-खीरी	सी-२२५/१२ सी०ए०-६७, दि० १९-४-६७	(१) श्री शांती स्वरूप गुप्ता मु० संकटा देवी, जिला लखीमपुर-खीरी । (२) श्री बृज किशोर गुप्ता ग्राम व पोस्ट गोला गोकरननाथ जिला लखीमपुर खीरी ।
४४	बिजनौर	३०६ (३)/१२ सी० ए०२४(१)/६७, दिनांक ९-५-६७	(१) श्री नरेन्द्र सिंह त्यागी, रामपुर नवादा बिजनौर । (२) श्री श्रीराम, हलदौर, बिजनौर । (३) श्री मलखान सिंह, ग्राम कौशल्या, डाकखाना कास्ट, जिला बिजनौर । (४) श्री रनजीत सिंह, उमरे बुजुर्ग डाकखाना रतनगर, जिला बिजनौर । (५) श्री बालेश्वर प्रसाद गंजू, कला हाउस बिजनौर । इनके अलावा तीसरा व्यक्ति जिला सहकारी बैंकों में जिले का सहायक निबंधक भी नामांकित किया जाता है ।
४५	उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ ।	सी-३४८/१२ सी०ए०-२४ (६)/६७, दिनांक २०-५-६७	(१) श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, एडवोकेट, उरई जालौन । (२) श्री मलखान सिंह, एम० एल ए०, कारवाली, मैनपुरी ।

इसके अतिरिक्त श्री गणेशशंकर चौधरी, उप सचिव, वित्त विभाग तीसरे नामांकित संचालक हैं जो पिछले साल से आ रहे हैं ।

प्रान्त के जिला सहकारी संघों में प्रादेशीय सरकार या निबन्धक सहकारी सीमा तथा उत्तर प्रदेश द्वारा ६ अप्रैल, १९६७ से ३ जून, १९६७ के बीच नामांकन दिय गये व्यक्तियों की सूची

संस्था का नाम	मनोनीत व्यक्तियों के नाम	पद जिस पर मनोनयन हुआ	इस कार्यालय से भेजे आदेश तथा दिनांक
१—जिला सहकारी संघ, मिर्जापुर।	श्री कन्हैया लाल, एडवोकेट।	मंत्री निबन्धक द्वारा	३३३०—३४/विकास—अ, दिनांक २४ मई, १९६७।
	श्री रंग नाथ सिंह	संचालक निबंधक द्वारा	३१४८—५३/विकास, दिनांक १० मई, १९६७।
	श्री रुद्र प्रताप सिंह	संचालक निबन्धक द्वारा	,, ,,
२—बुलन्दशहर	श्री एस० आर० एस० यादव, सहायक निबंधक।	मंत्री निबन्धक द्वारा	४१२०—२४/पी० सी०, दिनांक २४ अप्रैल, १९६७।
	श्री हरपाल सिंह	संयुक्त मंत्री निबंधक द्वारा	३४२०—२४/विकास, अ, दिनांक ३१ मई, १९६७
३—अलीगढ़	श्री बी० एन० सिंह, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी।	मंत्री निबंधक द्वारा	३०९९—१०३/विकास, ५ मई, १९६७।
४—बाराबंकी	श्री आर० एन० द्विवेदी, सहायक निबंधक।	मंत्री निबंधक द्वारा	३२५०—५३/विकास अ, १२ मई, १९६७।
५—प्रतापगढ़	श्री ए० एस० वाना, सहा-सहायक निबंधक।	मंत्री निबंधक द्वारा	३१६५—६८/विकास अ, १२ मई, १९६७।
६—बलिया	श्री राम राज लाल	मंत्री निबंधक द्वारा	२२९०—९४/विकास, अ, २ मई, १९६७।
७—जिला सहकारी संघ हल्द्वानी नैनीताल।	१—श्री वेद प्रकाश २—श्री ओम प्रकाश सारस्वत। ३—सहायक निबंधक सहकारी समितियां, नैनीताल।	संचालक शासन द्वारा	१२७४—सी/१२सी०ए—५१—७—(१)-६६, १६ मई, १९६७।

इफ्तिखार हुसेन,
अतिरिक्त निबंधक (स०),
सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

क्रमांक रसीद की क्रम-संख्या		दिनांक	चन्दा देने वाले का नाम	चन्दे की रकम रुपयों में	चन्दा वसूल करने वाले का नाम
१	२	३	४	५	६
१	कुछ नहीं (केवल सादे कागज पर मुहर लगी है)	२९-३-६७	श्री लक्ष्मी दत्त पुत्र, श्री नरोत्तम कांडपाल, ग्रुप लीडर नं० १—शन्तिपुरी, नैनीताल।	२०	श्री गोसाईं राम, मंत्री, कुमायूं भूमिहीन समिति, हल्द्वानी।
२	१२४७	१२-३-६७	तदेव,	९०	श्री पूरन चन्द्र, अध्यक्ष, कुमायूं भूमिहीन समिति, हल्द्वानी।
३	१२५९	२७-३-६७	तदेव	३०	तदेव
४	१२६७	२१-३-६७	तदेव	५०	तदेव
५	१२	२५-४-६७	तदेव	४०	तदेव
६	७	१४-४-६७	तदेव	८०	तदेव
७	६१९६	६-५-६७	श्री जदुराम, पुत्र श्री उमर, ग्राम सुख शान्तिनगर, तहसील बाजपुर, नैनीताल।	५.२५	श्री राम सिंह
८	५५०५	१२-४-६७	श्री मनोहर लाल, पुत्र श्री हल्लू, ग्राम सुख-शान्ति नगर।	५	तदेव
९	५५०६	१२-४-६७	श्री रीतराम, पुत्र श्री हल्लू, ग्राम सुख-शान्तिनगर।	५.२५	तदेव
१०	६१९९	६-५-६७	श्री बल्देव, पुत्र श्री कल्याण सिंह, ग्राम सुखशान्ति-नगर।	५.२५	तदेव
११	५५३०	१३-४-६७	श्री प्यारे लाल, पुत्र श्री हिमाचल।	५.२५	तदेव
१२	कुछ नहीं	कुछ नहीं	श्री शेर सिंह, पुत्र श्री जय सिंह।	१०	श्री नैन सिंह
१३	१७७१	१०-३-६७	श्री करन बहादुर, पुत्र श्री भीम बहादुर।	५	श्री ज्ञान चन्द्र

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर)

उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध उनके सम्मुख अंकित धनराशि गबन करने की शिकायतें की गईं ।

प्रथम शिकायती पत्र—		रु०
१—श्री रामस्वरूप भारतीय, सहायक मंत्री ..		४,०००
२—श्री अयूब, उपाध्यक्ष		२,०००
द्वितीय शिकायती-पत्र—		
१—श्री अयूब		३००
तदेव		१,३००
तदेव		२,०००
तदेव		११०
तदेव		४४०
२—श्री रामस्वरूप भारतीय, सहायक मंत्री	(१)	२,५००
	(२)	१,२००
	(३)	ड्राइवर का वेतन माहवार के हिसाब से ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७पर)

वाराणसी नगर की सहकारी गृह निर्माण समितियों की सूची

क्रम-सं०	नाम समिति	रजि० नं० व तिथि	पता
१	२	३	४
१	काशी कोआ० गृह निर्माण सह० समिति लि०।	१४२२/२९८९	वाराणसी
२	सोंधी शरणार्थी कोआ० गृह निर्माण सहा० समिति लि०।	१५३१, १०-११-५१	सिकराऊ, वाराणसी
३	वाराणसी रिफ्यूजी को० गृह निर्माण सहा० समिति।	१५१०, २२-८-५१	लक्सा, वाराणसी
४	सहा० गृह निर्माण समिति लि०, चकिया।	२०८१, ४-१-६६	चकिया, वाराणसी।
५	आज इम्प्लाइज को० गृह निर्माण सहा० समिति लि०।	२१४०, ७-६-५८	कबीर रोड, वाराणसी।
६	पुनवर्ग वस्तुहारा पुनर्वसन सहा० गृह निर्माण समिति, लि०।	२१५१, ३-१२-५८	डी-३०/९२, वाराणसी।
७	सुभाष नगर गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२१६३, १६-१-५९	३१/१, हाऊस कटरा, वाराणसी।
८	पंजाब गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२१८८, २१-३-५९	म० नं० सी० ३०/३५, लदाया, वाराणसी।
९	नेशनल गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२४३१, १२-१-६०	डी-३१/३३, मदनपुरा, बंगाली टोला, वाराणसी।
१०	वाराणसी नगरमहापालिका कर्मचारी गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२६५९, ३-५-६०	सी-९४५, हबीबपुर। चेतगंज, वाराणसी।
११	दि विजय को० गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२६९४, ३१-८-६०	के-२४/२९, रामघाट, वाराणसी।
१२	नगर महापालिका वाराणसी कर्मचारी गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२७०८, १२-४-६१	नगर महापालिका, वाराणसी
१३	सद्भावना गृह निर्माण समिति सह० समिति लि०।	२७०९, १२-४-६१	एस०२१/११०, इंगलिश लाइन, वाराणसी।
१४	डाक-तार कर्मचारी गृह निर्माण सह० समिति, लि०।	२७१४, ३-७-६०	वाराणसी कैंट

क्रम-संख्या	नाम समिति	रजि० नं० व तिथि	पता
१	२	३	४
१५	पानी कल कर्मचारी सह० गृह निर्माण समिति लि०।	२७२२	पानी कल भेलूपुर नगर महाल वाराणसी।
१६	वाराणसी गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२७२९, ८–२–६७	अग्रवाल इलक्ट्रिक स्टोर बांस फाटक, वाराणसी।
१७	जीवन बीमा निगम कर्मचारी गृह निर्माण सह० समिति लि०	२७३९, २३–३–६२	बी २०/४४ भेलूपुरा, वाराणसी।
१८	चन्दुआ छितपुर सहा० गृह निर्माण समिति लि०।	२७४१, १०–४–६२	चन्दुआ छितपुर, शिवपुरवा. वाराणसी।
१९	श्री संकटमोचन गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२७४३, २३–६–६२	काला शिमला, वाराणसी
२०	सनमति सहयोग सदन गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२७५५, २०–२–६३	बी-३/८० जीवन विद्यालय, वाराणसी।
२१	गुरूनानक गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२७७९, १८–३–६३	लल्लापुरा, वाराणसी
२२	दी भारतीय गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२०८१, २३–३–६३	कान्ती कटरा, बुलानाला वाराणसी।
२३	सरदार पटेल गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२८१८, २८–५–६३	सी ४/३०६ सरायगोबर्धन, वाराणसी।
२४	आदर्श गृह निर्माण को० समिति लि०।	२८१ , २८–५–६३	फुलवरिया, वाराणसी
२५	यूप्नेस्को इम्प्लाइज को० गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी।	२८२५, १६–१२–६३	वाराणसी
२६	आर्य नगर सह० गृह निर्माण समिदि लि०।	२८३८, १३–३–६४	गान्डीव हिन्दी डेली सी०के० ५८/आसपैरो, वाराणसी।
२७	शिवपुरवा गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२८४०, २४–३–६४	सिगरा, वाराणसी
२८	मित्र गोष्ठी सह० गृह निर्माण समिति लि०।	२८४४, १२–८–६४	प्लाट नं० ए–१२ और १३ रविन्दपुरा, वाराणसी–५।
२९	नेहरू नगर गृह निर्माण सह० समिति लि०।	२८५२, ३१–१०–६४	कैन्ट, वाराणसी
३०	भारत सेवक समाज को० गृह निर्माण समिति लि०।	२८६४, १५–२–६५	कमला नगर, वाराणसी

क्रम-सं०	नाम समिति	रजि० नं० व तिथि	पता
३१	जवाहर को० गृह निर्माण समिति लि०।	२८९४, ४–८–६५	डी १५/७१ दशाश्वमेध रोड, वाराणसी।
३२	तुलसी गृह निर्माण सह० समिति लि० वाराणसी।	२८९५, ११–१०–६५	म्यूरू ३ प्रिंसिपल कालोनी, वी० एच० यू०, वाराणसी।
३३	गांधी गृह निर्माण सह० समिति लि० वाराणसी।	२९०१, २७–१२–६५	गांधी ग्राम, मुंशी कटरा उद्योग भंडार लहुराबीर, वाराणसी।
३४	श्री आदर्श गृह निर्माण समिति लि०।	२९०३, २८–१–६६	६/८ वी एच० यू०, वाराणसी
३५	स्टेट बैंक आफ इंडिया कर्मचारी गृह निर्माण सह० समिति०लि, वाराणसी।	२९०६, १४–२–६६	स्टेट बैंक आफ इंडिया, वाराणसी।
३६	लालबहादुर शास्त्री नगर गृह निर्माण सह० समिति लि०, गुरा हास्टल।	२९२४, ५–७–६६	डा० एच० एम० राथौर, वी० एच० यू०, वाराणसी।
३७	अन्नपूर्णा सह० भवन निर्माण समिति लि०, शिवपुरवा।	२९२९, १२–७–६६	डी० ५९/१४७ शिवपुरवा, वाराणसी।
३८	सुन्दर गृह सह० समिति लि०।	२९३१, २७–८–६६	सी २५/१-ए राम कटोरा रोड, वाराणसी।
३९	आनन्द गृह निर्माण सह० समिति लि० वाराणसी।	२९३४, ६–१२–६६	सी २७/२४९–३२, विवेकानन्द, वाराणसी।
४०	टेलिग्राम कोआ० गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी।	२९३५, १९–१२–६६	सेन्ट्रल टेलिग्राम आफिस, वाराणसी।

नत्थी (च)

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

उत्तर प्रदेश वेहिकल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन एक्ट, १९३५ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त और संशोधित करने के लिये। यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९६५

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तत्पर्य निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा २ का संशोधन

२—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(१) वर्तमान खण्ड (ए), (डी), (ई), (एफ एफ), (जी) तथा (के) निकाल दिये जायें ;

(२) खण्ड (जे) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(जे जे) अन्य शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः उनके लिये दिये गये हों।"

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय ;

(२) उपधारा (२) के पाश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा ५—ए में "फर्स्ट शेड्यूल" का तात्पर्य,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६२

(क) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२ जिसे आगे १९६२ का अधिनियम कहा गया है, के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के संबंध में देय कर निर्धारण के लिये उस फर्स्ट शेड्यूल से है जैसा कि वह १९६२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व था ;

(ख) १९६२ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से और उसके पश्चात् किन्तु उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के संबंध में देय कर के निर्धारण के लिये उस फर्स्ट शेड्यूल से है जैसा कि वह १९६२ के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ;

(ग) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६७ के प्रारम्भ होने के दिनांक से और उसके पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय कर के निर्धारण के लिये उस फर्स्ट शेड्यूल से है जैसा कि वह उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया।"

धारा ५ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी अवधि के लिये धारा ४ के अधीन देय कर और इस अधिनियम के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६७ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, उपबन्धों के अनुसार उक्त अवधि के लिये पहले से ही दिये गये कर के बीच के अन्तर का भुगतान उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से चार महीने के भीतर किया जायगा।"

धारा २० का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २० की वर्तमान उपधारा (३) और (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी का संशोधन

६—मूल अधिनियम के फर्स्ट शेड्यूल के (परिवहन गाड़ियों से संबंध) पार्ट बी में,—

(१) वर्तमान आर्टिकिल ४ के स्थान पर निम्नलिखित आर्टिकिल रख दिया जाय:—

"४—यात्रियों तथा यात्रियों का हलका वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये किराये पर चलने वाली गाड़ियां।

(१) जिनमें चालक को छोड़ कर तीन से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान न हो—	
(क) यदि केवल एक संभाग में चलाने की अनुज्ञा हो	१२०
(ख) यदि एक से अधिक संभागों में चलाने की अनुज्ञा हो	१६०
(२) जिनमें चालक को छोड़ कर, चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो—	
(क) यदि केवल एक संभाग में चलाने की अनुज्ञा हो	१९६

(ख) यदि एक से अधिक संभागों में चलाने की अनुज्ञा हो .. .. रु० २६४

(३) जिनमें चालक को छोड़कर, चार से अधिक किन्तु छः से अधिक नहीं, व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो—

(क) यदि केवल एक संभाग में चलाने की अनुज्ञा हो ३००

(ख) यदि एक से अधिक संभागों में चलाने की अनुज्ञा हो ४००

(४) जिनमें चालक को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो—

(क) प्रथम छः स्थानों के लिये .. ४००

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये—

(क) यदि ए श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो .. ३५

(ख) यदि बी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो .. २७

(ग) यदि सी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो .. २१

(५) जिनमें चालक को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो—

(क) यदि ए श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो तो—

प्रथम बीस स्थानों के लिये .. ८८४

प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए .. ३५

(ख) यदि बी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो तो—

प्रथम बीस स्थानों के लिये .. ७७२

प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये .. ३०

(ग) यदि सी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो तो—

प्रथम बीस स्थानों के लिये ६८८

प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये .. २२

अविभाजित सभा

(६) जिनमें चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो, तो प्रथम बत्तीस स्थानों के लिये अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड के अधीन देय कर और प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये—

(क) यदि ए श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ६२

(ख) यदि बी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो .. ४६

(ग) यदि सी श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ३१

(२) आर्टिकिल ६ में वर्तमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"वाहनें जो कि केवल भार यातायात के लिये चलती हैं"

(३) इस प्रकार रखे गये आर्टिकिल ६ के पश्चात् निम्नलिखित नया आर्टिकिल बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"६ए—ऐसे माल वाहन जिन्हें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ४ के अधीन चार या अधिक संभागों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चलाने की अनुज्ञा हो—

आर्टिकिल्स ६ तथा ७ के अधीन देय समुपयुक्त कर और ४०० रु० का एक अतिरिक्त कर,"

(४) वर्तमान आर्टिकिल ७ के स्थान पर निम्नलिखित आर्टिकिल रख दिया जाय, अर्थात्—

"७—किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत गाड़ियां ए श्रेणी के मार्ग के संबंध में आर्टिकिल ४, ५ या ६ के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस कर के ५० प्रतिशत से अनधिक ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाये",

(५) आर्टिकिल ९ निकाल दिया जाय ।

उद्देश्य और कारण

१—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से परिवहन गाड़ियों पर करों की वर्तमान दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

२—यह प्रस्ताव किया जाता है कि यात्री गाड़ियों पर जिनकी वाहन क्षमता चालिस यात्रियों के लिये हो, कर की वर्तमान दर को 'ए' श्रेणी के मार्ग के लिये १,४७२ रु० से बढ़ाकर १,८०० रु० तक कर दिया जाय और विभिन्न क्षमता वाली उसी प्रकार की गाड़ियों के लिये और विभिन्न श्रेणी के मार्गों के लिये उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाय।

३—राज्य में इस समय निजी गाड़ियों से लिया जाने वाला कर सार्वजनिक गाड़ियों से लिये जाने वाले कर से १० प्रतिशत कम है। पड़ोसी राज्यों में ऐसी कोई विभिन्नता नहीं है और वहां पर सार्वजनिक तथा निजी गाड़ियों को समान रूप से कर देना पड़ता है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार की कोई विभिन्नता इस राज्य में भी न रखी जाय।

४—भार वाहनों के परिचालन के क्षेत्र में अभी हाल में वृद्धि की गई है। अब वे पहाड़ी मार्गों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त भागों में चल सकती हैं। इस अतिरिक्त क्षेत्र के लिये साधारण दरों से कुछ बढ़ाकर ४०० रु० सालाना अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

५—इस अवसर पर प्रसंगवश अन्य कुछ छोटे-मोटे संशोधन भी किये जा रहे हैं।

६—तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

राम प्रकाश,
उप मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११८—एल० ए—१९६८—८४६।